Par. S. 17. I. 24 52
285

खंड १
संख्या २४

बृहस्पति वार,
१९ जून, १९५२

1st Lok Sabha (First Session)

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

——:o:——

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग १५२१—१५३६]

(मूल्य ४ आने)

339 PSD

लोक सभा

बृहस्पतिवार, १९ जून, १९५२

सदन की ठीक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कनाडा से सहायता

*१०१६. सरदार हुक्म सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या परियोजनाओं पर पारस्परिक समझौते के सम्बन्ध में भारत सरकार और कनाडा सरकार के बीच कनाडा से सीधी सहायता प्राप्त करने के लिये बातचीत चल रही है ; तथा

(ख) क्या सन् १९५१-५२ में कनाडा से कुछ सहायता प्राप्त हुई थी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सन् १९५१-५२ में कनाडा सरकार ने भारत को कोलम्बो योजना के अन्तर्गत १५० लाख कनाडियन डालर की आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की थी। इस में से १०० लाख कनाडियन डालर ११४,००० टन गेहूं के रूप में प्राप्त किये जा रहे हैं, और उसकी बिक्री से प्राप्त रुपये भारत सरकार और कनाडा सरकार के बीच निश्चित हुई रीति के अनुसार मयूराक्षी परियोजना में लगाये जाने को हैं। इस के साथ ही बंबई राज्य यातायात निगम के

लिये बहुत सी बसों और लारियों के प्राप्त होने की संभावना है, जिनका मूल्य लगभग ४५ लाख कनाडियन डालर होगा। मयूराक्षी परियोजना के लिये पांच लाख कनाडियन डालर के लगभग की सामग्री के दिये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

आर्डनैन्स फैक्टरियां

*१०१७. सरदार हुक्म सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सन् १९५१-५२ में आर्डनैन्स फैक्टरियों ने युद्ध सम्बन्धी सामान के साथ कुछ और सामान भी बनाया था; तथा

(ख) यदि बनाया था, तो क्या सामान और किस मूल्य का ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण, जिसमें सन् १९५१-५२ में बनाई गईं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बतायी गई हैं, सदन पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३५]

सन् १९५१-५२ में दूसरे सरकारी विभागों और व्यवसायिक वर्ग का ११० लाख रुपयों का काम किया गया था।

जिंक (जस्ता) स्पैल्टर उद्योग

*१०१८. सरदार हुक्म सिंह : क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान

मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अशुद्ध जस्ता (ज़िंक स्पैलटर) उद्योग के भारत में स्थापित करने के विषय में परीक्षण करने और सुझाव देने के लिये कोई समिति नियुक्त की गई थी; तथा

(ख) यदि की गई थी, तो क्या समिति ने अब तक प्रतिवेदन प्रेषित कर दिया है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी हां श्रीमान्। समिति बनाने और उसके कार्य बताने वाली विज्ञप्ति की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३३]।

(ख) समिति ने अब तक अपना काम पूरा नहीं किया है।

भारतीय औद्योगिक विद्यालय

*१०१९. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि खड़गपुर स्थित भारतीय औद्योगिक विद्यालय के भवन निर्माण के कार्य में कितनी प्रगति हुई है और कब इस के पूरे होने की आशा है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : लगभग ३० प्रति शत निर्माण कार्यक्रम पूरा हो चुका है। कर्मचारियों के क्वार्टरों के जून, १९५३ तक बनकर पूरे होने की आशा है और मुख्य इमारत के १९५४ के अन्त तक।

मनोवैज्ञानिक-अनुसन्धान-संस्था

*१०२०. **श्री एस० सी० सामन्त**: क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) आज तक मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान संस्था पर कितना व्यय किया गया है ;

(ख) संस्था द्वारा क्या क्या कार्य प्रारम्भ किये गये हैं और उनका क्या परिणाम निकला है ; तथा

(ग) क्या संस्था के सभी अफसर भारतीय हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) लगभग ४ लाख रुपये।

(ख) इन कार्यों का सम्बन्ध परीक्षा के निर्धारण और प्रमापीकरण से, परीक्षार्थी के प्रति अपनी राय को जांचने से, चुनाव तरीकों का सुधार करने तथा चुनाव-कर्मचारीवर्ग के प्रशिक्षण देने से है।

कई परीक्षायें भारतीय छात्रों के लिये विशेष रूप से उपयुक्त समझी जा कर रखी गई हैं। चुनाव की रीति में क्रमशः सुधार हो रहा है और वह क्रमबद्ध सुनिश्चित तथा तथ्यपूर्ण होते जा रहे हैं।

(ग) हां।

कृषिसार

*१०२१. **श्री बी० आर० भगत** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत-अमरीका प्राविधिक सहयोग समझौते के अधीन अमरीका द्वारा कृषिसार दिये जाने के किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं ;

(ख) यदि किये गये हैं, तो दिये जाने वाले कृषिसारों की मात्रा क्या है; तथा

(ग) यह कृषिसार कब प्राप्त होगा ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) जी हां श्रीमान्।

(ख) १०८,००० टन।

(ग) आशा है कि जुलाई १९५२ से कृषिसारों का आना शुरू हो जायेगा और फ़रवरी, १९५३ तक संभरण पूरा हो जायेगा।

मुद्रण कला में प्रशिक्षण देने की योजना

*१०२३. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** (क) क्या शिक्षा मंत्री अखिल भारतीय प्राविधिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की गई तथा सरकार द्वारा स्वीकृत मुद्रण कला सम्बंधी प्रशिक्षण योजना की एक प्रति सदन-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

(ख) केन्द्रीय तथा प्रादेशिक संगठन दोनों ही रूपों में तब से लेकर अब तक मुद्रण प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने वाली कितनी संस्थायें स्थापित की गई हैं ?

(ग) उन प्रशिक्षणार्थियों की संख्या (प्रति राज्य) क्या है, जो भाग (ख) में बताई गई संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये प्रविष्ट किये गये थे ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) योजना की एक प्रति सदन के पुस्तकालय में रख दी गई है।

(ख) एक भी नहीं :

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

पुनर्वास वित्त प्रशासन को प्राप्त आवेदन पत्र

*१०२४. **श्री विद्यालंकार :** (क) क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि सरकार को इस प्रकार की बहुत सी शिकायतें मिली हैं कि—

(१) पुनर्वास वित्त प्रशासन को प्राप्त हुए आवेदन पत्रों को शीघ्र ही नहीं निपटाया जाता है और किसी आवेदक को ऋण मिलने में बहुत समय लग जाता है और इस बीच वह अपनी अधिकांश पूंजी समाप्त कर चुकता है ; तथा

(२) आवेदकों की पूछताछ पर उचित रूप से और शीघ्र ही बिचार नहीं किया जाता है ?

(ख) यदि यह तथ्य है, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) (१) यह तथ्य है कि आवेदन पत्रों के निपटाये जाने तथा स्वीकृत किये गये ऋणों के दिये जाने में देर होने के बारे में बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं फिर भी चूंकि अब तक प्रशासन को ६५६५ आवेदन पत्र मिल चुके हैं और इनमें से अधिकांश थोड़े से समय में ही मिले हैं, इसलिये किसी आवेदक की बारी आने में काफी अधिक समय अवश्य ही लगेगा। भुगतान में भी देर लगती है, क्योंकि आवेदकों को बहुत से निबंधन और शर्तें पूरी करनी होती हैं, जैसे कि स्थान प्राप्त करना, व्यापार अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना, आदि।

(२) यह गलत है।

(ख) काम को शीघ्र निपटाने के लिये प्रशासन पहले ही बहुत से प्रयत्न कर चुका है और वस्तुतः दो बर्ष पहले की ५०० प्रति मास की दर बढ़ा कर अब २,००० प्रति मास कर दी गई है। ऋण प्राप्त करने वालों को स्थान का नियतन करने, नियंत्रित पदार्थों के अभ्यंश देने और बिजली और अनुज्ञापत्र देने में प्राथमिकता देने के लिये राज्य सरकारों को भी परामर्श दिया गया है। इसके तथा ऋणों सम्बन्धी निबंधनों और शर्तों को ढीला कर देने के फलस्वरूप भुगतान भी ७ लाख प्रति मास से अब १४ लाख रुपये प्रति मास तक किया जा रहा है। और तेजी लाने के लिये अस्थायी कर्मचारी वर्ग में भारी वृद्धि करनी होगी, जो अवांछित तथा खतरनाक होगी।

मध्य प्रदेश में कोयला

*१०२५. **सरदार ए० एस० सहगल :** (क) क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक

अनुसन्धान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि मध्य प्रदेश स्थित उन स्थानों का, जहां कोयला मौजूद है एक परिमापन इस्पात उद्योग स्थापित करने की संभावनाओं का विनिश्चय करने के लिये राष्ट्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था, जीलगोर द्वारा किया गया है ?

(ख) कोयले के विश्लेषण और परीक्षण के विषय में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परीषद् ने क्या बातें मालूम की हैं ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि लोहे और चूने की बहुमूल्य खानें मध्य प्रदेश में दबी पड़ी हैं ?

(घ) क्या यह तथ्य है कि मध्य प्रदेश तथा विन्ध्य प्रदेश में यह दबा हुआ कोयला भाप बनाने तथा फिशरट्रोप्श प्रणाली से संश्लेषित (सिन्थेटिक) तेल तैयार करने के लिये विशेषतः उपयुक्त है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) जी हां श्रीमान् ।

(ख) तथा (घ) । परिमापन की उत्पत्तियां वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा "मध्य प्रदेश के कोयले का प्रारंभिक परिमापन" नामक पुस्तक में प्रकाशित कर दी गई हैं । इस पुस्तक की एक प्रति सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

विदेशों को भेजे गये हरिजन विद्यार्थी

*१०२६. **डा० सत्यवादी** : (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में विदेशों में प्राविधिक प्रशिक्षण के लिये प्रत्येक राज्य से कितने हरिजन विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति दिये जाने के लिये आवेदन पत्र भेजे थे और प्रत्येक व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये प्रत्येक राज्य के अभ्यर्थियों को कितनी छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थीं ?

(ख) स्वीकार किये गये आयव्ययक में हरिजन विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियों के लिये क्या किसी निश्चित राशि का उपबन्ध किया गया है, और यदि किया गया है तो कितनी राशि का ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि विदेशी छात्रवृत्तियों के लिये अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को राज्य-वार या समुदाय-वार वर्गीकृत नहीं किया जाता है । सन् १९४७-४८ में रेडियो इंजीनियरी में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये पश्चिमी बंगाल से एक अनुसूचित जाति का छात्र विदेश भेजा गया था, और मैसूर से चुने गये एक दूसरे छात्र ने छात्रवृत्ति का लाभ नहीं उठाया था ।

(ख) चालू वर्ष के आयव्ययक में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा दूसरे पिछड़े हुए वर्गों के छात्रों के लिये मैट्रिक के बाद की भारतीय छात्र-वृत्तियों के निमित १७·५ लाख रुपयों का उपबन्ध किया गया है । इसमें से ८,७५,००० रुपये अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिये आवंटित करने का विचार है ।

अखंकडू कार्डाईट के फैक्टरी मजदूर

*१०२७. **श्री वीरस्वामी** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नीलगिरी स्थित अखंकडू कार्डाईट फ़ैकटरी के मज़दूरों को पहाड़ भत्ता दिया जाता है ; और

(ख) यदि दिया जाता है, तो कितना ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) उन को पहाड़-भत्ता नामक कोई भी भत्ता नहीं दिया जाता है, पर वह विशेष मकान किराया-भत्ता तथा क्षतिपूर्ति-भत्ते के अधिकारी हैं।

(ख) दरें इस प्रकार हैं :—

	क्षति-पूर्ति भत्ता	मकान किराया-भत्ता	योग भत्ता
इतना वेतन पाने वालों के लिये :—	रुपये	रुपये	रुपये
५५ रुपये से कम	३	५	८
५५ रुपये से १०० रूपये तक	५	७	१२
१०१ रुपये से १०६ रुपये तक	७	६ से १३ से १ तक	८ तक
१०७ रुपये से अधिक	१०	..	१०

माध्यमिक शिक्षा आयोग

***१०२८ श्री मादिया गौडा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग को विचार करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए किन किन बातों का निर्देश किया जायेगा ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : आयोग देश की माध्यमिक शिक्षा की समग्र प्रणाली पर विचार करेगा और विशेष ध्यान सदन पटल पर रखे गये विवरण की बातों पर देगा साथ ही वह उन दूसरी संगत बातों पर भी विचार करेगा, जो आयोग स्वयं निर्देश पदों में सम्मिलित करने का निश्चय करे।

विवरण

माध्यमिक शिक्षा आयोग के निर्देश पदों में यह बातें सम्मिलित होंगी :

(१) जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपेक्षित नेतृत्व की योग्यताओं के विकास के दृष्टि कोण से और देश की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय माध्यमिक शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों का परीक्षण और नियमन।

(२) माध्यमिक शिक्षा को विभिन्न प्रकार का बनाने तथा एकात्मक अनेकात्मक स्कूलों की स्थापना के प्रश्नों पर विचार करना।

(३) माध्यमिक शिक्षा की अवधि और प्रारंभिक तथा उच्चतर शिक्षा से इसके परस्पर सम्बन्ध को निश्चित करना।

(४) विद्यमान पाठायक्रमों तथा शिक्षण रीतियों तथा माध्यमिक स्कूलों में काम आने वाली पाठाय-पुस्तकों का परीक्षण करना और उन में सुधारों का सुझाव देना।

(५) माध्यमिक शिक्षा में संघीय भाषा, प्रादेशिक भाषा और अंग्रेजी के स्थान का निश्चय करना।

(६) माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के चुनाव की प्रक्रिया का विचार करना।

(७) माध्यमिक अवस्था के अन्त में होने वाली परीक्षा के स्वरूप पर तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिये इस के स्तर पर विचार करना।

(८) पर्याप्त संख्या में अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा उन के वेतनों और सेवा दशाओं के प्रश्न के सम्बन्ध में की जाने योग्य कार्यवाहियों पर विचार करना।

(९) निजी माध्यमिक स्कूलों पर अपेक्षतया अधिक अच्छा नियंत्रण तथा

अधीक्षण रखने और उनमें समुचित स्तरों और कार्य दशाओं के बनाये रखने के प्रश्न पर विचार करना।

(१०) पुनःसंगठित माध्यमिक शिक्षा की प्रस्तावित प्रणाली की स्थापना पर वित्तीय दृष्टिकोण से विचार करना।

(११) निर्देश पदों से संगत किन्हीं अन्य विषयों पर विचार करना।

आयकर जांच आयोग

*१०२९. **प्रो० अग्रवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार द्वारा अब तक आयकर जांच आयोग के काम पर किया गया व्यय;

(ख) अपने श्रम के प्रत्यक्ष फलस्वरूप आयोग द्वारा वसूल की गई कुल अतिरिक्त राशि;

(ग) आयोग का काम कब तक चलने की आशा है; तथा

(घ) आयोग के पास अब भी कितने मामले पड़े हुए हैं ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) आयोग पर ३१ मार्च, १९५२ तक किया गया व्यय लगभग ३० लाख रुपये था। ठीक संख्या अभी विदित नहीं है।

(ख) आयोग कुछ आयकर वसूल नहीं करता है। आयोग के पता लगाने पर आयकर विभाग द्वारा छुपी हुई आय पर अब तक वसूल किया गया कर १९.२८ करोड़ रुपयों की कुल दायिता में से ४.७३ करोड़ रुपये है।

(ग) वर्तमान आदेशों के अनुसार आयोग ३१ दिसम्बर, १९५२ तक कार्य करेगा। इसके आगे इस को जारी रखने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(घ) आयोग के पास अब भी पड़े हुए मामलों की संख्या ८१३ है।

विघटित सैनिकों के परिवारों का पुनर्व्यवस्थापन

*१०३०. **श्री एन० एल० जोशी** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) भोपाल राज्य की बरेली तहसील में विघटित सैनिकों के कितने परिवार बसाये जायेंगे ;

(ख) अब तक वहां कितने परिवार बसाये जा चुके हैं; तथा

(ग) क्या उसी प्रकार की कोई दूसरी योजना सरकार के विचाराधीन है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) ९०।

(ख) अब तक कोई परिवार भोपाल नहीं गये हैं, क्योंकि बसने वालों के मकान अभी बन रहे हैं। इन के तैयार होते ही भूतपूर्व सैनिक अपने परिवार ले आयेंगे। अब तक वहां ४० भूतपूर्व सैनिक बसाये जा चुके हैं।

(ग) ऐसी योजनायें रामपुर (उत्तर प्रदेश), अफजलगढ़ (उत्तर प्रदेश), मैसूर, मध्य भारत, पंजाब, हैदराबाद, बंबई तथा मद्रास के लिये भी स्वीकृत की गई हैं; त्रावनकोर कोचीन और पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ के बारे में दो योजनाओं पर विचार हो रहा है।

आसाम में युद्ध हानियों की क्षतिपूर्ति

*१०३१. **श्री एल० जे० सिंह** : क्या रक्षा मंत्री ७ सितम्बर, १९५१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८६६ के बारे में दिये गये उत्तर का निर्देश कर के यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उस में निर्दिष्ट युद्ध-हानियों में क्या शत्रु की कार्य-

वाही के फलस्वरूप हुई हानियां भी सम्मिलित हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : जी हां ।

राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय

*१०३२. **श्री संगण्णा** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत के प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय की वर्तमान संख्या; तथा

(ख) अब तक कितने राष्ट्रीय छात्र सैनिक नियमित सेना सेवा में भरती किये जा चुके हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३७]

(ख) अभी हाल में २७ को कमीशन दिया गया है, जिन में से १४ तो सीधे ही छात्रसैनिकों के लिये सुरक्षित रिक्त स्थानों पर चुने गये थे और शेष १३ संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठ कर सामान्य प्रणाली से आये थे। अगस्त, १९५२ से प्रारम्भ होने वाले अगले पाठ्यक्रम (कोर्स) के लिये सुरक्षित स्थानों के सम्बन्ध में अब तक १८ छात्रसैनिक चुने जा चुके हैं ।

जस्ता

*१०३३. **श्री बलवन्त सिन्हा मेहता**: क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में जस्ते के मुख्य स्रोत क्या हैं और वह कहां स्थित हैं ;

(ख) भारत में जस्ते की कुल मांग कितनी है ;

(ग) यदि सारे स्त्रोतों का उपयोग किया जाये, तो वह मांग का कितना प्रतिशत पूरा करेंगे ; तथा

(घ) जस्ते के उपोत्पाद क्या हैं, और उन्हें कैसे काम में लाया जाता है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) से (घ). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता हैं। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३८]

भारतीय नौसेना

*१०३४. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय नौसेना के जहाज मित्र देशों के बन्दरगाहों तक आते-जाते रहे हैं ;

(ख) वह अब तक किन किन बन्दरगाहों तक गये हैं और वहां उन का कैसा स्वागत हुआ है; तथा

(ग) क्या वह हाल ही में किसी चीनी बन्दरगाह तक भी गये थे, या ऐसी कोई यात्रा करने का विचार हो रहा है या हुआ है ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी): (क) जी हां ।

(ख) मैं एक विवरण सदन पटल पर रखता हूं, जिसमें उन बंदरगाहों के नाम दिये गये हैं, जहां भारतीय नौसेना के जहाज स्वाधीनता-प्राप्ति के पश्चात् गये थे । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३९]

प्रत्येक बंदरगाह के स्थानीय निवासी भारतीय जहाजों को देख कर बहुत प्रसन्न

हुए थे, और जहां भी अफ़सर या नौसैनिक गये, उन का भारी स्वागत किया गया।

(ग) जी नहीं।

व्यय पर नियंत्रण

२१८. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने यह निश्चित करने के लिये, कि व्यय करने वाले मंत्रालय व्यय के ऊपर निगरानी रखने में और आयव्ययक तैयार करने में पूरा नियंत्रण रखते हैं और पूरा उत्तरदायित्व दिखाते हैं, कोई नियम आदि बनाये हैं;

(ख) क्या ढीलढाल के मामलों में उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये मंत्रालयों को निदेश दिये गये हैं; तथा

(ग) क्या सरकार नियमों की एक प्रति सदन पटल पर रखने का विचार रखती है ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी): (क) तथा (ख). जी हां, श्रीमान्। आयव्ययक तथा व्यय के ऊपर नियंत्रण रखने सम्बन्धी नियम तथा विनियम केन्द्रीय सरकार के साधारण-वित्तीय नियम-संग्रह के अध्याय ५ में और वित्त मंत्री द्वारा निकाले गये अनेकों निदेशों में दिये गये हैं।

(ग) इन सब नियमों और निदेशों की प्रतियाँ सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

लोक लेखा-समिति

२१९. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) लोक लेखा समिति के सन् १९५१-५२ के प्रथम और द्वितीय प्रतिवेदनों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियां;

(ख) क्या उन में बताये गये सुझावों पर विचार किया गया है; तथा

(ग) यदि किया गया है, तो क्या सरकार सदन पटल पर एक ऐसा विवरण रखने का विचार रखती है, जिसमें "की गयी कार्यवाहियों" "विचाराधीन सुझावों" "अस्वीकार्य सुझावों" की सूची दी गई हो ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : (क) से (ग). प्रतिवेदनों का सम्बन्ध वर्ष १९४८-४९ और १९४७-४८ (विभाजन उपरान्त) के अपरिसमाप्त लेखों से है, और वह हाल ही में संसद् सचिवालय से प्राप्त हुए हैं। सिफारिशों का सम्बन्ध विभिन्न मंत्रालयों से है, जो निःसंदेह शीघ्र ही उन की जांच करेंगे और परिणाम सामान्य प्रक्रिया के अनुसार लोक लेखा समिति के अगले प्रतिवेदन के परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित कर दिये जावेंगे।

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha
(First Session)

संसदीय वाद विवाद

∞

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बृहस्पतिवार, १९ जून, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष–पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

८-१५ म० पू०

श्री विद्यासागर पंड्या की मृत्यु

अध्यक्ष महोदय: अग्रेतर कार्यवाही करने से पहले मुझे लखनऊ में हुई १६ तारीख को लंबी बीमारी के बाद हुए श्री विद्यासागर पंड्या के देहावसान की दुःखद सूचना देनी है। वह पुरानी केन्द्रीय धारा सभा के सदस्य थे।

सदन उनके परिवार के प्रति अपनी समवेदनायें भेजने में मेरा साथ देगा और अपना दुःख प्रकट करने के लिये एक मिनट मौन खड़ा रहेगा।

सामान्य आयव्ययक—अनुदानों की मांगें

निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): श्रीमान्, शरू में ही मुझे मान लेना चाहिये कि मेरे मंत्रालय की

विविध कार्यवाहियों की आलोचना में सदन मेरे प्रति कुछ उदार रहा है। परिस्थितियों की दृष्टि में कुछ आलोचना तो अनिवार्य ही है। जैसा सदन को पता है, इस मंत्रालय का कार्य-क्षेत्र बहुत विस्तृत है। अधिकांश कार्यों का संबंध न केवल अन्य मंत्रालयों से बल्कि जनसाधारण से भी है। ऐसी परि-स्थितियों में कुछ आलोचनायें अनिवार्य हैं और मुझे मानना होगा कि यह देख मुझे कुछ आश्चर्य ही हुआ कि आलोचना की मात्रा न तो विशेष अधिक थी और न विशेष तीव्र। सूक्ष्म विवरणों को लिये बिना अपने थोड़े से समय में मैं आलोचना के कुछ ऐसे पहलुओं को लूंगा जो विरोधी दल के मेरे माननीय मित्रों द्वारा रखे गये हैं; मैं कांग्रेस दल के कुछ सदस्यों द्वारा कही गई कुछ बातों का भी उत्तर दूंगा जिनके सुझावों पर मैं ने दृक्पात किया है।

जैसा स्वाभाविक है, आलोचना का प्रधान लक्ष्य केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग था, और साधारणतः इसकी तथाकथित फ़िजूलखर्ची की ही आलोचना की गई थी, वही बात एक ऐसे वृद्ध सदस्य द्वारा भी कही गयी थी जिनके प्रति मैं विशेष आदर और श्रद्धा रखता हूं। फिर ठेके पर काम कराने की भी खूब आलोचना की गयी है। विभागीय व्ययों के बारे में भी कुछ कहा गया है। जहां तक इस पिछली मद का संबंध है मैं सीधे-सीधे कह सकता हूं कि इस सदन के कुछ क्षेत्रों

[सरदार स्वर्ण सिंह]

में कुछ विभ्रम है, तथा सूचना प्राप्त न रहने वाली बात है । माननीय सदस्यगण द्वारा कल कही गयी यह बात सही नहीं है कि विभागीय व्यय लगभग १७½ प्रतिशत है । हाल में विभागीय व्ययों के पूरे ढांचे का पुनः परीक्षण किया गया है और एक स्लैब सिस्टम चलाया गया है । इस प्रणाली से ५ लाख रुपयों तक के मूल्य के निर्माण-कार्य में विभागी व्यय ९ १/२ प्रतिशत होगा । इस मंत्रालय द्वारा किये जाने वाले कार्य की मात्रा को ध्यान में रखते हुए वह वस्तुतः व्यवहार में विभागी व्यय की सामान्य दर जितना ही रहता है । यह सच है कि ५ लाख रुपये से कम मूल्य के काम में दरें अधिक ह और श्रेणी क्रमबद्ध है, पर सब मिलाकर विद्यमान दशाओं, संगठन की लागतों— आकलन तयार करने, उन्हें कार्यान्वित करने और उनका निरीक्षण करने-आदि बातों— को ध्यान में रखते हुए ९ १/२ प्रति शत के इन विभागी-व्ययों को अधिक नहीं कहा जा सकता । अन्य राज्यों के विभागी-व्ययों की तुलना में ये आंकड़े किसी प्रकार अधिक नहीं हैं । उलटे वे तो बहुत ही कम हैं । मुझे इस बात पर ध्यान देने का अवसर मिला है और मैं विश्वस्त रूप से कह सकता हूं कि बड़े विस्तार वाले ये विभागी-व्यय ; जो हमारे देश की इन परिस्थितियों में अनिवार्य हैं, जहां निश्चित या अल्पकालीन काम पर लगाने के लिये पेशेवर इंजीनियर सरलता से उपलब्ध नहीं होते; ये व्यय— दुनिया के किसी भी दूसरे भाग के तत्समान व्ययों की तुलना में अधिक नहीं हैं—दुनिया के उन भागों के व्ययों की तुलना में भी, जहां के प्रति सदन के कुछ क्षेत्रों में कुछ पक्ष-पात या कुछ झुकाव है । इसलिये मेरा निवेदन है कि जहां तक विभागी व्ययों के अधिक होने की आलोचना का सम्बन्ध है, वह विद्यमान तथ्यों के तथा दूसरे देशों और इस देश के दूसरे राज्यों की तुलनात्मक स्थिति के अज्ञान पर आधारित हैं ।

ठेकों की रीति के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है । व्यक्तिगत रूप में ठेके पर काम कराने की रीति पर मुझे भी बहुत कुछ कहना है । पर देश की विद्यमान परि-स्थितियों में और इसके विकास की इस अवस्था में निर्माण-कार्य के लिये कुछ तरीक़ा होना ज़रूरी है । निरीक्षण और काम करने के लिये—दोनों के ही लिये विशुद्ध सरकारी संगठन अपर्याप्त सिद्ध होंगे । जनशक्ति की कमी है । फिर कुशल और अकुशल दोनों ही प्रकार के श्रम के संघटन की बात है । इन सारी परिस्थितियों में यदि इस कार्य-क्षेत्र अर्थात् संगठन और निर्माण-कार्य की वास्तविक रचना में यदि निजी उपक्रम के लिये गुंजाइश है, तो मैं समझता हूं इस निर्णय को भारी ग़लत निर्णय नहीं कहा जा सकता । ठेकेदार अच्छे भी होते हैं, बुरे भी । पर उनके द्वारा किये जाने वाले काम के स्वरूप का ध्यान रखते हुए आकलन तयार करते समय लाभ की जो राशि छोड़ी जाती है, वह लगभग ६ प्रतिशत से अधिक नहीं होती, और इसे अधिक नहीं कहा जा सकता । मुझे यह बताने दिया जाये कि हाल में स्थिति में निश्चित सुधार हुआ है, क्योंकि प्राक्कलन दाताओं द्वारा वस्तुतः दिये गये आंकड़े आकलनों से २—३ प्रति शत कम ही हैं, और इस लिये ठेकेदार के लाभ का अंश तदनुसार कम हो जायेगा ।

निस्सन्देह सुधार की गुंजाइश है और मुझे ठेके के प्रपत्रों को सुधारने और निरी-क्षक नियंत्रण को सशक्त बनाने के लिये समय समय पर की गयी सिफ़ारिशों और आलोचनाओं का ज्ञान है । जहां तक ठेके के प्रपत्रों के परीक्षण का सम्बन्ध है, मेरे मित्र

श्री बी० दास द्वारा उठाये गये प्रश्न पर न केवल इस मंत्रालय में बल्कि दूसरे मंत्रालयों में भी सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है और मैं कह सकता हूं कि ठेके के प्रपत्रों को अपेक्षतया अधिक युक्तियुक्त बनाने के लिये तथा आंतरिक जांच तथा ठेकों के वास्तविक रूप में कार्यान्वित होने पर यथासम्भव अधिकाधिक निरीक्षण रखने के लिये प्रत्येक पग उठाया जायेगा ।

विरोधी दल के मेरे दो माननीय मित्रों द्वारा केन्द्रीय जनवास्तु विभाग और विशेषतः दैनिक-मजदूरों में उन के विचार से होने वाली छंटनी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । श्रीमान्, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण-विभाग के दैनिक-मजदूरी-भाग के कुछ कर्मचारियों ने एक प्रदर्शन किया था । इस मामले के तथ्यों पर स्वयं विचार करने पर मुझे अचम्भा हुआ कि ऐसे छोटे से मामले पर इतने भारी रूप में आवाज़ उठायी गयी । वस्तुतः केन्द्रीय जनवास्तु विभाग के हाथ का काम ही कुछ इस प्रकार का है कि सारे कर्मचारी–विशेषतः नीची सीढ़ी वाले–स्थायी रूप में नहीं लगाये जा सकते । काम कम अधिक होता रहता है—कभी कम कभी अधिक । इसलिये थोड़ा बहुत लचीलापन तो रखना ही होगा । फिर भी इन बन्धनों के साथ मैं आपके द्वारा सदन को विश्वास दिलाता हूं कि दैनिक-मजदूरी वाले लोगों की दशाओं को सुधारने के लिये केन्द्रीय जनवास्तु निर्माण विभाग ने यथासम्भव सब कुछ किया है । यह प्रदर्शन निम्न घटना के फलस्वरूप किया गया था । पदाधिकारियों के कुछ मैस हैं जो विशेषतः रक्षा-सेवाओं के काम आते हैं । प्रदर्शनकारी इस बात पर जोर देना चाहते थे कि मैसों में रखे जाने वाले कर्मचारियों के बारे में कुछ परिवर्तन किया जाय । उनका कहना था कि अफसरों से अपने निजी नौकरों का प्रबन्ध करने के लिये कहा जाये और वे उनके काम के लिये मजदूरी दें, और इस प्रकार पहले चलने वाली प्रथा छोड़ दी जाये । उस से दैनिक-मजदूरी वाले १०८ मजदूरों की छंटनी जरूरी हो गयी । केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने उसके नियंत्रण के बाहर की इन परिस्थितियों के कारण हुई इस छंटनी के फलस्वरूप बेकार होने वाले इन सब लोगों को रखने के लिये भरसक प्रयत्न किया । उन्होंने उन सब को वैकल्पिक नौकरियों का वादा किया और वस्तुतः उनमें से ७९ को स्वीकार कर के विभाग के दूसरे हिस्सों में लगा लिया । केवल २९ बच रहे और उनके लिये भी वैकल्पिक नौकरी का वादा किया गया, हां, उपस्थिति पत्र (मस्टर रोल) के रूप में, दैनिक-मजदूरी के रूप में नहीं । पर उन्होंने वैकल्पिक नौकरी स्वीकार करने से इनकार कर दिया । मैं ये तथ्य सदन के विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं कि जब दिल्ली में हमारे पास ९००० से भी अधिक कामकर हैं तब २९ दैनिक-मजदूरों की यह छोटी सी समस्या इतनी बड़ी बड़ी पंक्तियों के प्रदर्शन के लिये कहां तक उपयुक्त थी ? और उधर विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने कुछ अप्रसंगोचित रूप में वह बात इस सदन में भी उठाने का प्रयत्न किया था । इन कर्मचारियों के हित में मैं उन माननीय मित्रों को सुझाऊंगा, जो अनुमानतः उनकी दशाओं के सुधार के इच्छुक हैं कि यदि उन को अलग छोड़ दिया जाये, तो हम अपेक्षाकृत अधिक अच्छा व्यवहार उन के साथ कर सकेंगे । पर जब उन को कुछ ऐसी कार्यवाही करने के लिये उकसाया और भड़काया जाता है, जो न उन के हित में है न राज्य के, तो उलझनें पैदा हो जाती हैं । अन्यथा शिकायतों में कोई सार न था और उनका अभिप्राय बस काल्पनिक शिकायतों को ही उभाड़ना था ।

एक माननीय सदस्य: और लेखन-सामग्री तथा मुद्रण विभाग के बारे में?

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति।

सरदार स्वर्ण सिंह: मैं केन्द्रीय जन वास्तु विभाग की बात कर रहा था और मैं निश्चय ही लेखनसामग्री तथा मुद्रण विभाग की छंटनी की बात भी करूंगा। साथ ही इस मंत्रालय ने गुप्त बातों के निकल जाने को कम करने के लिये और काम को यथा-सम्भव अच्छे और सीधे सादे रूप में कराने के लिये कुछ उपाय किये हैं। एक निर्माण-सलाहकार-पर्षद् है, जिसमें इंजीनियरी विभाग, वित्त विभाग तथा निर्माण मंत्रालय के अफ़सर हैं, वे एकत्र बैठ कर प्रत्येक ठेके का परीक्षण करते हैं और तत्पश्चात् कुछ राशि के ऊपर के ठके फिर और भी ऊंचे अफ़सरों द्वारा देखे जाते हैं। इसके फलस्वरूप बहुत सी गुत्थियां सुलझ गयी हैं, और जनता ठेकेदारों तथा और सभी सम्बन्धित लोगों को काफ़ी भरोसा हो गया है।

फिर परीक्षण के जो तरीक़े जल्दी ही अपनाये जा रहे हैं, वे इन कामों के होते समय अपेक्षतया अधिक अच्छे अंकुश के रूप में काम करेंगे। चूना और सभी सामग्री दिल्ली में शीघ्र ही काम शुरू करने वाली प्रयोगशाला में परखी जा सकेगी। मैं यह भी कहूंगा कि संघीय लोक सेवा आयोग के द्वारा हुई हाल की भरती ने भी अच्छा काम किया है। जवान कर्मचारी और जवान इंजीनियर यथोचित योग्य हैं और उस ओर यह संगठन निश्चय ही दृढ़ हो गया है।

केन्द्रीय जन वास्तु विभाग के सिल-सिले में मैं चलते चलते संसद् सदस्यों के बंगलों के बारे में भी कुछ कह दूं। मेरे विद्वान् मित्र श्री बसु ने अपने निवास की उपरी छत से पानी चूने की बात कहीं थी। यह इतनी साधारण सी बात है कि इस पर ध्यान देना कोई आवश्यक नहीं है। पूरे आयोजन का निर्णय विस्तृत दृष्टिकोण से होना चाहिये और जहां तक संसद् सदस्यों के निवासगृहों और उन में दिये गये फ़रनीचर के स्वरूप का सम्बन्ध है, मैं कह सकता हूं लोगों म बहुत काफ़ी सन्तोष है। और श्रीमान्, फ़रनीचर और दिये गये निवास की रूपरेखा को अन्तिम रूप देने में आपने कृपापूर्वक हमारी बड़ी सहायता की थी।

कुछ माननीय सदस्य गण: और किराये?

सरदार स्वर्ण सिंह: मुझे ज्ञात है कि मेरे माननीय मित्रगण किरायों के बारे में जानने के लिये बड़े उत्सुक हैं और कुछ करने के लिये सदा जोर देते रहे हैं। मुझे उनको यह सूचना देते हुए हर्ष है कि एक ऐसा निर्णय किया गया है, जिसने पूरे मामले को अधिक युक्तियुक्त बना दिया है। आपको विदित है कि विद्यमान परिस्थितियों के कारण पुराने बंगलों के निर्माण की लागत कम थी और इन फ्लैटों की लागत ज्यादा है। किराया जोड़ने में आधारभूत नियमों और प्रतिशतकों के अनुसार बंगलों के किराये की तुलना में इन नये फ्लैटों का किराया अधिक पड़ता है। अब यह निर्णय किया गया है कि सभी निवासों का एक साथ समूहन कर दिया जाये और कुल किराये को विभिन्न प्रकार के निवासगृहों के बीच यथा-नुपात बांट दिया जाये। इससे बंगलों का किराया कुछ बढ़ जायेगा और फ्लैटों का कुछ कम हो जायेगा। इससे मंत्रालय का सिरदर्द कुछ कम हो जायेगा: बंगला पाने के लिये प्रत्येक सदस्य की इच्छा के कारण हम पर डाला जाने वाला जोर कुछ सीमा तक कम हो जायगा। सभी बंगलों और फ्लैटों का एकत्र समूहन करके किराया युक्तियुक्त कर दिया जायेगा। इस औचित्य

के अलावा हमने यह भी निश्चय किया है कि संसद्-सदस्यों का—इस सदन तथा राज्य-परिषद् दोनों के सदस्यों का—पूरे वर्ष कार्यकाल माना जायेगा । माननीय सदस्यगणों के बढ़े हुए तथा क्रमागत उत्तरदायित्व के कारण मेरे विचार से यह निर्णय उचित ही है । उनका काम बहुत कुछ पूरे समय का है और इसलिये वे दिल्ली में लगातार अधिवास के अधिकारी हैं । इसलिये यह आलोचना समाप्त हो जायगी कि सत्रावसान पर माननीय सदस्यों से अधिक किराया लिया जाता है, और मुझे भरोसा है कि सदन के सभी क्षेत्रों में इस निर्णय का स्वागत किया जायेगा ।

श्री बी० दास (जाजपुर-क्योंझर) : क्या यह निर्णय करने से पहले माननीय मंत्री ने विद्यमान दो निवास-समितियों से परामर्श किया था ? निवास समितियां तो उनको परामर्श देने के लिये हैं ही ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर मैं दे दूं कि दोनों समितियों और अध्यक्ष से इस विषय में परामर्श किया गया था

सरदार स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य के समाधान के लिये मैं उन्हें सूचित कर दूं कि न केवल दोनों समितियों से ही परामर्श किया गया था, बल्कि स्वयं माननीय सदस्यों की ही यह जोरदार मांग थी और सरकार ने उनकी मांग स्वीकार करने के सिवा और कुछ नहीं किया है ।

अब इस मंत्रालय के संभरण और उत्सर्जन भागों के बारे में कुछ शब्द । मुझे बहुत अचम्भा है कि इस पर विशेष नहीं कहा गया क्योंकि जहां तक इस मंत्रालय की कार्यवाहियों के इस पहलू का सम्बन्ध है, पहले इसकी बहुत तीव्र आलोचना होती रही है । देश के भीतर या बाहर से समाहार (जो खरीद ही है) तथा उत्सर्जन दोनों के विषय में निरन्तर चलने वाली नीति ऐसी है जो देश की अर्थ-व्यवस्था के सर्वाधिक हित में है । खरीद के बारे में नीति सदा ऐसी रही है कि विविध केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्यों तथा अर्द्धसरकारी संस्थाओं की मांगों का समन्वय इस प्रकार किया जाय जिससे उसी माल को लेकर बाजार में प्रतिद्वंद्विता न चल पाये, और भाव न चढ़ जाये । बहुत सीमा तक हमें अपनी नीति में सफलता भी मिली है । मुझे विदित है कि इसके फलस्वरूप देर होने लगी है, आलोचनायें हुई हैं और दबाव पड़े हैं पर जिनको अखिल भारतीय दृष्टिकोण से निर्णय करने होते हैं उनको निश्चय ही देश के सामान्य आर्थिक ढांचे पर दृष्टि रखनी पड़ती है और मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि उस दिशा में बहुत कुछ सफलता मिली है ।

यही बात विदेश से हमारी खरीद के बारे में है । वहां पर भी नीति ऐसी बनायी गयी है कि केन्द्र, राज्य या अर्द्धसरकारी प्राधिकार—किसी भी स्रोत से होने वाली मांग का यह देखने के लिये ध्यानपूर्वक परीक्षण किया जाता है कि क्या ये खरीदें देश में नहीं हो सकती हैं और केवल उन्हीं विदेशी मालों के लिये आदेश दिया जाता है जो बचत और माल के गुण की एकरूपता के साथ देश में न मिल सकें । गुण के प्रश्न पर भी सरकार उचित मामलों में निर्देशन के कठोर स्तरों को कम करने के लिये और मूल्य का लाभ देने के लिये सदा तैयार रहती है । हाल में यह निश्चय किया गया है कि घरेलू और छोटे मोटे उद्योगों पर विशेष आग्रह किया जाये और क्रय-नीति ऐसी हो कि इनको अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया जा सके । उस नीति के विवरणों को बताने के लिये मैं सदन का समय न लूंगा पर इतना कहना काफ़ी है कि यह नीति ऐसी बनायी गई है कि गुण और प्राप्ति-तिथि

[सरदार स्वर्ण सिंह]

जैसी बुनियादी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकारी आवश्यकताओं के लिये खरीद के समय दूसरे निर्माताओं की अपेक्षा घरेलू और छोटे मोटे उद्योगों के सामानों को वरीयता दी जाये । यह बिलकुल ताजा निश्चय है ; यह ऐसा पवित्र निश्चय नहीं कि लिखा हुआ ही बना रहे बल्कि इसे वस्तुतः कार्यान्वित करने के लिये प्रबन्ध किये जा रहे हैं । स्थिति की समय समय पर निरन्तर जांच होती रहेगी और यदि पता चला कि इस सिद्धान्त को छोड़ा जा रहा है तो घरेलू और छोटे मोटे उद्योगों को वरीयता देने की इस नयी सरकारी नीति को कार्यान्वित करने के लिये प्रभावी पग उठाये जायेंगे । मैं यह भी बता दूं कि इन सामानों के बारे में सरकार कुछ निर्देशनों को हलका कर देने और मूल्य का लाभ देने के लिये भी तैयार रहेगी । सदन मानेगा कि यह निर्णय साधारण नहीं है और मौक़े-बेमौक़े आलोचना करने वाले मेरे माननीय मित्र भी यह मान लेंगे कि यह निर्णय देश के सर्वाधिक हित में है, क्योंकि हमारे देश के देहाती विकास में घरेलू और छोटे-मोटे उद्योगों के विकास का प्रधान महत्व है ।

अब लेखन सामग्री तथा मुद्रण कार्यालय में छंटनी के बारे में कुछ शब्द जिस पर कुछ जानने के लिये सदन के उस ओर पीछे की बैंच पर बैठे हुए मेरे माननीय मित्र अधीर हो रहे थे । मुझे कोई सन्देह नहीं कि उनके आंकड़े बिलकुल ग़लत हैं, पर मैं कह दूं कि सदन के उस भाग में आंकड़ों पर विशेष महत्व नहीं दिया जाता । जैसा मैं ने कहा, कलकत्ते के लेखनसामग्री तथा मुद्रण कार्यालय में छंटनी के बारे में उनके आंकड़े नितान्त गलत हैं, उन के इस आरोप में जरा भी सचाई नहीं है कि १०,००० कार्यकर्त्ताओं की छंटनी कर दी गयी है । वास्तव में हुआ यह था कि कुछ समय पहले .....

श्री रघवय्या (ओंगोल): मैंने केन्द्रीय जन वास्तु विभाग का निर्देश किया था, लेखन सामग्री तथा मुद्रण कार्यालय का नहीं ।

सरदार स्वर्ण सिंह : यदि वह आंक केन्द्रीय जन वास्तु विभाग के बारे में हैं तो मैं बता दूं कि उनकी १०,००० संख्या १०८ के बराबर है जिन में ७९ को फिर लगा दिया गया है और २९ को उपस्थिति-पत्र पर काम देने का वादा किया गया था । यही कुल संख्या है । मुझे हर्ष है कि कलकत्ते के लेखनसामग्री तथा मुद्रण कार्यालय के बारे में दी गयी भारी संख्या वाली अपनी स्थिति से वह हट गये हैं । मुझे पता नहीं कि अब वह किस संख्या पर डटे हैं । मेरा अनुमान है कि अब वह किसी संख्या पर नहीं डटे हैं **(एक माननीय सदस्य : शून्य पर)** ।

मुझे मिली सूचना के अनुसार इस कार्यालय से एक भी आदमी की छंटनी नहीं हुई है ।

श्री रघवय्या : मैं ने कलकत्ता के प्रेस-कर्मचारी संघ के स्मृतिपत्र से यह संख्या दी थी ।

सरदार स्वर्ण सिंह : जी हां, मेरे माननीय मित्र के साथ मुश्किल यही है कि किसी संस्था का पत्र मिलते ही वह उस के आधार पर चलने लगते हैं और मंत्रालय को या मुझे निर्देश कर आंकड़ों की जांच करने की परवाह नहीं करते हैं । मैं तो माननीय सदस्य के लिये सदा प्राप्य हूं । हम में विचार-भेद हो सकता है, हम नीति में सहमत नहीं हो सकते, पर मुझे कोई सन्देह नहीं कि गणित के विषय में तो हमें सहमत होना ही होगा । यदि उन्होंने वह आंकड़े मुझे बताये भर होते

तो मैं उनकी जांच करा कर उनको सच-सच सूचना दे देता । मुझे मिली सूचना के अनुसार एक साधारण सी बात हुई है और मुझे यकीन है कि आंक समिति की सिफ़ारिश के अनुसार उठाये गये पग का सदन में आदर किया जायेगा । लेखनसामग्री तथा मुद्रण कार्यालय में पुनःसंठगन करने के लिये एक विभागी समिति बैठायी गयी थी । इस समिति ने पूरे मामले की जांच की और प्रेसों तथा लोगों के दूसरी जगह ले जाने से होने वाली बचतें सुझाईं । मैं इन प्रस्तावों के विवरणों को नहीं लेना चाहता, पर मैं नहीं कहना चाहता हूं कि इस समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार हमने तुरन्त कार्यवाही की, फलतः लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाना पड़ा । पर छंटनी का कोई प्रश्न ही न था और एक भी आदमी की छंटनी नहीं की गई । व्यवहारतः सभी के लिये विभाग में ही वैकल्पिक जगह दी गई । इस पर मेरे माननीय मित्र द्वारा दिखायी गई वक्तत्व-चातुरी की गुंजाइश मुश्किल से थी । सब से बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मेरे माननीय मित्र उन उत्तरदायित्वहीन सूचना देने वालों पर हमारे द्वारा दिये गये आंकड़ों समेत सच्चे विवरणों की अपेक्षा अधिक ध्यान देते हैं, और आंकड़ों के विषय में माननीय वित्त मंत्री की शिकायत को मैं भी सच मानता हूं । किसी न किसी प्रकार आंकड़ों को ताक पर रख कर इन मज़दूर संघों के आत्म-रचित संगठनों के अस्पष्ट आरोपों को अपेक्षतया अधिक महत्व दिया जाता है । इस विषय में मुझे और कुछ नहीं कहना है ।

एक और महत्वपूर्ण बात का मैं निर्देश करना चाहूंगा, वह है गृह-व्यवस्था जिसके बारे में मुझे काफ़ी विश्वास है कि सदन कुछ जानना चाहेगा । गृह-व्यवस्था इस मंत्रालय के कार्यों का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग बनने जा रही है—गृह-व्यवस्था भी केवल इस साधारण अर्थ में नहीं कि सरकारी कर्मचारियों और सरकारी अफ़सरों के लिये गृह व्यवस्था, बल्कि जनसाधारण के लिये भी गृह-व्यवस्था । वह हमारा आकांक्षित कार्यक्रम है । हम इसे कैसे कार्यान्वित करेंगे, कैसे पूरा करेंगे—इस बात पर मंत्रालय द्वारा आजकल सक्रिय ध्यान दिया जा रहा है । वस्तुतः आयव्ययक में औद्योगिक गृह-व्यवस्था के लिये काफ़ी धनराशि का उपबन्ध है । मैं अभी उस योजना के विवरणों को नहीं ले रहा हूं, क्योंकि वह अभी विचाराधीन मांगों का विषय नहीं है । पर मोटे रूप में वह योजना विशेषतः उद्योग-क्षेत्रों की गंदी बस्तियों को स्वच्छ करने के लिये है । वह उद्योग क्षेत्रों तक सीमित है और देश के इस भारी कलंक को मिटाने के लिये अपना हिस्सा देने में केन्द्रीय सरकार अपने उत्तरदायित्व को मान रही है । योजना राज्य-सरकारों से परामर्श कर के बनायी जा रही है क्योंकि राज्य सरकारों, मालिकों और केन्द्र सभी को इसमें योग देना होगा और मुझे भरोसा है कि एक सन्तोषप्रद उपाय एक उपयुक्त साधन योजना के सर्वाधिक हित की बात सोचने के लिये और प्रभावी तथा कार्यक्षम रूप में इसे कार्यान्वित करने के लिये खोज लिया जायगा ।

औद्योगिक गृह-व्यवस्था के अलावा साधारण गृह-व्यवस्था अर्थात् गंदी बस्तियों की सफ़ाई और देहाती गृह-व्यवस्था पर भी सरकार ध्यान दे रही है । मुख्य समस्या धन की होगी । पर वित्त के अलावा और भी बातें हैं जिन पर उचित पड़ताल करने से देश के जनसाधारण की यह भारी शिकायत कम हो सकेगी ।

इस बारे में मैं यह भी बता दूं कि सरकार एक विधान भी लाने का विचार कर रही है, जिससे एक केन्द्रीय गृह-व्यवस्था पर्षद् तथा

[सरदार स्वर्ण सिंह]

कई प्रादेशिक गृह-व्यवस्था पर्षद् बनाये जा सकेंगे और सम्बन्धित विविध पक्षों के उत्तरदायित्व का प्रवर्तन वैध आधार पर किया जा सकेगा । सरकारी उत्तरदायित्व इस विषय में बहुत है पर जनता का उत्तर-दायित्व इस से भी अधिक है । बहुत सीमा तक विशेषतः मध्य वर्ग के लोगों में यह उप-क्रम निजी रूप में होगा । उपयुक्त स्थलों और पदार्थों के प्राप्त कराने में सरकार उनकी सहायता करेगी, और कुछ मामलों में एक न एक रूप में कुछ वित्तीय सहायता भी देगी । पर सब कुछ जनता के सहयोग और जनसाधारण के उत्साह पर निर्भर होगा ।

श्रीमान्, अपनी समयावधि का उल्लं-घन करने के लिये मुझे क्षमा करें । मुझ जो थोड़ा समय मिला है उस में मैं सभी पहलुओं की चर्चा नहीं कर सका हूं । मैं ने केवल थोड़ी महत्वपूर्ण बातों को ही लिया है और विवरणों वाली कुछ छोटी-मोटी बातों को मैं नहीं ले सका । पर मैं माननीय सदस्यगण को विश्वास दिलाता हूं कि उनके द्वारा उठायी गयी बातों की उचित पड़ताल कर के उप-युक्त कार्यवाही की जायेगी । यदि इस थोड़े से समय में मैं मंत्रालय की कार्यवाहियों का अपेक्षतया अधिक विशद और विशाल चित्र अंकित नहीं कर सका हूं तो इसकी त्रुटि और अपरिपक्वता पूर्णतः मुझ में है, मेरे मंत्रालय में नहीं ।

श्री बी० एन० तिवारी (जिला कानपुर—उत्तर व जिला फर्रुखाबाद—दक्षिण): और इस सदन की कार्यवाही का मुद्रण ? उस में असाधारण देर होती है ।

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं निश्चय ही पड़ताल करूंगा और जल्दी करवाऊंगा ।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : श्रीमान्, मैं शुरू में ही कह दूं कि यदि मैं अपनी समयवधि का उल्लंघन कर जाऊं तो मैं उसके लिये आपकी और अपने साथी श्रम मंत्री की कृपा पहले से ही चाहता हूं । उठायी गयी बातें बहुत सी हैं और यदि मैं मोटे रूप में ही और उन में से थोड़ी सी बातों का ही उत्तर दूं तब भी मुझे मिले आधे घंटे के समय से कुछ अधिक समय लग जायेगा । साथ ही प्रभावी उत्पादन के लिये मुझे अपनी साथी श्रम मंत्री जी के सद्भाव और हार्दिक सहयोग पर निर्भर रहना पड़ेगा, और मैं उनकी समयावधि को लेकर शरू में ही उनका दुर्भाव अर्जित नहीं करना चाहता ।

मेरे लिये यह प्रसन्नता की बात है कि इस नये मंत्रालय के जन्म का सभी के द्वारा स्वागत किया गया है । न केवल सदन में भाषण देने वाले सदस्यों बल्कि प्रेस और जनसाधारण द्वारा भी इसका उन्मुक्त स्वा-गत किया गया है । यह मेरे लिये वस्तुतः भारी विशेषाधिकार जैसी बात है कि मुझे इस नये मंत्रालय का भार संभालने के लिये चुना जाये । मैं अपने मित्रवर श्री बी० दास द्वारा, जो सदन के एक बहुत पुराने सदस्य हैं, दी गई बधाइयों के लिये उनको हार्दिक धन्यवाद दूंगा । उन्होंने यह आशा भी प्रकट की थी कि मेरे राज्य अर्थात् मैसूर को उद्योग-क्षेत्र में विशेषतः राजकीय उपक्रम शुरू करने और चलाने में काफ़ी सुयश मिलता रहा है और वह मेरे काफ़ी काम आयेगा । किसी गर्व या आत्मप्रशंसा के रूप में नहीं, बल्कि वैसे भी मैं समझता हूं कि मैसूर में इन राज्य उपक्रमों के चलाने में मुझे मिला अनुभव मेरे नये उत्तरदायित्वों के पालन में बहुत काम आयेगा ।

कुछ सदस्यों ने इस मंत्रालय के विषय, सीमा या यों कहिये कि अधिकार-क्षेत्र का निर्देश किया है । निःसन्देह उत्पादन का क्षेत्र बड़ा

विस्तृत और विशद है । उदाहरणार्थ खाद्य-उत्पादन ही लें, जो उत्पादन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है । वह निश्चय ही इस मंत्रालय का विषय नहीं । वह उत्तरदायित्व मेरे माननीय साथी श्री रफ़ी अहमद किदवई के कन्धे पर है । औद्योगिक पदार्थों को ही लें, तब भी सब प्रकार के पदार्थों का उत्पादन इस मंत्रालय का विषय नहीं है । बहुत से उद्योग निजी उपक्रमों में गिने जाते हैं । उदाहरणार्थ वस्त्र, सीमेंट, काग़ज, चीनी आदि-आदि, इन सारे उद्योगों का संचालन साधारणतः निजी उपक्रम द्वारा होता है । और न्यायोचित रूप में वे वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधिकार-क्षेत्र में हैं । राज्य-उपक्रमों के विषय में भी जिसमें कि उत्पादन मंत्रालय को अपने आपको सीमित रखना है, ऐसी बात नहीं कि पूरे देश के राज्य द्वारा चलाये जाने वाले सभी उद्योग केन्द्र के उत्पादन मंत्रालय के अधिकार-क्षेत्र में जायेंगे । माननीय सदस्यों को विदित है कि मैसूर जैसे राज्यों में, हैदराबाद में, और कुछ सीमा तक त्रावणकोर तथा दूसरे राज्यों में भी राज्य द्वारा चलाये जाने वाले उद्योग हैं । सम्बन्धित राज्यों द्वारा विविध मात्रा में सफलता के साथ उनका निरीक्षण हो रहा है, और इस मंत्रालय का उन पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं है । यदि इस मंत्रालय को वहां कुछ करना भी है, तो वह है बस पारस्परिक सहयोजन का काम ।

इसलिये इस मंत्रालय का क्षेत्र मैं यह न कहूंगा कि बिलकुल सीमित है बल्कि एक विशेष रीति से सीमित है और कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक ही विस्तृत है । वहां पर भी कुछ सदस्यों ने एक जिज्ञासा की थी कि "राज्यों द्वारा चलाये जाने वाले कुछ उद्योग इस मंत्रालय के अधिकार-क्षेत्र में क्यों नहीं आते ?" मैं अभी उस प्रश्न को नहीं लेना चाहता । यह जरूरी नहीं । यह आन्तरिक समन्वय का प्रश्न है । एक माननीय सदस्य ने कहा था कि उत्पादन मंत्रालय एक अवशिष्टांश मंत्रालय है । यदि माननीय सदस्य रसायनशास्त्र के पटु छात्र होते तो उन्हें विदित होता कि अवशिष्ट अंश भी अत्यन्त बहुमूल्य और बड़े उपयोग का होता है । वस्तुतः वह उस अर्थ में अवशिष्टांश मंत्रालय नहीं, जिसमें उन्होंने शायद इसे समझा है और हमें बताना चाहते हैं । यह भी मान लिया जाये कि हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड उत्पादन मंत्रालय के क्षेत्र में नहीं है बल्कि रक्षा विभाग में मेरे माननीय साथी श्री गोपालस्वामी आयंगर के संरक्षण और नियंत्रण में है, न टेलीफ़ोन उद्योग ही इसके अधीन है, जो मेरे साथी श्री जगजीवन राम के सुनिरीक्षण में है, न चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशौप ही इसके अधीन है, जो मेरे माननीय साथी श्री लाल बहादुर शास्त्री के अधीन रेलवे का एक उद्योग है, इन सब को छोड़ कर भी—मैं साधारणतः कह सकता हूं कि इस बंटवारे में कुछ दृढ़ नियम नहीं है, यह बहुत कुछ लचीला है और जो कुछ हमें करना है उसके लिये अपना रास्ता निकाल लेंगे—जो बचे हुए उपक्रम हैं या जो तथाकथित अवशिष्टांश हैं वे भी बड़े महत्वपूर्ण हैं ।

९ म० पू०

मैं इस मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सभी उद्योगों की सूची नहीं देना चाहता । वे लगभग ८—९ हैं । उन में नमक और कोयला जैसे अत्यावश्यक पदार्थ भी हैं । ये सब इस मंत्रालय के अधीन हैं । मेरे मित्र श्री दास ने कहा था कि मेरी माननीय कार्यबन्धु राजकुमारी अमृत कौर ने मुझे हाउसिंग फ़ैक्टरी सौंपी है । हां, वह मुझे मिली है, और ऐसे ही और भी कार्य मिले हैं । सब मिला कर मेरे पास दसेक औद्यो-

[श्री के० सी० रेड्डी]

गिक उपक्रम हैं । इन सब का कार्य ठीक चल रहा है और मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वे उचित रूप में आगे बढ़ें ताकि उन से हमारे देश का भली प्रकार से निर्माण हो सके ।

फिर मेरे एक माननीय मित्र ने यह जिज्ञासा की थी : 'अच्छा उत्पादन मंत्रालय बन गया, राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में इसका निर्देश कर दिया । बस इतना ही ? क्या सरकार नये मंत्रालय के बन जाने की घोषणा कर के और अपने आप इसे अद्भुत कार्य बता कर अपने मुंह मियां मिट्ठू बन कर ही रह जाना चाहती है ?' इसके उत्तर में मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा : नहीं, सरकार को ऐसी कुछ आत्मश्लाघा अभिप्रेत नहीं है ।

नीति के बारे में कहा गया था कि वह कहां है, कहां पर उद्घोषित की गयी है ? इस बारे में अपने भाषण के अन्त में मैं बता-ऊंगा कि राज्य द्वारा उद्योगों के शुरू किये जाने और चलाने के बारे में सरकार की नीति क्या रही है और आगे क्या होगी । पर अभी मैं माननीय सदस्य तथा सदन से भारत सरकार द्वारा १९४८ में दिये गये नीति-वक्तव्य का निर्देश करूंगा, जिसका बाद में हमारे नेता प्रधान मंत्री द्वारा लगभग अप्रैल १९४९ में स्पष्टीकरण कर दिया गया था । ये दोनों विवरण ही भारत सरकार की औद्यो-गिक-नीति बताते हैं ।

ये साधारण बातें कहने के बाद अब मैं अपने अधीन राज्य-उपक्रमों के बारे में की गयी कुछ आलोचनाओं को लूंगा । मैं पहले सिंदरी को लूंगा, जिसके बारे में एक मान-नीय सदस्य ने कहा था कि इसे आपने १० करोड़ पूंजी-व्यय के अनुमान से शुरू किया था और जिस पर आप २३ करोड़ रुपये व्यय कर चुके हैं । क्या अनुमान का यह निपुण तरीक़ा है ? क्या भारत सरकार द्वारा उद्योगों के चलाने में यह सावधानी बरती जाती है ? और अन्त में उन्होंने यह या ऐसा ही कुछ कहा था कि हमारे स्रोत — भारत सरकार के वित्तीय रुत—इस प्रकार बहाये गये, तो परमात्मा ही हमें बचा सकेगा । मैं माननीय सदस्य से सादर कहूंगा कि उन्हें ठीक सूचना नहीं मिली है । यह सच है कि पूंजी-व्यय बढ़ गया है । मैं जानना चाहूंगा कि दुनिया के किस कोने में कौन सा राज्य द्वारा चलाये जाने वाला उद्योग या कौन सा निजी उद्योग भी, मूल ऑक्कलनों में ही पूरा हो गया है ? निःसन्देह अन्तर पड़े हैं । पर यदि मेरे माननीय मित्र को कुछ अनुभव होता कि ये उद्योग कैसे शुरू किये जाते हैं और चलाये जाते हैं, तो उन्होंने ऐसा सर्वसामान्य और सर्वव्यापी वक्तव्य न दिया होता । मैं कहना चाहूंगा कि इस उद्योग के चलाने में मनुष्य-संभव प्रायः पूरी सावधानी बरती गई है । निःसन्देह अन्तर हुए होंगे, इधर उधर कुछ त्रुटियां रही होंगी । इस प्रकार के पेचीदे राष्ट्रीय उद्योग के बारे में हम कैसे कह सकते हैं कि हम परिपक्व हैं ? त्रुटियां होंगी ही । हमने पिछले अनुभव से सीखा है, और हम आगे सुधार करने जा रहे हैं । पर इधर उधर कुछ विवरण पकड़ कर सर्व-साधारण बात कहते समय हमें मुख्य बात नहीं बिसरा देनी चाहिये । सिंदरी के बारे में मैं कहूंगा कि यह इस राज्य द्वारा स्थापित एक अत्युत्तम राष्ट्रीय उद्योग है और हमें इसका गर्व होना चाहिये । यह एशिया में वृहत्तम उद्योग है मानव प्रतिभा, शक्ति, राष्ट्रीय स्रोत तथा विदेशी सहायता सब के मिलने पर यह खड़ी हुई है । अक्तूबर तक या इस साल के अन्त तक ३ १/२ लाख के अमोनियम सल्फ़ेट का अधिकतम निकास होने लगेगा । यह बिसरा दिया जाता है कि इस

कृषिसार के उत्पादन से निश्चय ही खाद्य-उत्पादन प्रभावी रूप में बढ़ जायेगा। एक गणना है कि इससे हमारा खाद्य उत्पादन १० लाख टन और बढ़ जायेगा, और हम प्रति वर्ष १० करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा से बचा सकेंगे। क्या सब को एक साथ घसीट कर सब की एक साथ निन्दा कर यह बात बिसरायी जा सकती है ? यह भी भुला दिया जाता है कि आगे चलकर यह उद्योग देश में रसायन उद्योग का भारी आधार बनेगा। बहुत थोड़े लोग इसे जानते हैं। राज्य-उपक्रमों की निन्दा करने वाले तथा कुछ दूसरे माननीय सदस्यों ने रक्षा मंत्रालय का निर्देश किया था, पर यह भुला दिया जाता है कि पूर्णतः विकसित होने के बाद कृषिसार उद्योग का रक्षा-उद्योगों के लिये भी भारी महत्व है। यदि हम ये सब बातें ध्यान में रखें, तो मैं समझता हूं कि इस उद्योग की इस सर्वांगीन निन्दा के लिये कोई औचित्य नहीं रह जाता। मैं माननीय सदस्य से मंत्रालय द्वारा सिंदरी कृषिसार के सम्बन्ध में १९५० में प्रकाशित की गयी पुस्तिका का निर्देश करूंगा। मैं समझता हूं कि यदि वे पुस्तकालय जाने का कष्ट उठायें तो वे ऑक्कलनों के बढ़ जाने का सविवरण कारण जान जायेंगे, और यह भी जान जायेंगे कि यह कारखाना आजकल क्या कर रहा है और आगे क्या करने जा रहा है ? मेरे पास समय नहीं, अन्यथा मैं ने सदन के सामने विवरण रख दिये होते और अपने माननीय मित्र को भी कायल कर दिया होता। कठोर से कठोर आलोचक भी कायल हो जायेगा कि हम ने जो कुछ किया है अच्छा ही किया है। भारत सरकार ने उपोत्पादों जैसे कि कैलशियम कारबोनेट स्लज के उपयोग के प्रश्न को भी हाथ में लिया है। उस से सीमेंट बनाने की योजना प्रायः पूरी हो चुकी है। दूसरे उपायों से भी लागत बनाने का विचार है। और लगभग ढाई करोड़ रुपये की लागत पर एक पत्थर के कोयले की भट्टी वाले संयंत्र के चलाने की योजना हाल ही में स्वीकृत की गयी है। एक नया यूरिया-प्लांट लगाने का भी प्रस्ताव है। इस कारखाने के कई पहलू ऐसे हैं, जिनके विकसित होने की सम्भावना है। पर समय की कमी के कारण मैं अभी इस की चर्चा न कर सकूंगा। यदि आवश्यक हुआ, तो किसी दूसरे मौके पर मैं सदन को इस कारखाने के और विवरणों का परिचय दूंगा। एक बार मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह वह कारखाना है, जिसका हमें गर्व हो सकता है।

फिर मैं मशीन-टूल-फैक्टरी को लेता हूं। एक माननीय सदस्य को यह प्रश्न पूछते देख मुझे आश्चर्य हुआ था कि यह अपव्यय क्यों? मशीन टूल फ़ैक्टरी की क्या आवश्यकता है ? हम अपने वित्तीय साधनों को दूसरे कार्यों में क्यों न लगायें ? शायद डायमंड हारबर से आये श्री बसु ने ये प्रश्न किये थे। मुझे यह कहते हुए खेद है कि उन्होंने इन प्रश्नों पर पूरा विचार नहीं किया है। मुझे आशा है कि मुझे ग़लत न समझा जायेगा। उन को पता होना चाहिये था कि इस कारखाने का कार्य क्षेत्र कितना है। उन्होंने कहा कि पहले से ही कारखाने विद्यमान हैं, और निजी उद्योगों को यह काम सौंपा जा सकता है। १६ श्रेणीकृत और १०० अश्रेणीकृत निजी कारखाने हैं। वे प्रति वर्ष ४० लाख रुपये तक की क़ीमत के एक विशेष प्रकार के मशीनी पुर्जे बना रहे हैं। वे साधारण और आरम्भिक पुर्जे ही बनाते हैं, वर्तमान परिच्छिन्नी पुर्जे नहीं, जो न केवल साधारण उपयोग के लिये आवश्यक हैं, बल्कि रेल और रक्षा के लिये भी आवश्यक हैं। यह कारखाना इस कमी को भरना चाहता है। यह लगभग ४ करोड़ रुपये प्रति वर्ष की क़ीमत के आधुनिक तथा परिच्छिन्नी-पुर्जे पैदा करना चाहता है और जब उत्पादन

[श्री के० सी० रेड्डी]

पूरी तेजी से होने लगेगा, हम ९०० तीव्र गति वाले, खरादी-पहिये, ४६०पेषण-मशीनें (मिलिंग मशीन) और २४० भारी काम वाले बरमें पैदा करने लगेंगे। एक दंतीले-पहिये काटने वाला और ढलाई का कारखाना भी खड़ा किया जायेगा। यह अत्यन्त महत्व-पूर्ण उद्योग है और मैं आलोचकों समेत सभी माननीय सदस्यों से यह समझने की प्रार्थना करूंगा कि यह अत्यन्त आवश्यक उद्योग है और सभी को इस उद्योग पर कीचड़ उछालने की अपेक्षा या दुर्भाग्य से दो मान-नीय सदस्यों द्वारा की गयी आलोचना जैसी आलोचना करने की अपेक्षा इसकी प्रगति और समृद्धि के लिये सद्भावना का कोष खड़ा करने की ही चेष्टा करनी चाहिये।

फिर मैं तेल-शोधक कम्पनियों को लेता हूं। इस सम्बन्ध में मैं गोदावरी पूर्व से आये माननीय सदस्य के बारे में एक शब्द कहूंगा, जिन्होंने पहली बार संसद् में आने के कारण कहा था कि वह पहली बार दूल्हे के सामने जाने वाली दुलहिन जैसे ही हैं। और उन्होंने कहा था कि उन के साथ कोमल व्यवहार किया जाये : मैं तो सदा ही कोमल व्यवहार के पक्ष में हूं पर माननीय सदस्य द्वारा की गयी सख्त चोटें ऐसी हैं कि मेरी भी तबियत वैसी ही सख्त चोटें करने की होती है, पर उनके अनुरोध को मान मैं उनके साथ कोमल व्यवहार ही करूंगा। तेल-शोधक-कम्पनियों के बारे में उन्होंने बहुत कुछ यही कहा था कि आपने "देश को बंधक रख दिया है", शायद उन्होंने यह भाषा प्रयुक्त नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि कुछ कम्प-नियों के साथ क्रूड आयल के शोधन का सम-झौता करके हमने भारी भूल की है। शायद उन्होंने समझौते को 'अत्यन्त कलंकित' या ऐसा ही कुछ बताया था। जहां तक इसका सम्बन्ध है मुझे यही कहना है कि मैं ने स्वयं लेख्यों का अवलोकन किया है। इस विषय से इसमें अंकुर फूटने के समय से ही सम्बद्ध रहने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। मैं सदन को और विशेषतः माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि इन विदेशी स्वार्थों से यथासम्भव अधिक लाभप्रद समझौता करने के लिये पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। और मुझे यह कहना है कि जब शोधित तेल का उत्पादन शुरू हो जायेगा, जिसके लिये हमने स्टैंडर्ड वैकुअम आयल कम्पनी और बर्मा शेल के साथ समझौता किया है और जिसके लिये कैल्टैक्स के साथ समझौता होना सम्भव है, हम अन्त में इतना तेल पैदा करने लगेंगे, जो हमारी आवश्यकताओं के लिये बहुत कुछ पर्याप्त होगा। यह देश जो आज तेल पैदा करने वाले देशों की सूची में सब से पीछे की ओर है, पहले बीस देशों की सूची में बहुत ऊपर आ जायेगा। यह एक मार्के की बात होगी और मैं माननीय सदस्य-गण को सूचित करना चाहता हूं--मुझे पता नहीं कि मैं समझौते की प्रति सदन-पटल पर रख सकूंगा--समझौते की मुख्य बातें बताने में कोई हानि नहीं है। यदि माननीय सदस्य-गण समझौते को देखें तो उन्हें पता चलेगा कि यथासम्भव पूरी सावधानी रखी गई है। मेरे माननीय मित्र ने २५ वर्ष की अवधि का निर्देश किया था। फ़र्म मूलतः ३० वर्ष चाहती थी पर हम ने काटकर २५ वर्ष कर दिया, और हम ने यथासम्भव लाभ प्राप्त कर लिये हैं। यद्यपि इन समवायों को सुवि-धायें दी गई हैं. पर वे इस देश के एक मात्र राष्ट्रीय हित को ध्यान रख कर ही दी गई हैं और यदि आप लाभों और हानियों की तुलना करें, तो मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि सुविधायें दे कर हमें हानि की अपेक्षा लाभ ही अधिक हुआ है। मैं समझता हूं कि मेरी माननीया मित्र श्रीमती सुचेता

कृपलानी ने रक्षा या विदेश विभाग की मांग पर अपने भाषण के सिलसिले में कहा था कि अखिल भारतीय निर्माता संघ ने इस समझौते पर आपत्ति की है । अखिल भारतीय निर्माता संघ का अभिमत आदर की वस्तु है, पर उन के द्वारा की गई आलोचना का मुझे ठीक-ठीक पता नहीं है । मैं चार-पांच दिन से इसे प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा हूं । पर रेडियो की एक घोषणा के सिवा और कुछ लेख अभी तक नहीं मिल सका है और जैसे ही यह मुझे प्राप्त होगा, मैं इसे देख कर यह जानने की चेष्टा करूंगा कि क्या उन की इस आलोचना का कुछ आधार भी है ।

फ़िर मैं पेनीसिलिन और डी० डी० टी० कारखानों की ओर आता हूं । मेरे लिये विनोयोजित-पूंजी और किये गये समझौते के विवरणों की चर्चा करना सम्भव नहीं । डी० डी० टी० के बारे में हम देश की १,००० टन की मांग के आगे ७०० टन पैदा करने लगेंगे । मेरे माननीय मित्र श्री दास ने एक बात उठायी थी । उन्होंने पूछा था: यह राज्य-उपक्रम क्यों ? पन्द्रह वर्ष बाद क्या होगा ?

श्री बी० दास: मैं ने पेनीसिलिन कारख़ाने के बारे में पूछा था दूसरे कारख़ानों के बारे में नहीं ।

श्री के० सी० रेड्डी: मैं पेनीसिलिन और डी० डी० टी० का निर्देश कर रहा हूं । मैं इतना कह सकता हूं कि वे भी अत्यावश्यक कारख़ाने हैं । वस्तुतः यदि हमें रोग से मोर्चा लेना है और अपनी जनता का स्वास्थ्य सुधारना है, तो यह अत्यावश्यक है कि हम अपनी निजी डी० डी० टी० और पेनीसिलिन पैदा करें । यह तो व्यक्तिगत अभिमत का विषय है कि इसे राज्य-उपक्रम की भांति अपने हाथ में लिया जाये या निजी उपक्रम को सौंप दिया जायं । पर जब हमें विश्व स्वास्थ्य-संघ और संयुक्त राष्ट्र-अन्तर्राष्ट्रीय शिशु संकट कोष जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संघों से समझौता करना होता है, तो इसे लाभ-संतुलन की दृष्टी में निजी-उपक्रमों के लिये छोड़ने की अपेक्षा हमारे लिये राज्य-उपक्रम के रूप में ही इसका चलाना अधिक अच्छा रहेगा । यह प्रश्न पूछा गया था कि १५ वर्ष बाद इसका क्या होगा ? मैं अनेकों दूसरी मानवीय योजनाओं के बारे में यही प्रश्न पूछूंगा कि ५० वर्ष बाद इसका क्या होगा ? १०० वर्ष बाद इसका क्या होगा ? हम इस प्रश्न को इस रूप में नहीं देख सकते । मान लीजिये पूरी धारणा बदल जाती है और पूरी दुनिया बदल जाती है तो क्या होगा ? यदि दस वर्ष बाद पेनीसिलिन बेकार हो जाती है और कोई दूसरी वस्तु इसका स्थान ले लेती है, तो हम क्या कर सकते हैं । आज हमें इस की ज़रूरत है, भारी ज़रूरत है । हम इसका आयात कर रहे हैं और बहुत सा रुपया और बहुमूल्य विदेशी-मुद्रा इस पर व्यय कर रहे हैं । हम क्यों इसका आयात करते रहें ? इसमें विनियोजित होने वाली पूंजी भी विशेष नहीं है । मुझे कोई कारण नहीं दीखता कि हम इस योजना को लेकर आगे क्यों न बढ़ें ?

फिर मैं विज़गापट्टम पोतघाट (शिप-यार्ड) को लूंगा । यह बहुत बड़ा उद्योग है । मैं समझता हूं कि शायद पूर्व गोदावरी के माननीय सदस्य ने यह कहा था कि वह नई दुलहिन से हैं, और उनके साथ मृदु व्यवहार होना चाहिये, उन्होंने ही कहा था कि विज़गापट्टम पोतघाट फ़्रांसीसी कम्पनी को सौंप दिया गया है और उन्होंने पूछा था कि हमारी सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता का क्या होगा ? हमारी सेना की कमान अंग्रेज़ों के हाथ में है, पोत फ़्रांसीसियों के हाथ में हैं, तेल-शोधक

[श्री के० सी० रेड्डी]

कम्पनियां अमरीकनों के हाथ में, तो हमारी सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता कहां है और ऐसा होने पर हम तटस्थ नीति कहां तक रख सकते हैं ? मैं उन से यही कहूंगा कि हम आधुनिक दुनिया में रह रहे हैं । यदि आज कोई अपने आपको निभृत आगार में बन्द कर यह समझता है कि वह सब कुछ अपने आप कर लेगा, वह अपनी अवर्णनीय दुनिया में ही रहता है । स्वस्थ परस्पर-निर्भरता या लेन-देन तो होना ही चाहिये । यदि वित्तीय सहायता हमें अपनी शर्तों पर मिलती है, तो हमें ले लेनी चाहिये । अपने देश के निर्माण का यही तरीक़ा है । विज़गापट्टम पोतघाट के बारे में यह कहते समय कि वह फ़्रांसीसी फ़र्म को सौंप दिया गया है, वह बिल्कुल असत्य बात कर रहे थे, जो सच नहीं है । हमने इसे सौंपा नहीं है, यह अब भी हमारे नियंत्रण में है । एक परिसीमित दायित्व वाली कम्पनी खड़ी की गयी है, जिसमें सरकार के कुछ अंश हैं और सिंधिया के कुछ अंश हैं । एक संचालक पर्षद बनाई गई है । यह फ्रांसीसी कम्पनी हमें प्राविधिक सहायता और डिज़ाइनें आदि हमारे लिये मान्य शर्तों पर देने को तैयार हो गई है ; यदि माननीय सदस्य कहते हैं कि हम ने विज़गापट्टम पोतघाट विदेशी फ़र्म को सौंप दिया है, तो मैं कहूंगा कि वह असत्य कह रहे हैं । अभी मैं इन सब आलोचनाओं में गम्भीररूप से चाव लेता हूं, शायद आगे ऐसा न हो पाये ।

राष्ट्रीय इंस्ट्रूमेंट और टेलीफोन-तार कारख़ाने का कोई निर्देश नहीं किया गया । सदन में गृह व्यवस्था कारख़ाने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । मैं इस कारख़ाने से सम्बन्धित सदन की प्रश्न और उत्तर समेत सारी कार्यवाहियां पढ़ गया हूं । श्री दास ने कहा था कि यह एक अवांछित बच्चा मुझे सौंपा गया है । लोग मुझे ग़लत न समझें, मैं यही कहूंगा कि कभी कभी बच्चों को चेचक-खसरा आदि बीमारियां लग जाती हैं । हो सकता है कि इस कारख़ाने को ऐसा कुछ रोग हुआ हो । अब यह चंगा हो गया है । हम इसे आगे बढ़ा कर इसका सदुपयोग करना चाहते हैं । आजकल मैं इसी पहलू पर ध्यान दे रहा हूं । व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूं कि इस कारख़ाने का भविष्य अच्छा है और इससे सम्बन्धित हमारे नये प्रस्ताव इसे देश की भलाई के लिये पुनःसंगठित कर देंगे ।

नाहन-फांउंड्री को छोड़ मैं सभी राज्य-उपक्रमों की चर्चा कर चुका हूं, और उसका इस समय निर्देश आवश्यक नहीं । अब मैं कोयले को लेता हूं । कोयले के सम्बन्ध में हमारी नीति की कुछ आलोचनायें की गई हैं । कोयले के बारे में मैं बतायी गयी एक दो बातों का निर्देश करूंगा । समय न होने से मैं विवरणों को न ले सकूंगा । पर मैं यही कहूंगा कि जहां तक हमारे कोयला-संसाधनों का सम्बन्ध है, सब मिलाकर हमारे देश में कोयले का काफ़ी भंडार है । हमारी वर्तमान उपपत्तियों और भावी उपपत्तियों ने कुछ ऐसी भावना पैदा कर दी है, हमारे मन में ऐसा आश्वासन दे दिया है कि हमारे पास काफ़ी कोयला है । मैं आंकड़े नहीं दे सकता क्योंकि इसमें समय लगेगा । धातुकार्यिक कोयले के बारे में एक विशेष बात कही गई थी । मेरे विचार से डायमंड हारबर से आने वाले मेरे माननीय मित्र श्री बसु ने यह कहा था कि प्रधान मंत्री द्वारा उस दिन धातुकार्यिक कोयले के बारे में कही गयी यह बात बिलकुल सच नहीं कि हमारे पास काफी भंडार है । उन्होंने कहा था कि वह उस वक्तव्य का खंडन करना चाहते हैं । मुझे भय है कि उस वक्तव्य का खंडन नहीं हो सकता । मैं कुछ आंकड़े देने

के लिये आपका और सदन का अनुग्रह चाहूंगा, ये आंकड़े बाद में सुधारे और जांचे जा सकते हैं ।

जैसी कि कोयले पर काम करने वाली टुकड़ी के प्रतिवेदन और दूसरे कागज़ों में बतायी गयी है स्थिति यह है कि हमारे पास आजकल २०००० लाख टन धातुकार्यिक कोयला है । लोहे और इस्पात उद्योग में ही इसकी आज की खपत की ३० लाख टन की दर से यह.....

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान्, मैं एक शब्द कह दूं । मैं ने माननीय मंत्री को जो काग़ज दिया था उसमें छापे की भूल थी । मैं उन से कहना चाहता था कि यह छापे की भूल है ।

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे वह पता है । वस्तुतः मैं अपनी बात कोयले पर काम करने वाली टुकड़ी के प्रतिवेदन और कुछ दूसरे काग़जों पर आधारित कर रहा था, जो अब जनता के सामने हैं । विभिन्न गणनाओं के आधार पर साधारणतः मैं कह सकता हूं कि धातुकार्यिक कोयले के हमारे आज के भंडार कई वर्ष चलेंगे, खपत ३० लाख टन हो, तब भी, एक करोड़ टन हो तब भी और ५ करोड़ टन हो तब भी । सब मिला कर मैं यह कहने की स्थिति में हूं कि यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि इस कोयले की बहुतायत है, पर फिर भी इतना तो हम भरोसे के साथ समझ सकते हैं कि हमें भविष्य में चिंता नहीं करनी होगी । वस्तुतः हम अब भी कुछ मात्रा का निर्यात करने और बहुमूल्य विनिमय अर्जित करने तक की स्थिति में हूं । इसमें कुछ गोलमाल नहीं है । जब हम कहते हैं कि हमारे पास बहुतायत में तो नहीं पर पर्याप्त भंडार है, तो हमारे में इस बारे में कोई आत्मतुष्टि की भावना नहीं है । हम इस धातुकार्यिक कोयले को धोने, चुनने तथा मिलाकर रखने आदि विविध तरीक़ों से बचाने के लिये यथासंभव सभी पग उठा रहे हैं । मैं विवरणों को लेने की स्थिति में नहीं हूं । पर मैं इतना कह सकता हूं कि उस प्रतिवेदन में की गयी विविध सिफ़ारिशों पर हम कार्यवाही कर रहे हैं ।

समय नहीं है नहीं तो मैं कोयले से सम्बन्धित कुछ और बातों का भी निर्देश करता । जैसे कि कई ओर से बहुत शिकायत आई है कि उनको ईंट पकाने के लिये काफ़ी कोयला नहीं मिल रहा है । मुझे भय है कि कठिनाई यातायात की है । हम रेल मंत्रालय के सहयोग से इस बाधा को यथाशीघ्र दूर करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और वितरण के बारे में हम आगे चल कर और भी अच्छे नतीजे दिखा सकेंगे ।

मेरे माननीय मित्र श्री बी० दास द्वारा बेनजोल के विषय में एक बात कही गई थी । मैं ने पूरे मामले की जांच की है । मैं उन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि बर्मा शेल के साथ कुछ भी समझौता हुआ हो, अब इस की जांच हो रही है । इस तथ्य को दृष्टि में कि हमने स्वयं सिंदरी में पत्थर के कोयले की भट्टी वाला एक संयंत्र स्थापित किया है, हमें इस उपोत्पाद बेनेजोल को निपटाना है । इस पृष्ठभूमि को सामने रख कर हम इस प्रश्न की जांच कर रहे हैं । मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि हम एक नया समझौता शीघ्र ही परिस्थितियों के अनुकूल होने पर करेंगे ।

मुझे खेद है कि मैं दूसरे प्रश्नों को नहीं ले सकता । मेरे थोड़े से मिनट बचे हैं और अब मैं एक-दो बातों को और ले कर समाप्त कर दूंगा ।

मेरे माननीय मित्र श्री सिंह पहले ही इन बेंचों से बोलते हुए नमक के विषय में की

[श्री के० सी० रेड्डी]

गई भारी प्रगति का निर्देश कर चुके हैं। गत १०० वर्षों में यह देश नमक के विषय में आत्मनिर्भर नहीं था। और यह भारी प्रसन्नता और हर्ष की बात है कि तीन ही वर्षों में हम न केवल आत्मनिर्भर हो गये हैं, बल्कि काफ़ी मात्रा विदेशों को नियनि करने की स्थिति में भी पहुंच गये हैं। मुझे यकीन है कि इस वर्ष हम ६३ लाख टन नमक का निर्यात कर रहे हैं और विदेशी विनिमय अर्जित करने जा रहे हैं। यह ऐसी बात है, जिस पर हम निश्चय ही अपने आप को बधाई दे सकते हैं।

एक दो माननीय सदस्यों ने शायद डायमंड हारबर के श्री बसु ने ही कहा था कि नमक से धन कमाना हमारे लिये घृणित कार्य है। मैं उनसे सीधे सीधे कह दूं कि सरकार इससे पैसा नहीं कमाना चाहती, न इस से जान बूझ कर पैसा कमा ही रही है, बल्कि वास्तविक स्थिति यह है कि इस उत्पादन से बस हम थोड़ा सा उपकर ही ले रहे हैं और उस दिन मेरे माननीय मित्र श्री सिंह ने भी बताया था कि प तहले केकीने आने प्रति मन के स्थान पर अब यह लगभग ४ पाई प्रति मन है, जो हम इस पर उपकर के रूप में ले रहे हैं। यह उपकर सरकार द्वारा ख़जाना भरने के लिये नहीं लिया जाता, इसका यह लक्ष्य इंच भर भी नहीं है। भा रत सरकारनमक उत्पादकों को कुछ सहायता तथा कुछ प्रविधिक परामर्श देती है। हम यथाशीघ्र एक नमक अनुसंधान पीठ स्थापित करना चाहते हैं। बंबई के बडाला में और कुछ दूसरे स्थानों में ऐसे प्रयोग चल रहे हैं, जिससे नमक उद्योग को अपेक्षतया अच्छे प्रकार का नमक पैदा करने में हम सहायता दे सकें। यह उपकर इन सब कामों में लगाया जाता है। इन नमक-उत्पादकों की हम जो सेवा करते हैं, यह उसकी लागत मात्र है। यदि इस सम्बन्ध में हमें थोड़ा सा अतिरेक भी मिल जाता है, तो निश्चय ही इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिये कि मेरे माननीय मित्र वित्त मंत्री द्वारा कोषवृद्धि के लिये अपनाया गया यह एक साधन भर है। मैं कह सकता हूं (पीछे यह सुधारा जा सकता है) कि हम एक विशेष निधि खड़ी करने का विचार कर रहे हैं और यदि यह सफल हो गया, तो इस आलोचना का जो आधार है वह भी न रहेगी।

फिर जहां तक नमक का सम्बन्ध है मैं कहूंगा कि हम उसके प्रकार में क्रमशः सुधार कर रहे हैं। हम दो वर्ष में अपने देशवासियों को सर्वश्रेष्ठ नमक दे सकने की स्थिति में होंगे। मैं निर्यात का निर्देश पहले ही कर चुका हूं।

अब सेंधा नमक के बारे में एक शब्द और कह दूं। हम मादी में सेंधा नमक के उत्पादन पर भी ध्यान दे रहे हैं। योजना आयोग के प्रतिवेदन में एक करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है और हम ने इस वर्ष के आयव्ययक में दस लाख रुपयों का उपबंध किया है। सेंधा नमक का उत्पादन दुराराध्य लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर देगा और उस दिशा में भी हम आत्म-निर्भर हो जायेंगे।

अब दो महत्वपूर्ण बातों का निर्देश कर मुझे अपना भाषण समाप्त करना है। तथाकथित 'धांधलियों' की ओर विशिष्ट निर्देश किया गया था। मेरे विचार से मेरे माननीय मित्र श्री एन० आर० नायडू ने कहा था कि अभी समय है कि हम एक 'धांधली मंत्रालय' खड़ा कर दें। मैंने आज सवेरे धांधली (स्कैंडल) शब्द का अर्थ जानने के लिये कोष देखा था, और यह देख मुझे हर्षान्वित आश्चर्य हुआ कि एक अर्थ

'अपवाद-कथन, पिशुनता' भी था । मैं इन आलोचकों के साथ बहुत सख्ती से पेश नहीं आना चाहता, पर धांधली संबन्धी यह बातचीत बहुत समय से चल रही है । ऐसी बात नहीं कि भारत-सरकार न्याय आलोचना के प्रति सापेक्ष नहीं है और माननीय सदस्यों द्वारा इस सदन में या जनता द्वारा बाहर लगाये जाने वाले आरोपों की जांच नहीं करती । भारत सरकार इस विषय में किसी दूसरे की अपेक्षा अधिक सतर्क है कि हमारा आचरण शुद्ध रहे और राष्ट्रीय कार्यवाही का हमारा प्रत्येक व्यवहार अनिंदनीय रहे । पर जब बहुत गंभीर आरोप लगाये जाते हैं, तो क्या मैं केवल आरोप लगाने वाले इस सदन के माननीय सदस्यों से ही नहीं, बल्कि सारी जनता से यह अनुरोध कर सकता हूं कि इस प्रकार धांधली की बात करने से पहले उन को तथ्यों को जानने का प्रयत्न करना चाहिये । एक बड़ी सरकार के कार्यकरण में और एक बड़े राष्ट्र के निर्माण में जब हमें बड़ी-बड़ी परियोजनाओं को चलाना होता है, तो इधर-उधर कुछ भूल रहती है, पर उसे इतनी व्यापक और सर्वसाधारण आलोचनाओं का आधार नहीं बनाना चाहिये और यह नहीं कह देना चाहिये कि चूंकि आजकल दिनरात धांधलेबाज़ी बढ़ती जा रही है, इसलिये एक धांधली मंत्रालय ही खोल देना चाहिये । यह काम तो मैं माननीय सदस्य के लिये, जब उनको कभी सरकारी बेंचों पर बैठने का मौका मिले तब के लिये छोड़ देता हूं । तेल कम्पनियों के साथ हुए समझौतों का निर्देश करते हुए उन्होंने यह भी कहा था कि क्या यह सरकार २५ वर्षों तक पदासीन रहने जा रही है ? क्या वह इतनी आशावादी है ? २५ वर्ष की अवधि के लिये ऐसा समझौता करने का उसे क्या अधिकार है ? मैं यही कहूंगा कि मेरे माननीय मित्र को इन समझौतों की प्रकृति आदि का ही पता नहीं है कि वे कैसे किये जाते हैं । मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि जब तक यह सरकार सत्कार्य करती रहेगी, हम निश्चय ही २५ वर्ष तक की अवधि के पट्टे की भी आशा कर सकते हैं ।

फिर मूल्य और श्रम नीति का एक निर्देश किया गया था । चूंकि मैं पांच मिनट में समाप्त कर रहा हूं, मैं अभी उस बात को नहीं लेता । मूल्य नीति बड़ी महत्वपूर्ण है, पर मैं अभी इसे न लूंगा । श्रम-नीति के विषय में मैं यही कहूंगा कि यदि हमें बढ़े हुए उत्पादन के महान् कार्य में सफल होना है, तो हमें श्रमिकों को संतुष्ट रखना होगा । और मैं श्रम मंत्रालय के प्रभारी अपने माननीय साथी श्री गिरि को यह आश्वासन दूंगा कि जहां तक उत्पादन के सिलसिले में श्रम और उद्योग के पारस्परिक संबंध की बात है, उन्हें पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा । श्री दास ने बहुत सुन्दर सुझाव दिया था, जो सरकारी ओर से आने पर शायद उस रूप में ग्रहण न होता, जिसमें उन की ओर से आने के कारण ग्रहण किया गया है । उन्होंने कहा था कि हम न्यूनतम मंजूरी की चर्चा करते हैं । न्यूनतम उत्पादन की बात क्या है ? क्या उत्पादन का लक्ष्य-बिंदु निर्धारित कर दिया गया है ? यह सब तो करना ही होगा । मैं नहीं समझता कि श्रम इतना देशभक्ति-हीन है जो यह कहे : हमें न्यूनतम मजूरी दीजिये, हम काम न करेंगे और वह भी विशेषत: तब जब हम स्वाधीनता प्राप्त कर चुके हैं । इधर उधर ऐसी बातें हो सकतीं हैं जो उनको बुरी प्रतीत हों, पर अपने श्रम के उचित रवैया का मुझे पूरा पूरा भरोसा है और मुझे पूरा यकीन है कि उचित सेवा-दशाओं के रहने पर वे लोग अपना कर्तव्य निभा

[श्री के० सी० रेड्डी]

सकेंगे और देशभक्ति की भावना के साथ अधिकतम उत्पादन कर सकेंगे ।

अंतिम बात यह है । यह प्रश्न पूछा गया था कि उत्पादन तथा उद्योग के विषय में सरकार की नीति क्या है ? मैं सन् १९४८ में दिये गये नीति-वक्तव्य की ओर भारत सरकार औद्योगिक नीति विषयक संकल्प की ओर सदन का ध्यान पहले ही आकर्षित कर चुका हूं । मैं इसमें मुश्किल से और कुछ जोड़ सकूंगा । और मैं सदन के उन माननीय सदस्यों से सविनय कहूंगा, जिन्होंने अब तक इसे पढ़ा नहीं है, कि अब कृपया इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें । यह स्पष्ट रूप में बता देगा कि सरकार की नीति क्या है । वह नीति अब भी विद्यमान है और किसी विशेष बात में गत तीन-चार वर्ष में उसमें कुछ हेर-फेर नहीं हुई है मैं यह कहूंगा कि यह नीति कुछ सैद्धांतिक नीति नहीं है । ऐसी नीति नहीं है, जो केवल मूर्त सिद्धांत वादिता पर ही बल देती हो । यह यथार्थ-वादी नीति है, यह हमारे देश का औद्योगिक नीति का व्यवहारोपयोगी विवेचन है । अत्यधिक यथार्थवादी न होकर तथा इस या उस सिद्धांत वादिता से संपृक्त न होकर हम ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे देश का भला हो । यदि मैं सदृष्ट्रांत यह बात कहूं तो मैं कहूंगा कि यदि इस्पात आदि के उत्पादन के क्षेत्र के विद्यमान निजी उपक्रमों के राष्ट्रीयकरण का और विकल्प स्वरूप एक नया लोहे तथा इस्पात का संयंत्र खड़ा करने का चुनाव मेरे ऊपर छोड़ दिया जाये, तो निजी उपक्रमों के रूप में विद्यमान लोहा-इस्पात के उद्योगों के राष्ट्रीयकरण में अपने संसाधनो का व्यय करने की अपेक्षा मैं नया संयंत्र स्थापित करके एक राज्य-उद्योग के रूप में चलाना पसंद करूंगा । यह दृष्टांत स्पष्ट कर देगा कि इस समस्या के बारे में सरकारी नीति क्या है । मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक भारत सरकार की औद्योगिक नीति का संबंध है, अपने देशवासियों का जीवन-स्तर ऊंचा करने के लिये अपने देश में ही अधिकाधिक माल पैदा करने की दिशा में प्रत्येक यत्न किया जायेगा । निश्चय ही हमें वस्तुतः कुछ खतरे उठाने होंगे । पर मेरा कहना है कि हम नपे-तुले खतरे उठायेंगे, अनियंत्रित खतरे नहीं । मैं यह भी कहूंगा कि हम घबड़ायेंगे नहीं, न हृदय-दौर्बल्य ही दिखायेंगे । यह कहा जाता है कि किसी भी दुर्बल हृदय द्वारा कभी किसी सुंदरी को वश में नहीं किया गया । निःसंदेह हम खतरा उठायेंगे और साहसपूर्वक आगे बढ़ेंगे । हां, सतर्कता रखेंगे, पर उचित सीमा तक ही ।

इसलिये किसी विशिष्ट सिद्धांतवादिता से संपृक्त न होकर हम साहस और भरोसे के साथ आगे बढ़ेंगे, और जहां आवश्यक होगा वित्तीय सहायता लेते जायेंगे । अपने लोगों को प्रशिक्षित बनायेंगे और अपने उद्योगों को खड़ा करने के लिये आवश्यक धन सामग्री का व्यय करेंगे । हम किसी भी देशों द्वारा दी गयी प्राविधिक प्रशिक्षा और दूसरी सुविधायें स्वीकार करेंगे पर जैसा उस दिन मेरे माननीय मित्र श्री टी० टी० कृष्णमाचारी और हमारे नेता माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा कहा गया था, हम यह ध्यान रखेंगे कि हम अपने राष्ट्रीय हितों को नहीं बिसरा रहे हैं और उनको सर्वोच्च बनाये रख रहे हैं ; सर्वांगीण स्थिति के अनुरूप हम वित्त तथा प्राविधिक ज्ञान के क्षेत्र में दूसरे देशों से सहायता लेंगे । अब मैं यह कह कर समाप्त कर दूंगा कि अगले कुछ वर्षों तक हमारा कार्य यही रहेगा कि अपने जन, धन और सामग्री के संसाधनों के अनुरूप

हम यथासंभव तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे और अपने देशवासियों का जीवन अपेक्षतया अधिकाधिक सुखी बनाने के लिये अधिकाधिक उत्पादन करेंगे ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

श्री सारंगधर दास (टेनकनाल—पश्चिम कटक) : एक प्रश्न है कि यदि सिंदरी कारखाने की पूंजी १५० प्रतिशत बढ़ गयी है, तो क्या प्रति टन आकलित उत्पादन लागत भी बढ़ गयी है, और वह अन्य देशों के बाज़ार भाव की तुलना में कैसी है?

श्री के० सी० रेड्डी : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मुझे इस बात का यह उत्तर देना है कि आखीरी उत्पादनलागत का अभी से अंदाज करना समय से पहले है । उत्पादन के पूर्ण लक्ष्यबिंदु को प्राप्त करने के बाद ही हमारे लिये उत्पादन-लागत बता सकना संभव होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये सदन के सम्मुख रखूंगा ।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए प्रस्तुत किये गये और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५२ को समाप्त होने वाले वर्ष में आदेश पत्र के स्तम्भ दो में उल्लिखित मांग संख्या ९५, ९६, ९९, १००, १०१, १३०, १३१, ९७, ९८, और १३२ के निमित्त जो व्यय होगा उस के लिए उक्त आदेश पत्र के स्तम्भ तीन में तदनुरूप दिखाई गई अन्यान्य परिमाण तक की राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्रम मंत्रालय

	रुपये
मांग संख्या ६३—'श्रम मंत्रालय'	१९,२९,०००
मांग संख्या ६४—'मुख्य खान निरीक्षक'	५,९५,०००
मांग संख्या ६५—'श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत फुटकर विभाग तथा व्यय	२,३०,०४,०००
मांग संख्या ६६—'सेवा योजनालय तथा पुनर्स्थापन'	१,०८,०४,०००
मांग संख्या ६७—'असैनिक रक्षा'	८३,०००
मांग संख्या १२२—'श्रम मंत्रालय सम्बन्धी पूंजी व्यय.	४,०९,०००

प्रदाय से इन्कार

श्री के० सुब्रह्मण्यम् (विजियानगरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १ रुपये की कटौती की जाये ।"

जूट-उद्योग-श्रम की दशा

श्री तुषार चटर्जी (श्रीरामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये । "

श्रम-विधानों का लागू किया जाना

श्री केलप्पन (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये । "

केन्द्र और राज्य में श्रम विभाग क कार्य के दुहरे होने क विशेष निर्देश में श्रम-नीति

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) । मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये । "

फैक्टरियों में हुई छंटनी के कारण बेरोजगारी

श्री वैलायुधन (क्विलोन व मावेलिक-करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये । "

सामान्य ीति

श्री एन० आर० नायडू (राजामंडी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रु पये की कटौती की जाये । "

(१) **श्रम-दशा सुधारने में असफलता**
(२) **बेरोजगारी की समस्या**

श्री कन्डासामी (तिरुचनगोड) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) " 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये ।"

(२) "'सेवायोजनालय तथा पुनर्वास' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये । "

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में कितना समय लेंगे ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : ४५ मिनट से एक घंटे तक लगेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : बारह-सवा बारह बजे तक विवाद चलेगा जिससे हमें विवाद के लिये २, २½ घंटे मिल जायेंगे । प्रत्येक सदस्य को १५ मिनट से अधिक न मिलेंगे और कम बोलने का स्वागत किया जायेगा । अब सदन .....

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां): श्रीमान् मुझे अपना कटौती प्रस्ताव रखना है .....

अनुसूचित जातियों के सेवायोजन की नीति

श्री पी० एन० राजभोज : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये । "

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन में मांगों तथा कटौती प्रस्तावों पर चर्चा होगी ।

श्री तुषार चटर्जी : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब मैं हिन्दी में बोलना शुरू कर रहा हूं, इसलिये कि जहां तक अंग्रेजी का सवाल है उस में मेरे लिये कहना और भी मुश्किल है। मैं तो चाहता था कि यहां हर एक सदस्य को अपनी मातृ भाषा में कहने की मंजूरी मिले । मैं स्पीकर साहब (अध्यक्ष महोदय) से अर्ज करूंगा कि आगे के लिये मुझे अपनी मातृ जबान बंगला में कहने की मंजूरी दी जाये ताकि मैं अपने ख्यालात को अच्छी तरह और पूरी तरह यहां पेश करसकूं जो कि जरूरी है । अब मैं हाउस से अर्ज करूं कि अगर मैं टूटीफूटी हिन्दी बोलूं तो भी मेहरबानी कर के हाउस मेरी बातों पर थोड़ा सा ध्यान दे ।

जिस सवाल पर मैं कहने के लिये खड़ा हुआ हूं वह सरकार की लेबर पालिसी (श्रम नीति) इस बात को सोचते हुए शुरू में ही मेरे दिल में यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस को लेबर पालिसी बोलना ठीक है या लेबर विरोधी पालिसी बोलना ठीक है, क्योंकि जहां तक मौजूदा हालत से इस चीज़ को समझा जाये तो मुझे मालूम होता है कि यह लेबर पालिसी हो नहीं सकती । अगर इस को कोई ठीक नाम दिया जाय तो वह लेबर विरोधी पालिसी ही होगी । आज की हालत देखिये । चारों तरफ एक ही

आवाज उठ रही है कि जो बेकारी की चोट सब जगह मजदूरों पर आ पहुंची है उस चोट से मजदूर कैसे बचें। इसलिये चारों तरफ शोर मच गया, आवाज़ उठी। लेकिन सरकार के कान में यह आवाज पहुंची है या नहीं यह तो मुझे मालूम नहीं है। मामूली मज़दूर नहीं, मध्यम वर्ग के जो किरानी लोग हैं, एम्पलाईज़ (कर्मचारी) हैं, उन पर बेकारी की चोट पहुंच गयी। और फिर यह बेकारी भी कोई मामूली बेकारी नहीं है। इकानामिक स्लम्प (आर्थिक मंदी) की वजह से जो बढ़ती हुई बेकारी हमारे देश में दिखाई पड़ती है उसी बेकारी के बारे में मैं कहता हूं। चारों तरफ मिल बन्द होने लगे शिफ्ट (पारी) बन्द हो रहे हैं तात बन्द होने लगे और हजारों की तादाद में मज़दूर निकाले जा रहे हैं। यह तो आज देश की हालत है। इस बात पर इसी हाउस में स्वाल उठा इस बात परचारों तरफ से कितनी चिल्लाहट हो रहीं है, मज़दूरों की तरफ से एम्प्लाईज (नौकरों) की तरफ से कितनी मांगें उठ रही हैं। न मालूम सरकार के कान में यह बातें पहुंचती हैं या नहीं। मुझे तो याद है कि कुछ महीनों पहले इस स्लम्प (मंदी) के बारे में फायनेन्स मिनिस्टिर (वित्त मंत्री) साहब ने कहा था। जब काम कम हो रहा था, जब कारबारी लोग चिल्ला रहे थे तो जहां तक मुझे याद है फायनेन्स मिनिस्टर साहब ने कहा था कि कोरियन वार की वजह से बड़े बड़े कारबारी लोगों ने नफा किया। अब नफा कुछ घटते वक्त इतनी चिल्लाहट ठीक नहीं है। तो इस के माने यह हैं कि सरकार की तरफ से भी यह सचाई मानी गयी है कि कोरियन वार में तो भारी मुनाफा कारबारी लोगों ने उठाया उस के बदले जो सलम्प आया तो इस में कारबारी लोगों को ज्यादा चिल्लाना ठीक नहीं है। इसके बारे में यह मालूम होना चाहिये कि इस हालत को अगर देश वासियों की नज़र से हम देखें तो इस में तमाम देश वासियों के स्वार्थ को बराबर देखना ज़रूरी है। अगर इस हालत को हम ठीक से समझें तो ऐसी भारी बेकारी को हमें एक नैशनल क्राईसिस (राष्ट्रीय संकट) के हिसाब से समझना चाहिये। जब बढ़ती हुई बेकारी चारों तरफ चल रही है जब इस के खिलाफ चारों तरफ आवाज़ उठ रही है, जब घर घर में, बस्ती बस्ती में, कारखानों कारखानों में बेकारी की पुकार सुनाई दे रही है तो इसे एक नैशनल क्राईसिस के हिसाब से समझना चाहिये। लेकिन मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इतनी खराब हालत में भी, इतनी बदतर हालत में भी, तमाम देश में जिस की चोट पहुंच रही है, तमाम लेबर फोर्स (श्रम शक्ति) के ऊपर किस की चोट आ पहुंची है इस हालत में भी क्यों सरकार ऐसे नैशनल क्राईसिस को हल करने को कोई कदम नहीं उठाती। मैं सरकार से साफ यह पूछता हूं कि इस बढ़ती हुई बेकारी को सम्भालने के लिये क्यों नहीं अनएम्प्लायमेंट डोल (बेरोजगारों को भोजन) का बन्दोबस्त किया जाता है? यह मेरा सीधा सवाल सरकार से है। सरकार बड़े पैमाने पर, बहुत जोर से, बहुत हिम्मत से कहती है कि हम वैलफैर स्टेट (कल्याण राज्य) बनायेंगे। हां वैलफैर स्टेट (कल्याण राज्य) बनाने की आवाज ठीक है। लेकिन वैलफैयर स्टेट (कल्याण राज्य) किस के ऊपर भरोसा करके बनाई जायेगी जो प्रोडक्टिव फोर्स (उत्पादक शक्ति) है जो लेबर फोर्स है, जो लेबर फोर्स (श्रम शक्ति आज बेकारी की चोटों से तितर बितर होती जा रही है, क्या इसी की बिना पर, क्या इसी हालत पर वैलफैयर स्टेट बन सकती ह? अगर वैलफैयर स्टेट के बारे में सरकार बोलना चाहे तो पहले मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस बदतर हालत में क्यों अनएम्प्लायमेंट डोल के लिये बन्दोबस्त नहीं किया गया?

[श्री तुषार चटर्जी]

यहां इस हाउस में बहुत से मेम्बरों ने श्रम मंत्री से यह सवाल पूछा था और मैं न भी उन से सवाल पूछा था तो जवाब यह दिया गया कि हां हम सुनते हैं कि तहखाने बन्द हो गये हैं। परसों मेरे सवाल के जवाब में मुझे बतलाया गया कि हुगली और हावड़ा ज़िलों में छः मिलें बन्द हो गयी हैं, दो महीने से छः मिलें बन्द हैं और जिस के कारण कम से कम छः हजार मजदूर जो उन में काम करते थे बेकार हो गये हैं। मैं मजदूरों के बीच में काम करता हूं, इसलिये मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि इन मिलों के बन्द हो जाने की वजह से कम से कम छ हजार मजदूर आज बेकार पड़े हुए हैं : आखिर यह जो छः मिलें जो दो महीने से बन्द पड़ी हैं और जिस के कारण छः हज़ार मज़दूर बेकार हैं उन के बन्द हो जाने का क्या कारण है और उसका क्या नतीजा हुआ ? उन छः हज़ार बेकार मज़दूरों के परिवारों के भरण पोषण के लिये और जिन्दा रखने के लिये सरकार की ओर से क्या इन्तजाम किया जा रहा है ? इस के बारे में कोई जवाब नहीं है। जहां तक मुझे याद है, यहां वह डाक्यूमेंट (पत्र) दी है जिस में सरकार ने जवाब दिया है कि, 'गवर्नमेंट हैव नो इन्फारमेशन' (सरकार के पास कोई सूचना नहीं है)। मैं ने सरकार से पूछा था कि उन बेकार मजदूरों को कुछ हर्जाना वगैरह दिया गया है या नहीं, वह जो दो महीने से मिलें बन्द हो जाने की वजह से बेकार पड़े हुये हैं उन के लिये सरकार क्या कर रही है, तो इस के जवाब में सरकार यह कहती है कि गवर्नमेंट हैव नो इन्फारमेशन इस से मालूम होता है कि सरकार की पालिसी लेबर-हितैषी न होकर लेबर-विरोधी है। लेकिन वही सरकार जब कोरियन वार खत्म हो जाने से बाजार मंदा होने लगा और चटकल मालिक लोगों ने सरकार पर दबाव डाला कि आर्थिक मंदी के कारण सरकार एक्सपोर्ट ड्यूटी (निर्यात शुल्क) कम करे तो उस को कम करना पड़ा क्योंकि अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी सरकार कम नहीं करती है तो चटकल मालिकों के कारखाने बन्द हो जायेंगे, और उसके कारणवश हजारों काम करने वाले मजदूर बेकार हो जायेंगे, सरकार उन की बात मान गई।

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : कारखाने अगर बन्द हो जायेंगे तो मजदूर बेकार हो जायेंगे।

श्री तुषार चटर्जी : हां कारखाने बन्द हो जायेंगे, लेकिन सरकार समझती नहीं, यह हिसाब जोड़ने में कभी सरकार तैयार नहीं होती।

बाबू रामनारायण सिंह (हजारीबाग पश्चिम) : अकल नहीं है।

श्री तुषार चटर्जी : यह चटकल मालिक लोग जो आज अपने कारोबार में थोड़ी मंदी आने की वजह से परेशान हो गये हैं और उन लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मुनाफा घट रहा है। इसलिये सरकार हमें कुछ मदद दे और एक्सपोर्ट ड्यूटी में कमी करे यह सरकार हिसाब जोड़ने के लिये कभी तैयार नहीं होती है कि चटकल मालिक लोगों ने गये पच्चीस सालों में कितना मुनाफा कमाया ? मैं इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूं और चटकल मालिक लोगों के कैपिटल (पूंजी) और इन्वेस्टर्स (विनियोजक) अखबारों को पढ़ता हूं तो पाता हूं कि पिछले पच्चीस सालों में उन का जो इन्वेस्टेड कैप्टिल (विनियोजित पूंजी) है वह तीन गुना हो गया है। आज कारोबार में थोड़ी

मंदी आने से ही यह लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारा मुनाफा घट रहा है और सरकार से मदद मांगते हैं। मेरा कहना यह है कि सरकार चटकल मालिकों को राहत पहुंचाने के बारे में तो सोच रही है, लेकिन हजारों की तादाद में आज जो मजदूर बेकार पड़े हुए हैं उन के लिये सोचने के वास्ते सरकार के पास वक्त नहीं है। आज मज़दूर वगैरह भूखों मर रहे हैं, उन की हालत को बहतर बनाने के लिये सरकार को फुरसत नहीं मिलती। सरकार की वज़ारत इतनी मज़बूत है और दुरुस्त है कि दस रोजी की

१० म० पू०

सरकार को मोहलत दी जाती है और उस से पूछा जाता है कि मजदूरों को कोई हर्जाना मिला या नहीं मिला लेकिन इस के बारे में सरकार की तरफ से कोई इन्फारमेशन (सूचना) नहीं दी जाती। वाक़ई कैसी दुरुस्त और काबिल सरकार है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि आप जो यह कहते हैं कि हमारे पास रुपया नहीं है तो फिर इन प्रिन्सेज (राजाओं) वगैरह के आराम के लिये आप को जब पैसे की जरूरत होती है तब आप के पास पैसा कहां से आ जाता है? उस समय आप के पास आ जाता है लेकिन जब बेकारों को बचाने के लिये पैसे की जरूरत होती है तब सरकार के पास रुपया पैसा नहीं रहता है। मेरा कहना है कि सरकार को इस बेकारी की समस्या को नैशनलक्राईसिस (राष्ट्रीय संकट) के हिसाब से देखना चाहिये और उस को तै करने की कोशिश करनी चाहिये और बड़े कारोबारी लोगों पर दबाव डाल कर मजदूरों का अनएम्प्लायमेंट अलाउन्स (बेरोजगारी भत्ता) दिलाने का बन्दोबस्त करना आवश्यक था।

अभी परसों आनरेबुल मिनिस्टर (माननीय मंत्री) से मुझे यह जवाब मिला कि हां चटकल में मज़दूरों को अनएम्प्लायमेंट बोनस (बेरोजगारी लाभांश) दिया जाता है। लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि वह मेरे साथ चटकल इलाके में चलें वहां मैं साबित कर दूंगा कि सरकार का यह डाक्यूमेंट (कागज) बिल्कुल ठीक नहीं है। असल में हालत यह है कि मजदूर निकाले जा रहे हैं, बेकार हो रहे हैं और छांटे जा रहे हैं और उन को कोई अनएम्प्लायमेंट बोनस नहीं मिलता है। मैं जानता हूं जैसा कि बहुत आदमी जानते हैं कि इंडियन जूट मिल्स असोसियेशन किसी कायदे के हिसाब में कोई इधर उधर करके जो मजदूर वहां काम करते हैं उन में से ज्यादातर मजदूरों को नान परमानेन्ट (अस्थायी) या टेम्परेरी हिसाब से रख कर इस कानून से बचने की कोशिश करते हैं और यह जो जवाब मुझे मिला उससे यह मालूम होता है कि ज्यादातर चटकल मजदूर जिन की मालिक छंटाई कर देंगे वह ज्यादातर चटकल मजदूरों के बारे में कुछ हिसाब इस में नहीं देंगे। उन के बारे में कुछ नहीं कहा गया, उन को कुछ बेनीफ़िटस या अलाउन्सेज मिलते हैं या नहीं, इसके बारे में आनरेबुल मिनिस्टर के जवाब में कुछ नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अपना समय पूरा कर चुके हैं।

श्री तुषार चटर्जी: मेरे पास और कुछ ज्यादा कहने को तो वक्त है नहीं। सिर्फ़ मैं एक दो प्वांयट्स का यहां जिक्र कर के छोड़ देना चाहता हूं। वेजेज (मजूरियां) के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन (संविधान) में लिविंग वेजेज (जीवन यापन योग्य मजूरियां) के बारे में जो बातें लिखी गयी हैं, वह सब कहां निकल कर चली गयी, मुझे तो मालूम नहीं है। सेन्ट्रल पे कमीशन (केन्द्रीय वेतन आयोग) ने जो रेकमेनडेशन्स (सिफारिशें) की थीं

[श्री तुषार चटर्जी]

वह लड़ाई के पहले की हालत पर विचार कर के की थीं और वह आज की हालत को देखते हुए किसी तरह लिविंग वेजेज नहीं कह सकते और लड़ाई के पहले के हालात में जिस को सेमी स्टारवेशन (आधेपेट मजूरियां) वेजेज कह सकते थे, उस को भी हर एक मजदूरों के लिये लागू करने को सरकार तैयार नहीं है।

ऐसे चटकल मजदूरों को ६३ रुपये मिलते हैं, टेक्सटाइल (वस्त्र) के मजदूरों की एकदम लोएस्टवेज (न्यूनतम मजूरी) की बात करता हूं कि उन को ५२ रुपये मिलते हैं। हुगली में सूतकल में ऐसे मजदूर हैं जिन को ४५ रुपये मिलते हैं और मजदूर औरतें ऐसी हैं जिन्हें ३२ रुपये से ज्यादा नहीं मिलता। लेकिन अब तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया। चारों तरफ़ यह मांग हो रही है कि सेंटरल पे कमीशन की रिकमेन्डेशन को लागू करने के लिये सरकार कार्यवाही करे, जिस से इतनी खराब हालत में भी मजदूर अपने को बचाने की कुछ कोशिश कर सके। ऐसे भी गवर्नमेंट एम्प्लाईज हैं जिन को सेन्ट्रल पे कमीशन की रिकमेन्डेशन्स को अपने ऊपर लागू कराने का हक़ है, उन की हालत ऐसी है कि आज की कास्ट आफ़ लिविंग इन्डेक्स (जीवन लागत सूची) को देखते हुए पे कमिशन (वेतन आयोग) की रिकमेन्डेशन्स लागू करना जरूरी है, लेकिन उन रिकमेन्डेशन्स (सिफारिशों) को उन पर लागू नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब समाप्त करें। २० मिनट हो चुके।

श्री एस० एस० मोर (शोलापुर) : श्रीमान्, मुझे खेद है कि मेरे सदन में न रहने से मेरा कटौती प्रस्ताव न रखा जा सका। अब कृपया रखने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। आश्चर्य की बात है कि प्रश्न काल या पहला घंटा पूरा होते ही सदस्य सदन छोड़ कर चले जाते हैं। मैं सभी से कहूंगा कि सभा-कक्ष (लाबी) में न जा कर यहां अपने उस कर्त्तव्य का पालन किया करें जिस के लिये इतनी दूर से आये हैं। यही देश के हित में है और यहां के वक्ताओं के हित में। आखिर काम छोड़ सभा-कक्ष में जा बैठने का क्या प्रयोजन है। इसी काम के लिये वे यहां भेजे गये हैं और लाखों रुपये खर्च कर चुनाव लड़े गये हैं। बाहर क्या काम है ?

बाबू रामनारायण सिंह : और मंत्री लोग ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें दूसरे काम हैं, सदस्यों को नहीं। मैं मतदान-क्षेत्रों के हित में सदस्यों द्वारा सदन में और बाहर व्यय किये गये समय का लेखा रखने के लिये वक्ताओं से अनुरोध करूंगा। खैर, मैं छोटी मोटी बातों से फायदा न उठा कर माननीय सदस्य को अब कटौती प्रस्ताव रख देने दूंगा। पर माननीय सदस्यगणों से पूरे देश के हित में अपने कर्त्तव्य पालन के लिये अवश्य अनुरोध करूंगा।

शोलापुर तथा बरसी में वस्त्र-मिलों के श्रमिकों की कठिनाइयां

श्री एस० एस० मोरे : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "'श्रम मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री मोरे के इस कटौती प्रस्ताव पर भी चर्चा करेंगे। मैं अब श्री के० एल० मोरे से बोलने को कहूंगा।

श्री के० एल० मोरे : (कोल्हापुर व सतारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : श्रम मंत्रालय सम्बन्धी कटौती प्रस्तावों का विरोध और मांगों का समर्थन करते समय श्रम विधान बनाने और मंत्रालय की कार्यवाही के प्रतिवेदन में उल्लिखित उस के कार्यों के लिये मुझे श्रम मंत्रालय को बधाई देनी है। चाय, कहवा, रबर, सिनकोना आदि क्षेत्रों में श्रम कल्याण का उपबन्ध करने वाला 'बाग़ीचा श्रम अधिनियम, १९५१'; कामकर भविष्य निधि अध्यादेश, १९५१' के स्थान पर आने वाला 'कामकर भविष्य निधि अधिनिमय, १९५२'; विशेषतः बैंक विवादों का न्याय करने वाले न्यायाधिकरणों में बैंक विशेषज्ञों की नियुक्त का उपबन्ध करने वाला 'औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७'; औद्योगिक विवाद अपील न्यायाधिकरण अधिनियम, १९५० ; बीमा कराने वाले प्रत्येक श्रमिक के लिये बीमारी, प्रसूति, काम में लगी चोट, और उचित स्तर पर स्वास्थ्य-निरीक्षण का उपबन्ध करने वाला 'कर्मचारी राज्य बीमा विधेयक, १९४८'; न्यूनतम मजूरी अधिनियम; 'मजूरी भुगतान अधिनियम, १९३६; 'भारतीय खान अधिनियम'; और 'कोयला खान श्रम कल्याण अधिनियम' आदि अनेक महत्वपूर्ण विधान मज़दूर वर्ग के हित के लिये कार्यान्वित किये जा रहे हैं। साथ ही १९५१-५२ के आयव्ययक में साधारण कल्याण कार्य के लिये उपबन्ध किया गया था और अभ्रक उद्योगों बग़ीचों और गोदी (डाक) कर्मचारियों के लिये किय गये कल्याण कार्य विशेषतः उल्लेखनीय हैं।

पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी औद्योगिक गृह व्यवस्था के लिये एक राशि रखी गई है। पुरुष स्त्री और भूत पूर्व सैनिकों आदि को प्राविधिक तथा पेशे सम्बन्धी प्रशिक्षण देने वाली सरकारी योजनायें बेकारी को दूर करने में बहुत सहायता पहुंचा रही हैं। शरणार्थी, अकाल, भूकंप, बाढ़ आदि कठिनाइयों के होते हुए भी सरकार को पूरी सफलता मिली है।

फिर भी शिक्षित-अशिक्षित खेतिहर-अखेतिहर आदि सभी लोग करोड़ों की संख्या बिना अपने किसी दोष के रोजगार नहीं पा रहे हैं, और इस भंयकर समस्या का समाधान खोजना ही होगा। इन अधनंगे लोगों की समस्या का पंचवर्षीय योजना एक दीर्घकालीन समाधान है। सरकार बहुत कुछ कर रही है, पर अभी यथाशीघ्र बहुत कुछ करना है। जब तक भूमिहीन लोगों को भूमि और कामहीन लोगों को काम नहीं, तब तक देश की पूर्ण समृद्धि नहीं हो सकती। खेतिहर मजदूर भारी शिकार बनते रहे हैं और देश की जनसंख्या के अधिकांश वर्ग की इस समस्या को सुलझाने का अब समय आ गया है। श्रम मंत्रालय संगठित श्रम की तो छोटी-मोटी समस्याओं तक के सुलझाने में लगा हुआ है—शायद उस के संगठित होने के कारण—सशक्त होने के कारण। पर बेचारे असंगठित खेतिहर मज़दूर गूंगे-बहरे हैं, श्रम मंत्रालय को अब अपना ध्यान इधर केन्द्रित कर राज्यों के द्वारा उन को भूमि दिलवा कर उन की दशा सुधरवानी चाहिये। न्यूनतम मजूरी अधिनियम उन का वास्तविक इलाज नहीं है।

फिर निम्न मध्य वर्ग के लोगों की भारी बेकारी और निर्धनता दूर करने के लिये उन को कुछ काम देने की योजना बनानी चाहिये और जब तक उन्हें काम न दिया जा सके, उन को कुछ पोषण-भत्ता ही दिया जाये।

फिर बिल्कुल बिसराये गये नगरपालिकाओं आदि के स्वच्छता-संबंधी कर्मचारी हैं। इस गन्दगी के काम को अनुसूचित जाति के लोगों को छोड़ दूसरे लोग नहीं करते। परिस्थितियों

[श्री के० एल० मोरे]

से विवश हो इन्हें भी बुरी दशाओं में यह करना होता है । इसे ध्यान में रख उन की दशा सुधारी जानी चाहिये ।

अंत में संविधान के निदेशक तत्वों में दिये गये और पंचवर्षीय योजना में दुहराये गये 'जीवन के अधिकार' की बात है । इस अधिकार को तो मानना ही होगा और अच्छा है आरम्भ अभी ही करदिया जाये । दूसरी बात धन का संचय रोक कर उस को क्रमशः कामकरों में वितरित करने की है । फिर खेतिहर मजदूरों के लिये मंत्रालय कुछ कर सका, तो बेकारी की समस्या हल हो जायेगी और देश की समृद्धि बढ़ेगी ।

श्री **पी० एन० राजभोज** : अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत संतोष हुआ कि आज आप ने बहुत दिन बाद मुझे बोलने का मौका दिया । इस हाउस में हमारे शिड्यूल्ड कास्ट फैडेरेशन (अनुसूचित जाति संघ) के बहुत कम आदमी हैं । वह किसी ग्रुप (वर्ग) के साथ नहीं हैं । मुझे ऐजुकेशन (शिक्षा) पर और दूसरे विषयों पर भी बोलना था । आज जो आपने मुझे लेबर (श्रम) पर बोलने का मौक़ा दिया है इस के लिये मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं ।

हिन्दुस्तान में जितनी बड़ी बड़ी फैक्टरियां और कारखाने हैं उन में ज्यादातर अछूत लोग काम करते हैं । उन के लिये जितना गवर्नमेंट की तरफ से मदद होनी चाहिये उतनी नहीं हो रही है । छूत-छात का मामला बड़े बड़े कारखानों तक में चलता है । अहमदाबाद, बम्बई और नागपुर में कई वीविंग मिलों में अछूतों को इसलिये नहीं नौकरी दी जाती कि उन के मुंह से सूत लग जाता है । हम ने इस बारे में बहुत सी मीटिंगें कीं और कांफ्रेंसिज कीं लेकिन कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है । आजकल जो कोई ज्यादा बोलता है उसी की बात सुनी जाती है । यहां पार्लियामेंट में जो कुछ बात हम अपोजीशन ग्रुप (विरोधी दल) से कहते हैं उस पर अमल नहीं होता है । लेबर को टैक्निकल ट्रेनिंग (प्राविधिक प्रशिक्षण) और ऐम्प्लायमेंट (रोजगार) देने के लिये पहली पार्लियामेंट में हमारे डा० पंजाब राव देशमुख जी एक बिल लाये थे पर यह पास नहीं हो सका । वह फिर उस बिल को लाये हैं । मेरा ख्याल है कि जब तक लेबर को टैक्निकल ट्रेनिंग नहीं मिलती तब तक उन का भला नहीं हो सकता है । अगर ऐसा नहीं होगा तो वह हर समय मजदूर रहेंगे और मजदूर रहते हुए उन का कोई भला नहीं हो सकता है । उन को कुछ न कुछ ट्रेनिंग की बहुत अवश्यकता है अगर इस समय कोई मजदूर नौकरी से अलग हो जाता है तो बेकार हो जाता है । अगर उस को कुछ टैक्निकल ट्रेनिंग मिल जाये तो नौकरी से अलग होने पर वह कुछ अपना काम कर सकता है ।

दूसरी बात मुझे अपने स्वीपर (मेहतर) लोगों के बारे में कहनी है । मैं समझता हूं कि हजारों वर्षों से वह इस काम को कर रहे हैं । अब आप लोग क्यों न उस काम को करें ऐसा तो कोई कानून नहीं है कि हरिजन ही इस काम को करते रहें । अब जब कि हमारा देश आज़ाद हो गया है और सब को नागरिकता के अधिकार मिल गये हैं जो ब्राह्मण मजदूर हों वह भी क्यों न थोड़ा सा मेहतर का काम करें और जो मेहतर अच्छा मजदूर हो वह कुछ दूसरा काम करे । इन लोगों से कारखानों में और फैक्टरियों में जो लाजमी तौर पर यह काम लिया जाता है यह मेरी दृष्टि से बहुत खराब है ।

इस के बारे में गवर्नमेंट को कुछ न कुछ अच्छा इन्तिजाम करना चाहिये ।

दूसरी खास बात मुझे ऐम्प्लायमेंट (रोजगार) के बारे में कहनी है । जैसे ऐम्प्लायमेंट ऐक्सचेंज (सेवायोजनालय) में लोगों को बहुत नौकरियां दी जाती हैं और उस की रिपोर्टें आती हैं लेकिन वहां जो एम्प्लायमेंट आफिसर्स बैठे हुए हैं वह ऊंची जातियों के हैं और शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के साथ कई जगह पर अन्याय होता है । जो लोग ऊंची जाति के अफसर बने बैठे हैं वह कई जगह पर शिड्यूल्ड कास्ट लोगों के साथ अच्छा बरताव नहीं करते हैं । मैं जलगांव एम्पलायमेंट ऐक्सचेंज गया था । मैं ने पूना में भी कम्प्लेंट (शिकायत) की और शोलापुर में भी की । यहां पर ६--६ महीने और साल साल भर तक लोगों की सुनवाई नहीं होती। जो लोग मैट्रिक हैं और क्वालीफाइड (योग्य) हैं उन को नौकरी देने का भी ठीक इन्तजाम नहीं है ।

जातिभेद हिन्दुस्तान में बहुत प्रबल है । अछूतों के नाम पर दुनिया में कई नारे लगाये जाते हैं, दुनिया में बहुत सी संस्थायें, हरिजन सेवक संघ वगैरह के नाम से, खोली जाती हैं, लेकिन हमारा जो काम होता है वह अमल में कम होता है और बोलने में ज्यादा होता है ।

इसी तरह से एम्प्लायमेंट ऐक्सचेंज का हाल है । नौकरी में हमें साढ़े बाहर परसेंट मिला हुआ है तो एम्प्लायमेंट ऐक्सचेंज में ठीक ठीक काम होना चाहिये । हमारे श्री गिरि साहब जो मजदूरों के मंत्री हैं वह नये हैं और अभी नया काम संभाला है लेकिन मुझे आशा है कि जो हम लोगों का सवाल है उसे वह सामने रखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वह हम लोगों की मदद करने के लिये सब कुछ करेंगे और इम्प्लायमेंट में हम लोगों का ख्याल रखेंगे ।

इस के बाद मुझे यह कहना है कि जो डैलीगेशन (प्रतिनिधि मंडल) विलायत वगैरह दूसरी जगह जाते हैं उन में जो मजदूरों के बारे में होते हैं उन में तो थोड़े थोड़े लोगों को लेते हैं लेकिन और जो डैलीगेशन होते हैं उन में नहीं लेते । गवर्नमेंट का ध्यान मैं इस तरफ दिलाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि हम देश के बाशिन्दे हैं, देश हमारा है और यह स्वतंत्र देश है इसलिये इस देश में कोई भी काम हो उस में हम को भी हिस्सा मिलना चाहिये । मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोगों की भलाई के लिये मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान देंगे ।

इस के बाद मुझे यह कहना है कि पाकिस्तान में जो लेबरर्स हैं उन में ज्यादातर भंगी हैं और वहां से उन को यहां आने नहीं दिया जाता । उन की वहां हालत बहुत खराब है । बटवारे के पहले हमारा एक दलित फैडेरशन था जो कि सारे देश के लिये था लेकिन अब वह अलग रह गया है । मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार इस बात की कोशिश करेगी कि वहां जो भंगी हैं उन को यहां लाया जाय क्योंकि उन की हालत वहां बहुत खराब है । बहुत से लोग तो बोलते हैं कि वे मुसलमान बन चुके हैं । तो जो हमारे मजदूर या मजदूरों के नाम से दूसरे देशों में काम करते हैं उन की हालत सुधारने के लिये आप ज्यादा ध्यान दें। ऐसी अपील मैं गवर्नमेंट से करना चाहता हूं ।

इस के बाद मुझे यह कहना है कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो गवर्नमेंट ने शुरू की है, यह कांग्रेस की एक संस्था है, यह मजदूरों के प्रतिनिधियों की संस्था नहीं है । ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में मेरा कहना यह है कि वह मजदूरों

[श्री पी० एन० राजभोज]

का हित करने वाली नहीं ह । कांग्रेस जसे और कई प्रकार की संस्थायें खोले हुए है, जैसे एक हरिजन सेवक संघ निकाला, दूसरा चर्खा संघ निकाला, उसी तरह से तीसरा ट्रेड यूनियन कांग्रेस मजदूरों के नाम से निकाला ह । तो मैं डिप्टी स्पीकर साहब का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि ऐसी जो कार्यवाही हो रही है, वह देश के लिये अच्छी नहीं है । जब तक आप हम लोगों को विश्वास में नहीं लेंगे और अपने मनमाना काम करेंगे तब तक देश का भला नहीं हो सकता है । इस लिये जो जल्दबाजी यह काम करने के लिये हो रही है वह दुनिया की आंखों में धूल डालने के लिये, मिट्टी डालने के लिये है, और फिर दुनिया में बताते हैं कि हम मजदूरों का भला कर रहे हैं। हम उसे प्रतिनिधि संस्था नहीं मानते । हमारे यहां एक हड़ताल हुई थी तो उन्हों ने कहा कि हमारे मेम्बर हो जायें तो हम कुछ करेंगे । एक दृष्टि से हम को आनन्द भी होता है और दूसरी दृष्टि से दुख भी होता है कि यहां हमारे ७२ प्रतिनिधि अछूतों के हैं। वे तो गवर्नमेंट के खिलाफ बात चीत नहीं करते हैं क्योंकि उन को आवाज उठाने का अधिकार नहीं है लेकिन जिस पार्टी के नाम से मैं चुनाव में आया हूं उस से मुझे अधिकार है कि जहां तक हमारे अछूतों का सवाल है हम आवाज उठायें । जो देश के सवाल हैं उस में तो हम देश के साथ हैं ही लेकिन जो अछूत के सवाल हैं उन में हम को आवाज जरूर उठानी है । इसलिये मैं हाउस से और सब से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह जो हजारों वर्षों से गिरी हुई जाति है उस को ऊपर उठाने की कोशिश करें । गांधी जी का नाम तो आप हर वक्त लेते हैं लेकिन गांधी का जो आदर्श है, जो तत्वज्ञान है, उस को अमल में नहीं लाते । अगर आप गांधी जी के सच्चे भक्त हैं तो उस को अमल में लाइये । जब हमारे डाक्टर अम्बेडकर लौ मिनिस्टर थे तो उन्हों ने कई क़ानून बनाये और हमारे भाई जगजीवन राम जी उस को अमल में लाये । लेबर के बारे में जगजीवन राम जी ने कुछ किया है लेकिन जो कुछ किया है उस को बनाने वाले और उस को असली रूप म करने वाले डाक्टर अम्बेडकर थे ।

यह तो मैं समझता हूं कि हमारी विजय है और मुझे उम्मीद है कि जो अछूतों के बारे में सवाल है उन को हल किया जायेगा । हमारे देश में करीब ५–६ करोड़ अछूत हैं और उन में से मजदूरों की संख्या ज्यादा है। मेरा कहना है कि मजदूरों की संख्या बढ़नी चाहिये और उन को ग्रैचटी (उपदान) वग़ैरह भी मिलनी चाहिये । दिल्ली में जा कर देखिये, मजदूरों की क्या हालत है । मैं परसों मोरीगेट गया था । जमुना के किनारे महाराष्ट्र के और दूसरे दूसरे स्थानों के हरिजन बैठे हुए थे । उन को रहने के लिये मकान नहीं हैं। मकान का सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है, उस के लिये भी काम होना चाहिये । प्लानिंग कमीशन (योजना आयोग) ने बड़ी बड़ी योजनायें लिखी हैं लेकिन मजदूरों के बारे में, अछूतों के बारें में कोई अच्छा प्रबन्ध उन मे नहीं है। इसी वास्ते दिल्ली के मजदूरों की स्थिति भी बहुत खराब है। वे रास्ते में सोते हैं, उन को रहने को मकान नहीं है। देश आजाद हो गया है लेकिन हम लोग अब भी परतन्त्र हैं । मैं समझता हूं कि जब तक हम कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करेंगे तब तक उन की हालत सुधर सकना बहुत मुश्किल है ।

जो मिल मालिक हैं वह अपनी मनमानी करते हैं और मजदूरों को परशान करते हैं ।

कलकत्ता में इतने काम हैं वहां बहुत से मजदूर बेकार हैं, शोलापुर और वार्शी की मिलों में बहुत से लोग बेकार हैं, और मिल मालिक मन मानी कर रहे हैं, इस लिये उन के ऊपर भी प्रतिबन्ध होना चाहिये। मिल मालिकों को करोड़ों रुपये मिलते हैं लेकिन वे गरीबों का भला नहीं करते। इस लिये मैं हाउस से प्रार्थना करता हूं कि मजदूरों का भला होना चाहिये और हमारे अछूतों का जो छुआ छूतपन है वह नष्ट होना चाहिये और इस लिये यह कोशिश होनी चाहिये कि उन की गवर्नमेंट में इम्प्लायमेंट की जो स्थिति है वह सुधरे और यह सुधार तब हो सकता है जब हम उन के रीयल रिप्रेजेन्टेटिव (वास्तविक प्रतिनिधि) को रखें। यही मैं हाउस से प्रार्थना करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी सरकार इस पर ध्यान देगी। इतना कह कर मैं भाषण समाप्त करता हूं।

डा० लंका सुन्दरम (विशाखापटनम) : देश ने ३० वर्ष तक मजदूर-संघों के कार्य के अनुभवी श्री गिरि के श्रम मंत्री बनने पर पूरा हर्ष प्रकट किया। और वह उन के द्वारा तत्काल उठाये गये पगों पर भी ध्यान दे रहा है। बीस वर्ष पहले उन्हों ने मुझे आंध्र देश में एक रेलवे हड़ताल चलाने में परामर्श दिया था। तब आंदोलन के दिनों में हड़तालें जनता को प्रिय थीं, पर अब युग बदल गया है। तो मुझे माननीय श्रम मंत्री के एक घनिष्ठ साथी के रूप में पिछले कुछ वर्ष उनको निकट से देखने का अवसर मिला है और वह मजदूरों के अधिकारों के घोर प्रवक्ता रहे हैं पर पद मिलते ही उन की चाल धीमी पड़ती देखी गई है।

श्री ो० दास (जाजपुर-क्योंझर) : वह अब उत्तरदायी बन गये हैं।

डा० लंका सुन्दरम : मैं शायद उन का भाषण ठीक ही उद्धृत कर रहा हूं। मद्रास के श्रम मंत्री के रूप में त्रिचनापल्ली के एक प्रसिद्ध भाषण में उन्हों ने श्रमिकों के हड़ताल के अधिकार को स्वीकार किया था। पर बम्बई के अपने एक ताजे भाषण में अखिल भारतीय निर्माता संघटन की बैठक में २ जून को उन्हों ने कहा कि श्रम-विधानों म उनको विशेष भरोसा नहीं है, बल्कि मालिक-मजदूरों के समझौतों में अधिक भरोसा है। यह खतरनाक सिद्धांत है और वह भी २५ वर्ष तक मजदूरों में काम करने वाले एक मजदूर नेता के मुख से। भारत सरकार भी अपनी मानी हुई नीति से पलट रही है। मैं अपने माननीय मित्र से यह आश्वासन चाहूंगा कि मेरे जैसे लोगों द्वारा लगाया गया अर्थ उन्हें अभिप्रेत नहीं है।

श्री वेंकटारमन (तंजोर) : आप ने उन्हें ठीक ही समझा है।

डा० लंका सुन्दरम : अच्छा ? तो लीजिये, उधर से भी मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि मैं ने ठीक समझा है। हां तो इस समस्या का निर्देश करने में मेरा प्रयोजन देश में कुछ संभावी बातों से था और विशेषत: औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रशासन से। एक मजदूर नेता के नाते मुझे ११ महीने औद्योगिक न्यायाधिकरण के सामने जाने का मौका मिला है। इस सम्बन्ध में मुझे विजयवादा में १७ जनवरी, १९५२ को औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश का सारांश उद्धृत करना है। उस में कहा गया है कि २८-७-५१ को सरकार द्वारा किया गया निर्देश उन्हें १-८-५१ को मिला और वक्तव्य देने के लिये पूर्वसूचनायें उसी दिन निकाल दी गयीं। श्रम संगठनों का वक्तव्य २९-८-५१ को आगया और प्रबंधकों का वक्तव्य न्यायाधिकरण स्थापित होने के तीन महीने बाद १९-१०-५१ को आया। उस के बाद भी लेखा आदि देने में उन्हों ने कई बार देर लगाई और कम्पनी की खाताबही (लेजर) तो अब तक नहीं दी। इस रवैये से

[डा० लंका सुन्दरम्]

श्रम में कटुता फैल गई है। तो मैं पूछता हूं कि क्या न्यायाधिकरणों की यह अवज्ञा होने दी जायेगी ? माननीय मंत्री द्वारा बम्बई में कही गई बात खतरनाक सिद्ध होगी। गत तीस वर्ष से और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के युग में भी हम मानते रहे हैं कि श्रमिक मालिकों की अपेक्षा दुर्बल हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करनी होगी। नहीं तो न्यूनतम मजूरी अधिनियम, शिशु सेवायोजन अधिनियम, फैक्टरी अधिनियम और मध्यस्थता अधिनियम आदि की क्या आवश्यकता होती ? यदि भारत सरकार अपनी नीति बदलना चाहती है, तो मंत्री जी अभी स्पष्ट कह दें, ताकिमजदूर और मालिक उसके प्रति वैसा रवैया बनालें। क्यों कि यदि सरकार अपनी नीति पलटती है, तो मालिक-मजदूर सरकार का त्रिपक्षी आधार ही नष्ट हो जायेगा, और मेरे माननीय मित्र निश्चय ही यह नहीं चाहते।

तो श्रमिकों को न्यायाधिकरण से शीघ्र निर्णय पाने की वैसे भी संभावना नहीं। फिर औद्योगिक न्यायाधिकरण अधिनियम, १९४७ की धारा ७ में न्यायाधिकरणों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उपबंध है, पर बम्बई के बैंक न्यायाधिकरण को छोड़ ऐसा कभी देखने में नहीं आया। हाल में मालिकों के कुछ स्वार्थों द्वारा बम्बई में श्रम मंत्री जी को दिये गये स्मृति-पत्र में अधिनियम की धारा ३ को उड़ा कर अपील-न्यायाधिकरण बनाये रखने की बात कही गई थी, जिसे सभी उत्तरदायी श्रम संगठन हटाने की मांग करते हैं। स्पष्ट ही उस में व्यय भी अधिक पड़ता है और देर तो होती ही है। सो आशा है, श्रम मंत्री जी इस पर विचार कर श्रमिकों के विपक्ष में निर्णय न करेंगे।

सुना गया है कि वह विवादग्रस्त मजदूर संघ तथा श्रम सम्बन्ध विधेयकों को इस सत्र में नहीं लाना चाहते। निश्चय ही सभी इस में उनके साथ हैं। फिर वह न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ की अनुसूची के भाग २ अर्थात् खेतिहर मजदूरों में इसके क्रमशः लगाये जाने की ओर भी बढ़ने की इच्छा रखते हुए सुने गये जो यदि ठीक है तो निश्चयही हर्ष का विषय है।

फिर मैं मार्च, १९५२ के 'लेबर गजट' से कुछ आंकड़े देकर बताऊंगा कि औद्योगिक और सामाजिक कल्याण-कार्य में प्रगति हो रही है और हड़तालें कम होती जा रही हैं। १९३९ में ५० लाख जन दिवस नष्ट हुए थे, १९४६ में १२७ लाख, १९४८ में ७८ लाख, १९४९ में ६६ लाख, १९५० में १२८ लाख और १९५१ में ३५ लाख। इस से एक मजदूर नेता के रूप में मैं समझता हूं कि स्वतंत्रता के बाद मजदूरों में ज़िम्मेबारी की भावना आ गई है। मजदूरों की अनुपस्थितियों के आंकड़े भी यही बताते हैं। लोहे और इस्पात उद्योग में १४.३ प्रतिशत (१९४८) से अब (जनवरी, १९५२) यह १० प्रतिशत रह गई है इसी प्रकार सीमेंट उद्योग में १२.२ प्रतिशत (१९४७) से अब १०.२ प्रतिशत, दियासलाई उद्योग में १२.४ प्रतिशत (१९४७) से अब ८.४ प्रतिशत और आर्डनैंस कारखानों में १०.६ प्रतिशत (१९४७) से अब ७.८ प्रतिशत रह गई है। समय मिलता तो मैं कोयला उद्योग को भी लेकर दूसरे प्रकार से यही बात सिद्ध करता। मार्च, १९५२ का ही लेबर गजट बताता है कि कोयले में श्रम की उत्पादन क्षमता १९५० के ०.३३ से बढ़ कर १९५१ में ०.३४ हो गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : दो मिनट और हैं।

डा० लंका सुन्दरम : तो औद्योगिक विवाद, अनुपस्थितियां और श्रम-उत्पादन क्षमता सभी बातें बताती हैं कि भारतीय श्रम अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक है और सम्मानपूर्वक समझौते के लिये उद्यत रहता है। आशा है, देश की श्रम-स्थिति

सुचारु संचालन में मंत्री जी विधानों के साधन को आज त्याग न देंगे। मैं तो उस दिन की बाट देखता हूं जब लाभ बटाना और श्रम की साझेदारी राज्यनीति का स्तंभ बनेगी। तब तक औद्योगिक तथा सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में न प्रगति हो सकेगी न क्रांति। पूरी आशा है कि सरकार और मंत्री जी आवश्यक विधान बनाने में और समस्याओं की अपेक्षा भी इस पर अधिक ध्यान देंगे।

गत २५ वर्ष के अपने अनुभव में मैं ने मज़दूरों में असंगठन और अनैक्य भी देखा है। पोतागार (शिपयार्ड) के मज़दूरों के प्रधान के नाते वहां इसी फ़रवरी में एक हड़ताल में मुझे विजय मिली और तत्कालीन प्रभारी श्री गाडगिल द्वारा ६ लाख रुपये प्राप्त किये। पर मेरा कहना है कि जब तक मज़दूर-मोर्चे पर पारस्परिक संगठन के साथ पांच वर्ष के लिये शांति स्थापित नहीं हो जाती, औद्योगिक उत्पादन न बढ़ सकेगा। उसे राजनीति से अलग रखना होगा चाहे वह कांग्रेस हो या श्री राजभोज द्वारा प्रशंसित आई० एन० टी० यू० सी०। यहां पर ४-५ लोग देश के मज़दूरों के नेता होने का दावा करते हैं, पर उनको बम्बई की वस्त्र-हड़ताल की भांति, जो मालिकों या सरकार के कारण नहीं बल्कि मज़दूरों के अनैक्य के कारण टूटी, गड़बड़ी न कर मज़दूरों के हित की ओर ही ध्यान देना चाहिये।

श्री वेंकटाग्मन: श्रम ऐसा विषय है जिस का देश की दलीय-नीति से सीधा सम्बन्ध है और सदन में उस ओर बैठने वाले सदस्य भी मज़दूर-संघों के क्षेत्र में हमारे कंधे से कंधा मिला कर काम करते हैं। हमारे नये श्रम मंत्री श्रम-क्षेत्र में ३० वर्ष के अनुभवी हैं और दृढ़ता के साथ मज़दूरों की कठिनाइयों की बात उठाते रहे हैं। श्री राजभोज ने कहा कि कुछ मज़दूर संघ कांग्रेस का अंग हैं। पर ऐसी बात नहीं। हो सकता है कि कुछ लोग मज़दूर-संघों के नेता हों और किसी राजनीतिक दल से भी सम्बद्ध हों। कुछ लोग हिंद मज़दूर सभा और समाजवादी दल दोनों से ही सम्बद्ध हैं, वैसे ही कुछ लोग अखिल भारतीय राष्ट्रीय मज़दूर संघ और कांग्रेस से साथ-साथ सम्बद्ध हैं। पर कांग्रेस का अलग श्रम विभाग है और प्रादेशिक कांग्रेसों के अलग श्रम उपभाग हैं। वस्तुतः अखिल भारतीय राष्ट्रीय मज़दूर संघ तो सर्वथा स्वतंत्र संस्था है। कुछ लोग संस्थाओं की नीति न समझकर अज्ञान से उन पर कीचड़ उछालते हैं। श्री राजभोज ने यह भी कहा था कि कुछ विधान डा० अम्बेडकर ने प्रस्तुत किये थे और श्री जगजीवनराम ने उनको कार्यान्वित भर किया है। उलटे मेरी शिकायत है कि उन्हों ने डा० अम्बेडकर द्वारा पारित थोड़े से विधानों को कार्यान्वित तक नहीं किया है। उन्हों ने दूसरी ओर श्रम के लिये उपकारक न्यूनतम मजूरी अधिनियम, बागीचा अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम आदि, जैसे विधानों की एक शृंखला ही खड़ी कर दी है और भारत को अत्यन्त प्रगतिशील देशों के समकक्ष बना दिया है। प्रजा-समाजवादी दलों के कालीकट से आये मेरे मित्र ने उन विधानों को उचित सीमा तक कार्यान्वित न होने की आलोचना की है, पर मेरा सीधा उत्तर है कि उन विधानों के कार्यान्वित होने पर सभी के द्वारा अधिक ज़ोर दिया जाना चाहिये। हम मज़दूर नेता तो सदैव अधिक-अधिक की ही मांग करते रहते हैं। तो मेरे माननीय मित्र का तर्क यदि यह हो कि सरकार वह नहीं करती जो उसे करना चाहिये था, तो यह तर्क टिक नहीं सकता। पर यदि मेरे माननीय मित्र की इच्छा यह है कि इतने विधान न बना कर थोड़े से ही अच्छी तरह कार्यान्वित किये जाने चाहियें थे, जैसे कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम को पारित कर सारी शक्ति उसी के कार्यान्वित करने में लगा देनी चाहिये थी, पर क्या तब तक चाय आदि के बाग़ीचों के मज़दूर प्रतीक्षा करते रहते? जीवन प्रगतिशील है और यथासंभव

[श्री वेंकटारमन]

सभी दिशाओं में आगे बढ़ना होता है। मैं चाहता था कि मद्रास में मज़दूर-संघों के सुगठित होने और बहुत से डाक्टरों के होने से वहां कर्मचारी राज्य बीमा लागू होती, तो अधिक अच्छा होता, पर मंत्रियों को स्व-विवेकानुसार निर्णय की इतनी गुंजाइश तो देनी ही होगी।

११ म० पू०

डा० लका सुन्दरम ने नीति में परिवर्तन की बात पूछी है। सभी मज़दूर संघ यही चाहते हैं कि विधानों की प्रथा में परिवर्तन हो, अनिवार्य मध्यस्थता समाप्त हो, अदालतों में कम जाना पड़े और द्विपक्षी समझौतों को प्रोत्साहित किया जाये। अधिकाधिक विधान बनाने में मैं सहमत नहीं। विवाद उठने पर दोनों पक्षों की पारस्परिक बातचीत की गुंजाइश रहने से मज़दूर हड़ताल से पहले सोच कर फैसला कराने का यत्न करेंगे और मालिक भी वैसा ही सोचेंगे। नहीं तो छोटे-मोटे विवादों पर एक अदालत से दूसरी अदालत तक अपील करने की दौड़ लग जायेगी? मैं हड़तालों से नहीं डरता, क्योंकि इसी अस्त्र के सहारे दुनियां में श्रम-आंदोलन आगे बढ़ा है। हम मंत्री जी को एक भूतपूर्व मज़दूर नेता के रूप में देखते हुए यह चाहते हैं कि वह स्थिति को साफ़ कर दें। कम से कम मैं तो प्रस्तावित परिवर्तन का स्वागत ही करूंगा।

मुझे कुछ सुझाव और देने हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम में रखी गई प्रक्रिया झमेले की है. क्योंकि न्यायाधिकरण दोवानी व्यवहार संहिता की प्रक्रियाओं से आवद्ध न होते हुए भी न्यायपालिका की ओर से आने के कारण उसे अधिक पसन्द करते हैं और इससे देरें होती हैं। डा० लंका सुन्दरम् को १०-११ महीने ही लगे, पर मुझे दो साल से निर्णीत न हो पाने वाले कुछ मामलों का ज्ञान है। अतः यदि नयी प्रक्रिया बनायी जाये. तो वह ऐसी हो जिस में देर की गुंजाइश न रहे। कुछ माननीय सदस्य चाहते थे कि इन न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष जज़ लोग बनाये जायें, पर अपने लेबर ला जर्नल के प्रकाशन के सिलसिले में मुझे सवा डेढ़ सौ मामले देखने होते हैं और मुझे पता है कि जज़ लोग अधिकांश मामलों को बिगाड़ देते हैं और उनके निर्णय सत्य से बहुत दूर होते हैं। बहुत से निर्णयों से मज़दूर और पूंजीपति दोनों ही बहुत असंतुष्ट थे और अन्त में न्यायाधिकरण के निर्णय को ठुकरा कर उन्होंने आपस में अपेक्षातय अधिक युक्तियुक्त समझौता कर लिया। इसलिये हम चाहते हैं कि यदि नीति संशोधित की जाये तो उद्योग-व्यवस्था के मनोविज्ञान को जानने वाले और किसी निर्णय के आर्थिक प्रतिफलों का ज्ञान रखने वाले तथा प्राविधिक और वैध हिचाकिचाहटों को छोड़ दोनों दलों के हित में निर्णय देने वाले अनुभवी मज़दूर-नेताओं, श्रम-विधानों के अनुभवी प्रशासकों और लागत लेखाओं के विशारदों को न्याया-धिकरणों का सदस्य नियुक्त किया जाये, जजों को नहीं।

अब खेतीहर मज़दूरों को लें। न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम १९४८ में पारित किया गया पर खेतिहर मज़दूरों में उसके लगाये जाने की तिथि समय समय पर बढ़ायी जाती रही। कटु-आलोचना से पहले हमें एक बात समझनी है कि विधि बनने पर भी अपने आप तब तक कुछ नहीं हो सकता, जब तक उसे कार्यान्वित कराने के लिये हम उस विशिष्ट क्षेत्र में भी सुगठित मजदूर संघ न खड़े कर दें। पर यह न्यूनतम मजूरी अधिनियम के कार्या-न्वित करने में देर करने के लिये सरकार के लिये यह कोई बहाना नहीं है। यह देर वित्त मंत्री और योजना आयोग के कारण हुई।

योजना-आयोग ने काफ़ी देर लगाई और अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि कुछ विशिष्ट मदों में इसे लगाया जा सकता है और १९५३ के अन्त से पहले इसे लागू कर दिया जाना चाहिये ।

श्रमिकों को एक और कठिनाई है कि अपील न्यायाधिकरण के निर्णय स्वरूप अधीक्षक कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम को सीमा से अलग कर दिया गया है । क्लर्कों तथा शारीरिक श्रम करने वालों को ही काम कर की परिभाषा में लेकर और अधीक्षक लोगों को निकाल कर इसने श्रम को दो दलों में बांट दिया है. जो न देश के हित में है न मज़दूरों के । इससे दोनों के अलग-अलग मज़दूर संघ बनने से गुत्थियां बढ़ेंगी । किसी दूसरे देश में भी ऐसे विभेद नहीं है, और इसका तुरन्त उपाय करना होगा ।

फ़िर छंटनी है । अब हम मंदी के युग में आते जा रहे हैं और कई संस्थापनों में बंद हो जाने का भय हो गया है । पर मज़दूरों को मालिकों की दया पर न छोड़ दिया जाना चाहिये । यदि छंटनी अनिवार्य हो, तो श्रम विधान विधेयक के उपबंध की भांति मज़दूरों को प्रति वर्ष के काम के लिये १५ दिन का उपदान तो मिलना ही चाहिये । यदि ऐसा शीघ्र न किया गया. तो मज़दूरों के साथ भारी अन्याय होगा, क्योंकि वे छंटनी के भारी संकट से गुजर रहे हैं ।

अन्त में डा० लंका सुन्दरम् द्वारा सुझाई गयी मज़दूर-संघ की एकता का समर्थन करते हुये मुझे कई मज़दूर-संघों से संबंध रखने वाले तथा मज़दूरों की एकता विषयक नागपुर संकल्प में भारी भाग लेने वाले श्री वी० वी० गिरि से एक निवेदन करना है । अब समय आ गया है कि प्रजातंत्र की रक्षा के लिये और दायें बायें दोनों पक्षों की प्रति-क्रियावादी शक्तियों और सर्वाधिकारवादी प्रवृत्तियों से मोर्चा लेने के लिये मज़दूरों में एकता स्थापित की जाये । एक स्वस्थ मज़दूर आंदोलन प्रजातंत्र की रीढ़ है और उसमें एकता स्थापित कर देना माननीय मंत्री की सबसे बड़ी सफ़लता होगी ।

श्री विद्यालंकार (जालंधर) : मुझे इस बात पर बहुत हैरानी इई कि यहां पर बहुत से मामलों को बजाय इस के कि हम उन को पोजिटिव (सीधे) तरीके से सोचें नैगेटिव क्रिटिस्ज़म (उलटी आलोचना) किया जाता है और बहुत सी बातें इस किस्म की कही जाती हैं जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं । मुझे इस बात से और भी ज्यादा हैरानी हुई जब कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस पर यहां एतराज़ किया गया । यहां पर यह भी कहा गया है कि पिछले पांच सालों से जो लेबर लाज़ (विधियां) बनाये गये हैं उन पर अमल नहीं हो रहा है । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उन कानूनों पर अमल क्यों नहीं हो रहा है । दर असल जितने भी कानून आप इस तरह से बनावें उन पर तब तक अमल नहीं हो सकता जब तक कि मज़दूरों का संगठन मज़बूत न हो । मज़दूरों के संगठन के ऊपर ही इन कानूनों पर अमल होना निर्भर करता है ।

आज हमारे यहां ट्रेड यूनियन मूवमेंट (मज़दूर आंदोलन) की क्या हालत है । मैं समझता हूं कि आज हमारे यहां ट्रेड यूनियन मूवमेंट इतना कमज़ोर है कि जितना पहिले भी नहीं था । इस की क्या वजह है कि आज यह ट्रेड यूनियन मूवमेंट इतना कमज़ोर हो गया है । पिछली लड़ाई के दिनों में कुछ पोलिटिकल पार्टियां (राजनैतिक दल) ने ट्रेड यूनियन को अपने मक़सद हासिल करने के लिये एक अखाड़ा बनाया था । उस समय उन लोगों ने उस 'वार' (युद्ध) को पीपुल्स वार (लोक युद्ध) कह कर मजदूर को उस युद्ध में घसीटना चाहा और उन्होंने इस नारे के द्वारा मज़दूरों को अपनी राजनैतिक

[श्री विद्यालंकार]

पालिसी के अनुसार चलाने की कोशिश की। इस तरह ट्रेड यूनियन को पोलिटिकल लाइन्स (राजनैतिक रूप) में लाने की कोशिश की गई जिस का नतीजा यह हुआ कि मज़दूरों की संस्थायें कई किस्म की यूनियनों में बट गई। उन पार्टियों ने हमेशा स्लोगन (नारा) तो यह दिया कि "दुनियां के मज़दूरो एक हो जाओ" मगर उनकी नीति का यह नतीजा निकला कि वरकर्स (मज़दूर) कितने ही छोटे छोटे ट्रेड यूनियनों में बंट गये, और यूनाइटेड (एक) होने की जगह डिवाइड (अलग-अलग) हो गये। मगर आज इंडियन नैशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के ऊपर एतराज़ात किये जाते हैं जिस ने कि इस ट्रेड यूनियन मूवमेंट को नान पोलिटिकल लाइन (अराज़-नीतिक रूप) पर लाने की कोशिश की।

पिछले पांच सालों में जितने कानून यहां पर मज़दूरों के लिये बने मैं समझता हूं कि कोई भी गवर्नमेंट उस पर गर्व कर सकती है। पिछले पचास सालों में सब मिलाकर भी किसी भी गवर्नमेंट ने मज़दूरों के लिये इस तरह के कानून नहीं बनाये जितने कि इन पांच सालों के अन्दर इस गवर्नमेंट ने मज़दूरों के लिये बनाये और उनको फायदा पहुंचा। मैं समझता हूं कि इस बात पर कोई शक नहीं कर सकता। मैं अपने दूसरे साथियों से सहमत हूं कि इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट (औद्योगिक विवाद अधिनियम) और ट्रिब्यूनलस (न्यायाधिकरण) बहुत देरी में फैसला दे रहे हैं। मगर इस के साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जितने भी फैसले ट्रिब्यूनल्स ने दिये हैं, उन में अनेक आदर्श फैसले दिये हैं इन फैसलों से कई ऐसे हक़ कायम हुए हैं जिन्हें ट्रेडीशनल लौ (परिपारगित विधि) का नाम दिया जा सकता है। उन से मजदूरों के हकों की हिफाज़त करने में बहुत मदद मिली है और जो हक मिले हैं उन को अब कोई कानून भी नहीं छीन सकेगा।

तो मैं यह समझता हूं कि यह कहना मजदूरों के लिये कोई काम नहीं हुआ या मजदूरों के कानूनों पर बिलकुल भी अमल नहीं हुआ ठीक नहीं होगा। अगर मजदूरों के कानूनों पर अमल नहीं हुआ तो उस की वजह यही है कि मजदूरों की ट्रेड यूनियन्स को कमजोर किया गया और वह कमजोर रहीं। मैं खुद कई ट्रेड यूनियन्स के साथ सम्बन्ध रखता हूं। मजदूरों की तरफ से मतालबे रखे जाते हैं। उस वक्त दूसरी पोलीटिकल पार्टीज के लोग आते हैं और उन में छीना झपटी होती है और मजदूरों को एक तरफ से दूसरी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। बगैर सोचे हुए मज़दूरों की मांगे रखी जाती हैं। यह नहीं देखा जाता कि यह मांगों मंजूर भी हो सकती हैं या नहीं। इस में यह देखा जाता है कि मजदूरों की यूनियन मजबूत है या नहीं। न ही सोचा जाता है कि मजदूरों की यूनियन किस बात के लिये जरूरी तौर पर फाइट (संघर्ष) करना चाहते हैं और किस के लिये फाइट नहीं करना चाहते हैं। जब इन लोगों से प्राइवेट में बात की जाती है तो कहते हैं कि हम तो पोलीटिकल मकसद से यह काम करते हैं। अगर मजदूर कामयाब हो गये तो हम उसका क्रेडिट (श्रेय) ले लेते हैं और अगर नाकामयाब हुए तो हम इस का कुसूर गवर्नमेंट के उपर डाल देते हैं। यह निगेटिव पालिसी (निषेधात्मक नीति) है और मजदूरों के हित में नहीं है। इस तरह से तो कोई भी मजदूरों का कानून कामयाब नहीं हो सकता है।

मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट की इस वक्त जो पालिसी है वह बिल्कुल पाजिटिव पालिसी है।

मैं यह नहीं मानता कि मजदूरों और उद्योग-पतियों के झगड़ों के सम्बन्ध में कांग्रेस गवर्नमेंट की पालिसी न्युटरल (तटस्थ) है। यह कतई गलत है कि गवर्नमेंट की पालिसी न्युटरल है। गवर्नमेंट की पालिसी पालिसी है और इस वक्त यह मजदूरों के हित की तरफ बाइस्ड (पक्षपातपूर्ण) है। जितने कानून पिछले दिनों बने वह मजदूरों के हित में बने। अगर कोई खामी रही तो इसीलिये कि, जैसा मैं ने कहा कि मजदूरों का संगठन कमजोर रहा, जिस की वजह मैं पहिले बयान कर चुका हूं। इस वक्त इस हाउस के अन्दर जो भी दल है या जो भी मजबूत दल हैं उन में से कोई भी कैपिटलिज्म (पूंजी वाद) का हामी नहीं है और ऐसा कोई नहीं है कि जो प्रोडक्-शन (उत्पादन) के अन्दर कैपिटलिज्म को लाना चाहता हो। कैपिटलिज्म के मुख्य लक्षण यह हैं कि प्रोडक्शन न सिर्फ जनता के या वर्कर्स के हित में हो बल्कि कुछ क्लासेज (वर्ग) के, कुछ समृद्ध लोगों के हित के लिये किया जाय। दूसरा फीचर (पहलू) उस का यह है कि आय का विभाजन ऐसा हो कि वह अमीर को अमीर बनाता जाय और गरीब को गरीब बनाता जाय और जो गरीब काम करने वाले हैं उन के पास पैसा न पहुंचने दे। तीसरा फीचर यह है कि अगर रेशनलाईजेशन (अभिनवीकरण) हो, और उसके लिये खर्चों में कटौती हो तो वह वेजेज (मजूरियां) में से हो मुनाफे में से न हों। जो भी कटौती हो वह समृद्ध लोगों के मुनाफे में से न हो पर गरीब काम करने वालों की वेजेज में से हो। जहां तक मैं समझता हूं हमारी यह डैफिनिट पालिसी (निश्चित नीति) है, हमारी गवर्नमेंट की यह डैफिनिट पालिसी है कि प्रोटडक्शन में इन फीचर्स को दूर किया जाय। जो कानून बने हैं उन का मकसद यही है कि न फीचर्स को दूर किया जाय। मैं अपने लेबर मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि वह कोशिश करें, और मुझे यकीन है कि चूंकि वह ट्रेड यूनियन मूवमेंट के अगुआ रहे हैं, वह इस बात की कोशिश करेंगे कि हमारे प्रोडक्शन में से यह फीचर्स दूर हों और मजदूरों को उन का सही हिस्सा दिलाया जाय और उन को सही सतह पर लाया जाय।

अभी कहा गया है कि इस बात की जरूरत नहीं है कि नये कानून बनाये जायें बल्कि जरुरत इस बात की है कि जो पोजीशन (स्थिति) हम ने हासिल कर ली है उस को कांसालीडेट (संगृहीत) कर लिया जाय। जो कानून हैं उन को अमल में लाया जाय और उन को अमल में लाने के लिये हमारी डैफिनिट (निश्चित) और डाइनेमिक पालिसी (गत्वर नीति) होनी चाहिये और उस डाइनेमिक पालिसी का मकसद यह होना चाहिये कि मजदूरों को आगे बढ़ाया जाय।

पिछले दिनों यह कहा गया कि केपिटल (पूंजी) को इंसैंटिव (प्रेरणा) की जरूरत है। जो फिगर्स (आंकड़े) श्री लंका सुन्दरम ने दिये हैं उन से यह साबित है कि पिछले पांच सालों में मजदूरों ने अपना पार्ट (भाग) अदा किया है मजदूरों ने पूरी तरह से प्रोडक्शन (उत्पादन) को बढ़ाने की कोशिश की है, मजदूरों ने हड़तालों को कम करने की कोशिश की है, और उन्होंने ऐब्सेंटीइज्म (अनुपस्थिति) को कम करने की कोशिश की है। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि दूसरी तरफ से यानी कैपिटलिस्टस (पूंजी पति) की तरफ से पूरा रैसपांस (उत्तर) नहीं हुआ। उन की तरफ से वह कोशिश नहीं की गई जो कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये होनी चाहिये थी। यह कहा जाता है कि कैपिटल को इंसैंटिव की जरूरत है लेकिन अगर कैपिटल को इंसैंटिव की जरूरत है,

[श्री विद्यालंकार]

और कैपीटल को प्रोत्साहन की जरुरत है तो लेबर (श्रम) को भी प्रोत्साहन की जरूरत है, और लेबर को प्रोत्साहन तभी मिल सकता है जब कि लेबर का जो कुछ अधिकार है वह उसको दिया जाय और हमारी पालिसी 'वाइस्ड' (पक्षपातपूर्ण) हो लेबर की तरफ न कि कैपिटल की तरफ । इसलिये मैं समझता हूं कि हमारी पालिसी हिचकिचाहट की नहीं होनी चाहिये, वैसीलेशन (अस्थिरता) की नहीं होनी चाहिये बल्कि हमारी पालिसी डैफिनिट होनी चाहिये । मेरी राय है कि इस मामले में हमारे सेंटर की गवर्नमेंट और कुछ स्टेटस की गवर्नमेंटों में कोआर्डिनेशन (सहयोग) नहीं है । कुछ स्टेटस के अन्दर अभी तक यह समझा जाता है कि शायद अभी तक हमारी पालिसी प्रोलेबर (श्रम के पक्ष में) नहीं है बल्कि प्रोकैपिटल (पूंजी के पक्ष में) है । मैं हैरान हो जाता हूं उस वक्त जब कि मजदूर कहीं इकट्ठे होते हैं, या मजदूर कहीं पर अपनी मांग रखते हैं, या कहीं पर वह अपना नोटिस (पूर्वसूचना) देते हैं, तो इसी वक्त पुलिस वाले उन के आसपास फिरने लगते हैं । मैं समझता हूं कि यह चीजे बन्द होनी चाहिये मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट की यह पालिसी नहीं है मगर कुछ स्टेट्स में कुछ लोगों को जो यह शिकायत है दूर की जानी चाहिये और इस बात की कोशिश होनी चाहिये कि अगर मजदूर कोई ऐजीटेशन (आंदोलन) करते हैं तो उन के लिये गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म का डिसकरेजमेंट (निरुत्साहित करना) नहीं होना चाहिये ।

हमारी पालिसी यह होनी चाहिये कि हम लेबर को मोबिलाइज (संघठित) करें । अगर हम लेबर को मोबिलाइज नहीं करेंगे, और इस तरह प्रोडक्शन को प्रोत्साहन नहीं देंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकता । आज जो सब से बड़ी समस्या हमारे सामने है वह प्रोडक्शन की है । जब तक हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है तब तक हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता । आज कोशिश यह होनी चाहिये कि मेहनत करने वालों को उत्साहित किया जाय । और यह हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि आज लेबर में उत्साह नहीं है । उन को आज यह विश्वास नहीं है कि जो कुछ वह पैदा करते हैं उस में उन को अपना पूरा हिस्सा मिलेगा । उन को जो यह विश्वास नहीं है उस के लिये मैं समझता हुं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन पोलिटिकल पार्टीज की है जो कि कांग्रेस के विरूद्ध काम करती हैं । वह मजदूरों के अन्दर यह भाव पैदा करते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट मजदूरों की नहीं है और मजदूरों के हितों के विरोध में हैं । उसका नतीजा यह होता है कि मजदूरों का उत्साह भंग होता है । आज के दिन हिन्दुस्तान में इस राष्ट्र के अन्दर जो व्यक्ति लोगों के होसले को पस्त करता है, लोगों का उत्साह नहीं बढ़ाता है बल्कि उत्साह को कम करता है वह देश की तरक्की के रास्ते में रूकावट पैदा करता है । मैं समझता हूं कि आज हमारे लिये और विरोधी दल के लिये भी और उन तमाम लोगों के लिये, जो कि देश की तरक्की चाहते हैं, मजदूरों को यह विश्वास दिलाना जरूरी है कि जो कुछ काम हो रहा है वह उन के हित में है और जो कुछ वह करेंगे उस में उन को पूरा हिस्सा मिलेगा ।

इंडस्ट्रियल डिसप्यूट ऐक्ट और दूसरे कानूनों के मुतल्लिक बहुत कुछ कहा जा चुका है । मैं समझता हूं कि जहां उनके इंप्लीमेंटेशन (कार्यान्वय) का सवाल है उस में भी उन्नति की जानी चाहिये । मैं जानता हूं कि कभी कभी केसेज़ छः छः महीने

या दो दो साल तक चलते रहते हैं और मैं अपने तजूर्बे से यह कह सकता हूं कि उद्योगपति इस बात की कोशिश में रहते हैं कि मामला ट्रब्यूनल में चला जाय या अपीलेट कोर्ट (अपील अदालत) में चला जाय क्यों कि वह पैसा खर्च कर सकते हैं और वह इस तरह से न्याय को खरीद सकते हैं। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि इस में कोई ऐसी कोशिश होनी चाहिये कि इन केसेज का फैसला एक्सपिडीशस (शीघ्र हो) हो।

जहां तक फैक्टरी ऐक्ट (कारखाना अधिनियम) के इम्पलीमेंटेशन का ताल्लुक है मेरा सुझाव यह है कि जो इंस्पेक्टर हैं उन की तादाद बहुत कम है और इस लिये जो चीजें फैक्टरियों के अन्दर देखी जानी चाहियें वह नहीं देखी जा सकतीं। इस लिये इस बात का भी प्रबन्ध किया जाना चाहिये कि नान आफिशियल विजिटर्स (गैर सरकारी दर्षक) भी वहां जा सकें और देख सकें। इस से यह फायदा होगा कि फैक्टरियों की हालत बहुत सुधर जायगी।

मैं समझता हूं कि इस समय तीन चीज़ों की तुरन्त आवश्यकता है जो कि करनी हैं। एक तो यह कि जो मजदूरों की ट्रेड यूनियनस हैं उन का रिकागनीशन (मान्यता) फौरन होना चाहिये। दूसरे कैपिटलिस्टिक देशों तक में इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है फिर यहां क्यों न होना चाहिये। दूसरी बात यह है कि एक तरफा वेजेज में कमी नहीं होनी चाहिये। अगर वेजेज में रिडक्शन (छंटनी) करना है तो यह कंसिलियेशन मैशिनरी (सौमनस्य साधन) के ज़रिये होना चाहिये और जब तक कि लेबर डिपार्टमेंट इस की इजाजत न देदे उस वक्त तक वेजेज़ में कमी नहीं होनी चाहिये। इसी तरह से यूनीलेटरल रिट्रेंचमेंट (एकपक्षी छंटनी) के बारे में भी होना चाहिये। इस वक्त हमारे देश में रिट्रेंचमेंट एक बड़ी समस्या बन गई है और खास तौर पर जब से स्लम्प (मंदी) आया है तब से यह समस्या बहुत बढ़ रही है। इस के साथ ही खास तौर से मैं इस तरफ भी तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि हमारी जो बड़ी बड़ी स्कीमें (योजनायें) चल रही हैं जैसे भाखरा नांगल हीराकुड वगैरह, और खास तौर से मैं भाखरा के बारे में जानता हूं, कि यहां पर जो लेबर काम करती है उस पर कोई भी लेबर लाज (श्रम विधियां) लागू नहीं होते हैं, न फैक्टरी ऐक्ट (कारखाना अधिनियम) ही लागू होता है, न पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट (भुगतान अधिनियम) लागू होता है और न दूसरे लेबर लाज़ लागू होते हैं। उस का नतीजा यह होता है कि दस हजार लेबर उन फायदों से, उन अधिकारों से, वंचित हो जाती है जो कि उस को मिलने चाहियें।

मेरा सुझाव यह है कि फैक्टरी की जो डिफीनीशन (परिभाषा) है उस को कुछ फैला कर गवर्नमेंट के जो रिवर वैली प्रोजैक्टस (नदी घाटी परियोजनायें) हैं और जहां लेबर का कसन्ट्रशन (समूहन) है वहां पर लागू करना चाहिये। मुझे भाखरा और नांगल का तजुर्बा है, वहां ऐसे अवसर आते है, जब कि वर्कमेंस कम्पेनसेशन ऐक्ट (कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम) बहुत लोगों को फायदा नहीं पहुंचाता। कई केसेज (मामले) होते हैं. कई एक्सीडैंटस (दुर्घटनायें) होते हैं लेकिन मजदूरों को कोई राहत नहीं मिलती। मैं चाहता हूं कि इस की पूरी तरह से जांच की जाय और वर्कमेंन कम्पेनसेशन ऐक्ट को पूरी तरह से लागू किया जाय। उसी के साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के जो काम है, पी० डब्लू० डी० (जन वास्तु विभाग) है, गवर्नमेंट की फैक्टरीज हैं और दूसरे जो काम हैं उन में गवनमेंट के अपने मुलाजिम हैं,

[श्री विद्यालंकार]

जिन की बडी भारी तादाद है। मैं यह जानता हूं कि गवर्नमेंट की यह पालिसी नहीं है लेकिन वह लोग जो कि गवर्नमेंट के काम को चला रहे हैं अब भी शायद उन के दिमाग पुराने जमाने में हैं, और वे नये जमाने की पालिसी को शायद अभी नहीं समझ सके हैं। नतीजा यह है कि वे मजदूरों के साथ ठीक सलूक नहीं करते हैं। मेरा निवेदन है कि पुराने पी० डब्लू० डी० कोड के अन्दर तब्दीली की आवश्यकता है और दूसरी चीजों में भी तब्दीली की आवश्यकता है। जहां गवर्नमेंट के मजदूर हैं वहां गवर्नमेंट को कैपिटलिस्टों की तरह काम नहीं करना चाहिये बल्कि सही तौर पर उन को वह रास्ता दिखाना चाहिये जो कि दूसरे उद्योगपतियों के लिये नमूना बने।

इसी तरह से मैं यह कहना चाहता हूं कि फूड सबसिडी (खाद्य सहायता) से जो हालत पैदा हुई है उन के सम्बन्ध में मजदूरों को काफी शिकायत है। कम से कम इतना अवश्य होना चाहिये कि जो लोग दो सौ रूपये से कम वेतन पाते हैं उन को पुराने भाव पर अन्न दिया जा सके। इस किस्म का कोई न कोई प्रबन्ध अवश्य होना चाहिये।

मैं कुछ और चीजें भी कहना चाहता था लेकिन समय नहीं है। अंत में केवल इतना कहना चाहता हूं कि आइन्दा साल में यदि हम लोग कुछ भी अमली तौर पर मजदूरों के सम्बन्ध में कर सकें तो मैं समझता हूं कि मजदूरों को इस बात का काफी विश्वास करा सकेंगे कि यह राज्य उन के लिये है और दर असल उन का अपना राज्य है यह भावना उन के अन्दर पैदा हो सकेगी।

श्री दामोदर मेनन (कोजिकोडि) : श्री वेंकटारमन ने बहुत सीमा तक मेरी आलोचना का पूर्वानुमान करते हुय उसका उत्तर दे कर मेरा भार कुछ हलका कर दिया है पर कठिनाई यह है कि आलोचना की वैधता मानते हुये भी मेरे द्वारा उनका रखा जाना उनको उचित न जचा और उनका स्पष्टीकरण बहुत कुछ खेद-प्रकाश सा रहा। यह ठीक है कि जीवन को विभागों में नहीं बांटा जा सकता पर सरकार विधानों के बनाने और कार्यान्वित करने में श्रम को पूर्ण आशा सी देती रही है। वे कहते हैं कि विधान न बनाने से श्रम का कुछ न कुछ अंश असंतुष्ट रहेगा। पर श्रम विधान बनाने से नहीं उनके कार्यान्वित करने से संतुष्ट होगा। पर कार्यान्वय के समय सरकार मुकर जाती है। सरकार और पिछले श्रम मंत्री कुछ सर्वप्रिय सिद्धांत तो दुहराते रहे पर उनके कार्यान्वित करते समय हम देखते हैं कि सरकार दृढ़ नहीं रहती। पर कुछ सिद्धांत को कार्यान्वित करने के लिये विधान बनाकर जनता को नयी आशायें देने के साथ ही उनको कार्यान्वित करना भी हमारा कर्त्तव्य है। सो मेरी यह पूर्ण आलोचना न केवल मेरे मित्र ने ही मानी है, बल्कि जुलाई, १९५१ में निकाले गये कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र में भी सामाजिक न्याय के लिये विवादों के पंच निर्णय की प्रक्रिया में होना कम करने की बात कही गयी है। इसे सभी चाहते हैं पर इसके कार्यान्वय में खेद-प्रकाश और बहानेवाज़ी नहीं करनी चाहिये।

डा० लंका सुन्दरम् के कांग्रेस की श्रम-नीति में घोर सुधार वाले सुझाव का समर्थन करते हुए हमें श्रम से ब्रिटिश कालीन सरकारी शत्रुता की याद हो आती है, जब हड़ताल के नाम पर ही पुलिस और मजिस्ट्रेट घबड़ाकर मज़दूरों को कुचलने और मालिकों की पीठ ठोकने के लिये दौड़ पड़ते थे। यही स्वयं श्री गिरि ने शायद १९३२ में कहा था

यह नहीं कहा जा सकता कि अब कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पर देखना यह है कि अन्तर कितना आ गया है। गोरखपुर में रेल कर्मचारियों पर गोली चलाने की बात उस दिन सदन में उठायी गयी थी। ट्रावणकोर में भी पसुमलाई में उस दिन पुलिस ने गोली चलाई थी। ऐसे ही बहुत से उदाहरण हैं। तो यह मालिकों के संरक्षण वाली नीति बदलनी चाहिये। भले ही मंत्री लोग इसे समझते हों. पर नीचे मजिस्ट्रेट तो अब भी पहले की भांति हड़ताल के नाम पर घबड़ा उठते हैं।

श्री वेंकटारमन ने कांग्रेस और अ० भा० राष्ट्रीय मज़दूर कांग्रेस का भेद समझाने की बहुत कोशिश की पर उसे सदा से सरकार की ओर से पैतृक या मातृक पोषण मिलता रहा है। डा० लंका सुन्दरम् द्वारा सुझायी गयी मज़दूर ऐकता सभी चाहते हैं, पर जब सरकार एक मज़दूर संघ अर्थात् अ० भा० राष्ट्रीय मज़दूर-संघ का पक्षपात करे बम्बई में वस्त्र कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का पूर्णाधिकार उसे देने के लिये औद्योगिक संबंध अधिनियम तक में संशोधन कर दे और उत्तर प्रदेश में काम-समितियों में उसे प्रतिनिधियों के नाम-निर्देशन का एकमात्र अधिकार देने वाले नियम बना दे तो उस दशा में ऐकता कैसे हो सकती है? उसके इस दावे का कि वह देश के अधिकांश मज़दूरों की प्रतिनिधि है, परीक्षण होना चाहिये। माननीय मंत्री जन मत लेकर इसका परीक्षण करें, क्योंकि विवाद के निर्णय की वही प्रजातंत्री रीति है। यही परीक्षण मज़दूर-सघों को मान्यता देते समय किया जावे। तब अ० भा० राष्ट्रीय मज़दूर-संघ के पक्षपात वाली नीति लुप्त हो जायेगी।

डा० लंका सुन्दरम् ने माननीय मंत्री के एक वक्तव्य का अर्थ लगाया कि वह इस पक्ष म हैं कि अब विधान निर्माण को कम महत्व दिया जाये। मैंने उस वक्तव्य को इस रूप में नहीं समझा था। औद्योगिक शांति के दो पहलू हैं निरोधात्मक और सुधारात्मक। पहले के अनुसार औद्योगिक-अशांति रोकने का काम सरकार का है जिसके लिये उस ने काम-समितियां बनायी हैं। इनमें मालिकों और मज़दूरों दोनों के प्रतिनिधि साथ बैठकर अपनी समस्यायों पर विचार करते हैं और सुधारात्मक उपाय सोचते हैं। ये समितियां देश में पूर्णतः असफल रहीं। सरकार ने उनको उतनी प्रभावी शक्ति नहीं दी कि इगलैंड की विटले कोंसिलों की भांति काम कर सकतीं। निरोधात्मक दो सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिये—पहली बात उद्योग में प्रजातंत्र की है और दूसरी लाभ के विभाजन की। यदि चुनाव उचित प्रजातंत्री ढंग से किये जायें और लाभ विभाजन का यह सिद्धांत मालिकों द्वारा मान लिया जाय कि मज़दूरों को भी लाभ के एक अंश को पाने का अधिकार है, तभी वे सारी बातें निपटायी जा सकेंगी। बोनस तो दयास्वरूप दिया गया दान भर है उसे अधिकार नहीं कहा जा सकता।

सुधारात्मक पहलू में सरकार की नीति बिलकुल असफल रही है। औद्योगिक न्यायाधिकरण वस्तुतः मज़दूर-संघों का विश्वास खो चुके हैं। मुझे पता है कि वहां २-३ वर्ष तक लग जाते हैं, फिर अपील न्यायाधिकरणों के कारण मुसीबत और बढ़ जाती है। मज़दूर-संघ निर्धन होने के कारण दूर जाकर और बड़े-बड़े वकीलों को लगा कर अभियोग नहीं लड़ सकते। फिर वैध-विवरणों की भीड़ के कारण भी निर्णय प्रभावी नहीं हो पाते। इन्हीं कारणों से श्री वेंकटारमन भी इसमें सहमत थे कि या तो न्यायाधिकरण तोड़ दिये जायें या उनमें अपेक्षित सुधार किये जायें।

श्रम मंत्र की कार्यवाही का दूसरा पहलू सामाजिक-सुरक्षा है। कांग्रेस के १९३५ के चुनाव घोषणापत्र में बीमारी और बेरोजगारी में लाभ देने वाली कर्मचारी राज्य बीमा

[श्री दामोदर मेनन]

योजना का विशेष निर्देश किया गया था । पर ताजे घोषणापत्र से यह बात विलुप्त कर दी गयी है । और यहां भी देर की प्रणाली अपनाकर १९४८ में पारित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम को अब १९५२ में और वह भी दिल्ली और कानपुर दो ही स्थानों में प्रवर्तित किया जा रहा है । जब तक ये और दूसरी सामाजिक-सुरक्षा योजनायें लागू नहीं होतीं, हम अपने को प्रगतिशील राज्य-निवासी नहीं कह सकते ।

एक बात और है कि ये विधान आदि वैध उपाय तभी लाभकर हैं, जब कामकर वर्ग का हाथ सरकार में हो और उनकी आवाज़ विधान मंडलों में सुनी जाये। अखिल भारतीय मज़दूर संघ कांग्रेस के दसवें अधिवेशन के अध्यक्ष के पद से भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मज़दूरों को समाज वादी समाज-व्यवस्था का झंडा उठाने की सलाह दी थी । श्री वी० वी० गिरि ने भी शायद १९३२ में एक मज़दूर-सम्मेलन के अपने अभिभाषण में कहा था कि समाजवादी राज्य की स्थापना से पहले हमारे एक गाने का अर्थ है कि हम 'सुधारवादी' और 'पूंजीवाद के एजेंट' हैं । हमें आशा है कि मिश्रित अर्थ व्यवस्था में घुल-मिल कर वह सुधारवादी न बन जायेंगे, क्योंकि श्रम नीति अंततोगत्वा अर्थ-नीति पर ही आधारित है । वह 'पूंजीवाद के एजेंट' तो बनेंगे ही नहीं क्योंकि ये शब्द उन्होंने पूरी सचाई के साथ उस समय कहे थे जब वह देश के मज़दूर-आंदोलन के अग्रणी नेता थे ! हम केवल इसी आशा से उन्हें वह याद दिलाते हैं कि श्रम विधानों के लागू करने नये विधान बनाने की बात सोचने और अपनी साधारण श्रम नीति का निर्धारिण करने में वह इन सिद्धांतों को भूल न जायेंगे ।

श्री गणपति राम (ज़िला जौनपुर—पूर्व—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : माननीय उपाध्यक्ष जी मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज आप ने मुझे भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर दिया और इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । साथ ही साथ मैं अपने पार्टी ह्विप (दल सचेतक) का भी आभारी हूं कि उन्होंने भी आज मुझे बोलने का अवसर दिया ।

मैं आपके समक्ष तथा हाउस के समक्ष इस बात को रखना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में आज पच्चीसों किस्म के श्रमिक रहते हैं और उनकी समस्यायें भिन्न भिन्न हैं यद्यपि बहुत से मज़दूर ऐसे हैं जिन की समस्याएं कुछ माने में तो एक सी हैं लेकिन बहुत मानों में वह अलग अलग भी हैं और जिनका हल करना आवश्यक है जैसे कि आज खानों में काम करने वाले मज़दूर हैं, चाहे वे कोयले की खानों में काम चरने वाले हों चाहे लोहे की खानों में काम करने वाले हों, सोना या मैंगेनीज़ या टिन की खानों में काम करने वाले हों । इस के अलावा फैक्टरी वर्कर्स (कारखाने के मज़दूर) भी हैं चाहे वे काटन मिल में, सिल्क मिल्स में या वुलन मिल्स में काम करने वाले हों । वैसे शुगर मिल्स के लेबरर्स हैं, टी फील्ड लेबरर्स हैं, पोर्ट डाक लेबरर्स हैं, और रेलवे वर्कर्स भी हैं । फिर एग्रीकल्चर लेबरर्स तथा और भी लेबरर्स हैं जो छाटे छोटे उद्योग धंधों में लगे हुए हैं । इन के अलावा ऐसे भी श्रमिक हैं जो कि म्युनिसिपैलिटी के अन्दर सैनीटरी लेबरर्स (स्वच्छता श्रमिक) कहे जाते हैं । कुछ ऐसे भी श्रमिक हैं जो कि चमड़े का काम करते हैं या पी० डवल्यू० डी० में हैं ।

उन की समस्याओं पर अन्य महानुभावों ने ज़रा भी प्रकाश नहीं डाला है । मैं उन विषयों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन के लिये भी आप का ध्यान होना चाहिये । यद्यपि मैं जानता हूं कि

हिंदुस्तान की करीब ९० फी सदी जनता देहातों में रहती है और उस में से करीब ७० फी सदी आज श्रमिक का काम करते हैं लेकिन जब मैं देखता हूं कि उन श्रमिकों के लिये सरकार की तरफ से कितना ध्यान दिया गया, तथा पिछले वर्षों से अब उन की क्या उन्नति हुई है, तो मुझे जितनी प्रसन्नता होनी चाहिये उतनी नहीं होती । मैं आप के सामने कुछ फिगर्स रखना चाहता हूं कि जहां पर कि हिंदुस्तान के अन्दर सन् १९३९ में १६,२६,९४२ वर्कर्स प्रति दिन काम करते थे वहां पर आज यद्यपि ४८ लाख लेबरर्स प्रति दिन काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आप यह देखें कि सन् १९४९ में २४,३३,९६६ वर्कर्स प्रति दिन काम करते थे । आज जिस पैमाने पर लेबरर्स की समस्या हल होनी चाहिये थी उस पैमाने पर हल नहीं हो सकी है । मैं समझता हूं कि आज जितने श्रमिक हिंदुस्तान के अन्दर हैं उन में से पांच प्रति शत से ज्यादा की समस्या हल नहीं हुई है । अभी बाकी श्रमिकों की समस्या हल करने के लिये सरकार को काफी ध्यान देना होगा ।

जहां तक काटन मिल्स का संबंध है आप देखें कि सन् १९४९ में प्रति दिन काम करने वाले मज़दूर ७,३४,६०२ थे रिजिस्टर में जिनका नाम दर्ज था वह ८,०३,०३८ थे । सन् १९५१ में प्रति दिन काम करने वालों की संख्या ७,१४,४७९ है वहां रजिस्टर में जिन के नाम दर्ज़ हैं उन की संख्या ७,८५,१३४ है । जनवरी सन् १९५२ में जब कि रजिस्टर में उनकी संख्या ८,०६,७४८ है, प्रति दिन काम करने वालों की संख्या ७,२९,८७८ है । मुझे इन फिगर्स को देख कर संतोष नहीं होता क्योंकि जिस पैमाने पर प्रति दिन काम करने वाले मज़दूरों की संख्या बढ़नी चाहिये थी उस पैमाने पर आज नहीं बढ़ सकी है । सरकार को आज ऐसे साधन अख्तियार करने चाहियें जिस से कि उन के ऊपर जो मिल मालिकों की तरफ से या काम कराने वालों की तरफ से जुल्म ढाये जाते हैं वह कम हों और श्रमिकों में यह प्रोत्साहन पैदा करना चाहिये कि उनकी संख्या दिनों दिन बढे ।

जहां तक कोयले की खानों के मज़दूरों का सवाल है आप देखें कि सन् १९५१ में ३,३८,७०९ मज़दूर प्रति दिन काम करते थे वहां सन् १९५२ में आज ३,४९,४३० मज़दूर काम करते हैं । आज जब कि देश स्वतंत्र हो गया है और देश में कोयले की तथा और भी दूसरे खनिज पदार्थों की आवश्यकता है तो जिस पैमाने पर मज़दूरों को लगाना चाहिये और उन की संख्या को बढ़ाना चाहिये उस पैमाने पर मज़दूरों की संख्या में उन्नति नहीं हुई और उन को उस काम में नहीं लगाया गया ।

हम देखते हैं कि जहां मिल मज़दूरी की तरफ़ तो सरकार का ध्यान कुछ पैमाने पर दिया गया है, लेकिन देहातों में काम करने वाले श्रमिकों, जिन को खेतिहर मज़दूर कहा जाता है, जिन को ऐग्ररियन लेबर (खेतिहर मज़दूर) कहा जाता है, जिन को ऐग्रीकल्चर लेबर कहा जाता है और जो सदियों से सताये गये हैं तथा जिन का आज भी संगठन अब तक नहीं हो सका है और जिन को आज भी उचित मज़दूरी नहीं मिल पाती है, उन की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है । हम देखते हैं कि आज भी उन को छुट्टी के घंटे में कोई राहत नहीं मिल पाती है । आज भी उन के लड़के बच्चे काम करने के बावजूद भी पूरी मज़दूरी नहीं पाते हैं । आज भी उन से बेगार ली जाती है, यद्यपि कांस्टीटयूशन (संविधान) के अनसार यह नाजायज़ है, उन के लिये आज सरकार को ध्यान देना होगा । क्योंकि आज हिन्दुस्तान के अन्दर देहातों में काम

[श्री गणपति राम]

करने वाले ऐग्रेरियन लेबरर्स की संख्या ज्यादा है। जहां तक कि मिल लेबरर्स (मिल-मज़दूर) का सवाल है उन के लिये सरकार ने बहुत सा क़ानून बनाया है। मुझे तो यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि सरकार ने मिल लेबरर्स के लिये एम्लाईज़ प्राविडेंट फ़ंड आर्डिनेंस (कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश) जारी किया, यद्यपि यह बात अवश्य है कि जिस पैमाने पर उन को राहत मिलनी चाहिये थी उस पैमाने पर नहीं मिली है। या तो मिल मालिक ध्यान नहीं दे रहे हैं या सरकार की तरफ़ से जिस पैमाने पर ध्यान देना चाहिये उस के अन्दर कोई ढिलाई है।

मैं यह भी कह सकता हूं कि आज बहुत सी मिलों में झगड़े हो जाते हैं और आज भी बहुत से मज़दूर झगड़ा हो जाने पर निकाल दिये जाते हैं। उन की मांगें उचित होती हैं और उन को फिर से मिलों में रखना चाहिये लेकिन कुछ ऐसे भी अवसर देखे जाते हैं कि उन की उचित मांगों के रहते हुए भी वह मिलों में फिर नहीं रक्खे जाते। मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि ऐसे झगड़ों को हल करने के लिये या तो सरकार की तरफ़ से कोई आरबिट्रेशन (मध्यस्थ-निर्णय) होना चाहिये या मिल मालिकों और मज़दूरों के बीच समझौता कराने के लिये कोई ऐसा साधन अख़्तियार करना चाहिये जिस से वह मज़दूर जो कि हड़-ताल करने पर या कोई ऐसा काम करने पर निकाल दिये जाते हैं, न निकाले जायें मिनिमम वेजेज़ ऐक्ट (न्यूनतम मजूरी अधि-नियम) पर मेरे बहुत से भाइयों ने प्रकाश डाला है, हालांकि वह क़ानून पास हो गया है लेकिन आज भी यह देहातों में चालू नहीं किया जा रहा है और आज भी देहात की जनता और देहात के मज़दूर उस क़ानून से कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। मुझे तो रिपोर्ट आन दी वर्किंग आफ़ मिनिस्ट्री आफ़ लेबर को पढ़ने से यह भी मालूम हुआ कि उस का इम्लीमेंटेशन (कार्यान्वय) ३१ दिसम्बर, १९५३ तक के लिये छोड़ दिया गया है, हालांकि मेरे विचार से तो उस को और पहले लागू होना चाहिये था। मुझे तो यह कहते हुए अफ़सोस होता है कि हिन्दुस्तान में जहां पर इतनी संख्या में लेबरर्स रहते हैं, उन का आंदोलन बहुत दिन पहले होना चाहिये था। इस के लिये यद्यपि मैं समझता हूं कि संसार के इतिहास में इंगलैण्ड ही एक ऐसा देश है जहां कि मज़दूरों ने सब से पहले हड़ताल की और आन्दोलन शुरू किया, लेकिन हमारे देश में जहां कि इतने मज़दूर और श्रमिक लोग रहते हैं उन को तो ज़रूर करनी चाहिये थी, लेकिन हमारे देश पर विदेशी शासकों का राज्य था, इस लिये उन्हों ने हिन्दुस्तान के मज़दूरों और श्रमिकों की तरफ़ ध्यान नहीं दिया, उस वक्त जब हम गुलाम थे, तब तो इसे बर्दाश्त भी किया जा सकता था, लेकिन आज तो अपनी गवर्नमेंट है, इस लिये मैं यह कह सकता हूं कि हमारी सरकार को अब मज़दूरों की हालत की तरफ़ ज्यादा ध्यान देना चाहिये, नहीं तो उन के दिलों में भी एक असन्तोष इस क़िस्म का पैदा हो सकता है जो देश में एक गड़बड़ी भी मचा सकता है। लेकिन अफ़सोस के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि मैं देखता हूं कि आज भी देहातों में गांव के गांव ऐसे हैं जहां के मज़दूरों से, उन के लड़कों बच्चों और रिश्तेदारों से भी ज़बर्दस्ती काम लिया जाता है। हालत यह है कि आज जब वह पुलिस में कोई रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, तो पुलिस उस पर कोई ध्यान नहीं देती। मैं तो आज श्रम मंत्री महोदय से ही नहीं बल्कि सरकार से प्रार्थना क

अनुरोध करूंगा कि फ़ोर्स्ड लेबर (बेगार) के जो नियम बनाये गये हैं उन को कागनिज़े-बल आफ़ेन्स (विचार योग्य दंड) क़रार दे कर फ़ोर्स्ड लेबर को रोका जाय। कलकत्ता मे भी जहां इतनी संख्या में डॉक लेबरर्स (डाक-मज़दूर) काम करते हैं उन पर अब भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जहां तक उन की सर्विसेज़ (सेवाओं) को रेगूलेट (नियमित) करने का सवाल है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैं सरकार से भी इस विषय में अनुरोध करूंगा कि उन की सर्विसेज़ को रेगुलर बनाने के लिये सरकार को ऐसा कोई मेयर अख़्त्यार करना चाहिये जिस पर वहां के अधिकारी ध्यान दें तथा उन को कैजुएल लीव (आकस्मिक छुट्टी) भी मिलनी चाहिये, इस पर अधिकारी ध्यान नहीं देते। इस तरह की और बहुत सी रकरूटमेंट वग़ैरह की शिकायतें मज़दूरों की हैं। इस लिये मैं सरकार का ध्यान इन की तरफ़ आकर्षित करना चाहता हूं। मैं ने इस रिपोर्ट में पढ़ा कि लेबर आफ़िसर्स, लेबर वैलफ़ेयर आफ़िसर्स और सिविलियन आफ़िसर्स (नागरिक अधिकारी) जो चुने गये, तो उन में से देहात के कितने लेबर आफ़िसर्स चुने गये? मैं सरकार से यह भी अनुरोध के साथ कहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्टस् में से भी आदमी चुने जांय ताकि उन को प्रोत्साहन मिले और यह लोग जा कर स्वयं अपनी समस्याओं को हल कर सकें।

जहां तक मज़दूरों की समस्या का सवाल है, आज उन की बहुत सी समस्याओं को हल करना शेष है, जैसे कि उन के रहने की उचित व्यवस्था और अभी हाल ही में प्रधान मंत्री पंडित नेहरू ने जब कानपुर गये थे तो उन्हों ने मज़दूरों की उन गन्दी बस्तियों को देखा कि वह वहां कैसी दयनीय और अस्वास्थकर अवस्था में अपना जीवन बिता रहे हैं, उन के बाल बच्चे किस बुरी दशा में रह रहे हैं और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने उन की दशा को देख कर काफ़ी रुपया उन के गृह सुधार के लिये दिया। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि आज भी बहुत सी मिलों में चाहे छोटी हों और चाहे बड़ी हों मज़दूरों के लिये घरों की उचित व्यवस्था नहीं है, उस की तरफ़ सरकार को ध्यान देना चाहिये और समुचित प्रबन्ध करना चाहिये। इस के अलावा जिन मज़दूरों को अब भी डियरनेस अलाउन्स (महंगाई भत्ता) नहीं मिलता है या अपर्याप्त रूप में मिलता है उन को दिलवाने की सरकार कृपा करे।

मुझे तो यह कहते हुए कुछ खेद होता है कि आज भी डाक मज़दूरों को एक रुपया प्रति दिन के हिसाब से मज़दूरी मिलती है। काटेन मिल्स में काम करने वालों की औसत मज़दूरी भिन्न भिन्न शहरों में इस प्रकार है और आज भी बम्बई में एक मज़दूर को ३० रुपया प्रति माह के हिसाब से मज़दूरी मिलती है, अहमदाबाद में २८ रुपया, मद्रास में २६ रुपया, कानपुर में ३० रुपया और पश्चिमी बंगाल में २० रुपया दो आने मिलता है, हालांकि कुछ मिलों ने अपने यहां मज़दूरों की वेजेज़ तथा डियरनेस अलाउन्स को बढ़ा दिया है। जैसे कि बम्बई में ५५ रुपये ६ आने, अहमदाबाद में ६३ रुपये १३ आने, मद्रास में ४२ रुपये ९ आने, कानपुर में ५४ रुपये १३ आने कर दिये हैं, लेकिन पश्चिमी बंगाल ने अब तक ३० रुपये ही रक्खा है यह जनवरी सन् १९५१ के स्टैटिस्टिक्स (आंकड़े) मैं ने आप को बतलाये। मार्च १९५२ में बम्बई में ५६ रुपये ६ आने, अहमदाबाद में ६६ रुपये ८ आने, मद्रास में ४४ रुपये ४ आने, कानपुर में ५० रुपये ५ आने डियरनेस अलाउन्स रखा है। लेकिन वस्ट

[श्री गणपति राम]

बंगाल ने अभी तीस रुपया ही डियरनेस अलाउन्स अपने यहां रखा, इसी तरह अगर आप खानों में काम करने वाले मज़दूरों की दशा पर ध्यान देंगे तो आप को मालूम होगा कि जनवरी १९५१ में झरिया के खान में काम करने वाले मज़दूरों को ४ रुपये ९ आने ९ पाई प्रति सप्ताह मज़दूरी मिलती थी और ओवर वेजेज़ (अपर मजूरी) मिला कर उन को हफ्ते भर में १२ रुपये १५ आने १० पाई मिलती थी। सन् १९५२ में उन की असली मज़दूरी ४ रुपये ८ आने ५ पाई है और दूसरे ओवर वेजेज़ मिला कर १२ रुपये १० आने १ पाई प्रति सप्ताह मिल रही है। वही हालत रानीगंज के मज़दूरों की भी है। रानीगंज में १९५१ में ५ रुपये ९ आने ६ पाई असली मज़दूरी थी और ओवर वेजेज़ मिला कर उन को ११ रुपया ११ आने मज़दूरी मिला करती थी और सन् १९५२ में असली मज़दूरी कुछ बढ़ा कर ६ रुपया १ आना ६ पाई कर दी गई और अदर ओवर वेजेज़ (दूसरी अपर मजूरियां) मिला कर ११ रुपये १२ आने १ पाई मजूरी प्रति सप्ताह उन की पड़ती थी। यही मजूरी आज तक उन को मिलती है जो कि शायद १२ आने प्रति दिन के हिसाब से ज्यादा नहीं पड़ती है। यह कितने दुःख और अफ़सोस की बात है कि इतनी कम तो उन को मज़दूरी मिलती है। इस के अलावा उन के लिये घरों की उचित व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था नहीं, उन की औरतों के लिये काम की कोई उचित व्यवस्था नहीं और उन लोगों के आमोद प्रमोद का कोई माक़ूल इन्तज़ाम नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं, और जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों.....

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य १५ मिनट से अधिक ले चुके हैं।

श्री गणपति राम: बस थोड़ा समय और चाहता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने.....

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे भय है कि यदि माननीय सदस्य पूरा न कर सके तो भी मैं माननीय मंत्री को बुला लूंगा।

श्री गणपति राम: दो मिनट में मैं खत्म कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: हर एक आदमी दो मिनट मांगता है, मैं क्या करूं?

श्री गणपति राम: मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इस पर एतराज़ नहीं करेंगे। मैं केवल दो मिनट और लेना चाहता हूं। मुझे यह कहना है कि आज भी देहातों में जैसी छुआछूत की समस्या चल रही है वैसी ही हालत मैं ने अपनी आंखों से मिलों में देखी है। मिलों में काम करने वाले मज़दूरों में भी छुआछूत की समस्या बड़े ज़ोरों पर चल रही है। अपने को उच्च जाति का कहने वाले मज़दूर दूसरी छोटी जाति के कहे जाने वाले मज़दूरों से खाने, पीने, उठने, बैठने, मिलने जुलने में छुआछूत करते हैं। इस के लिये भी सरकार की ओर से ठोस क़दम होना चाहिये। इसी तरह से उन के लिये सिकनेस रिलीफ़ (बीमारी में सहायता) या और जो सुविधायें हैं उन का प्रबन्ध करना चाहिये। जो मज़दूर काम करते समय बीमार पड़ जाते हैं या उन को कोई शारीरिक तकलीफ़ हो जाती है तो मिल मालिकों को ऐसे आदेश होने चाहियें कि उन की मिल में काम करने वाले मज़दूरों को इसके लिये पूरी सुविधा दें। उन मज़दूरों के बाल बच्चों के लिये ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ (प्रशिक्षण सुविधायें) होनी चाहियें ताकि अच्छे से अच्छे श्रमिक पैदा हो सकें। साथ साथ उन की नौकरियों को परमानेन्ट क़रार दिया

जाय न कि सिर्फ़ टैम्पोरेरी (अस्थायी) रखा जाय। मैं रेलवे श्रमिकों के सम्बन्ध में भी आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहां उन के लिये सरकार ने ग्रेन शाप्स (अन्न की दूकानें) खोली हैं, तथा उन के लिये फ़िक्स्ड आवर्स (निश्चित घंटे) का इन्तज़ाम किया है, उन के लड़कों बच्चों के लिये पढ़ने और कार्य देने की भी व्यवस्था करें।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे माननीय मंत्री को ठीक सवा बारह बजे बुलाना है, यदि तब तक श्री वीरस्वामी समाप्त कर दें। तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी माननीय मंत्री को बुला लूंगा।

श्री वीरस्वामी (मयूरम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां): बोलने का अवसर देने के लिये मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूं। मुझे पूंजीपतियों के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सर्वाधिक सक्रिय अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के दृष्टिकोण से बोलना है। मेरे राज्य मद्रास में खेतिहर मज़दूरों पर सरकार और ज़मींदारों द्वारा भारी अत्याचार किये जाते हैं। ज़मींदारों से जीवन निर्वाह योग्य मजूरी की मांग पर ही मलाबार स्पेशल पुलिस ने लोगों पर हमला बोल कर युवकों का पीछा किया और बहुतों को गोली मार दी।

उपाध्यक्ष महोदय: यहां मुझे एक बात कहनी है। युवकों का पीछा करके गोली मार देने जैसे गम्भीर आरोप लगाते समय बुरा प्रभाव बचाने के लिये माननीय सदस्यों के पास निश्चित प्रमाण होने चाहियें। यह सच हो सकता है, पर बिना आधार वे नहीं लगाने चाहियें।

श्री वीरस्वामी: मैं ने स्वयं अपनी आंखों से यह देखा है।

श्री सी० आर० नरसिंहन (कृष्णगिरि): श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न पर। क्या राज्य सरकार की आलोचना यहां की जा सकती है?

उपाध्यक्ष महोदय: मैं औचित्य प्रश्न से सहमत हूं। राज्य सरकार के किसी काम की यहां आलोचना नहीं होनी चाहिये।

श्री वीरस्वामी: पर श्रीमान्, मद्रास राज्य की बातें केन्द्र को भी विदित होंगी। अस्तु। गोल्डेन रौक वर्कशोप, डालमिया सीमेंट कम्पनी, बिन्नी एन्ड कम्पनी मद्रास और कोयंबटूर तथा मदुरा के अनेकों वस्त्र मिलों के अधिकांश मज़दूर प्राय: पिछड़ी हुई अनुसूचित जातियों के लोग हैं, जो दैनिक मजूरी पाते हैं और जिन को न तो ज़मीदारों से और न कारखाना वालों से ही निर्वाह योग्य मजूरी मिलती है। उनका भोजन न पौष्टिक ही होता है और न पर्याप्त ही। अडा, फल, दूध आदि उन्हों ने देखे होंगे, पर उनका स्वाद कभी न चखा होगा। वे चिथड़े पहनते हैं। गन्दी बस्तियों में रहते हैं। बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। उनकी दुर्दशा बड़ी विकट है।

न्यूनतम मजूरी तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम बन जाने पर भी अब तक पूर्णत: लागू नहीं किये गये। १९४८ में पारित हुआ न्यूनतम मजूरी अधिनियम ने केन्द्र शासित कुछ राज्यों में भले काम किया हो, पर खेतिहर मज़दूरों के बारे में अभी दूसरें राज्यों में कुछ भी नहीं किया गया। १९४८ में ही पारित हुआ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम २४ फ़रवरी १९५२ को केवल दिल्ली और कानपुर में ही लागू किया गया है।

मेरे राज्य में कई चमड़ा-कारखाने बन्द हो जाने से लगभग ५०,००० मज़दूर, जिन में अधिकांश अनुसूचित जातियों के हैं, बेकार हो गये हैं। अब उन को खाना-कपड़ा कैसे मिलेगा? आज सवेरे मद्रास से आये हुए मेरे एक मित्र ने बतलाया है कि कुछ कारखाने खुल गये हैं, पर नियमित रूप से मज़दूरी नहीं दे रहे हैं।

[श्री वीरस्वामी]

अरवंकडू की १,५०० कामकरों वाली कार्डाइट फ़ैक्टरी में १,९१४ में क्लर्कों को स्थानीय भत्ता नामक पहाड़-भत्ता दिया गया। १९४३ से यह सहायक सर्जनों को भी दिया गया, और १९४४ में यह सब को मिलने लगा, पर चार महीने में ही वह बिल्कुल बन्द कर दिया गया। पहाड़ की परेशानियों के कारण मिलने वाले इस भत्ते के बन्द हो जाने से १५०० आदमी दुखी हो रहे हैं, सो मेरा अनुरोध है कि इस पर विचार किया जाये। अपनी दशा में सुधार हुए बिना मज़दूर अपने काम में मन लगा कर राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते।

श्री वी० वी० गिरि : मैं सदन के दोनों ओर का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्यों का उन के द्वारा सरकार की श्रम नीति के विषय में दिये गये सारगर्भित भाषणों, सुन्दर सुझावों और स्वस्थ्य आलोचनाओं के लिये कृतज्ञ हूं। मैं उन को आश्वासन दे सकता हूं कि एक मज़दूर कार्यकर्त्ता के नाते गत ३२ वर्ष में एक आन्दोलन कर्त्ता तथा दो बार एक प्रान्त के मंत्री के रूप में मेरे जो विचार रहे हैं, वह अब केन्द्रीय मंत्री बनने पर भी वैसे ही बने हुए हैं और मंत्री न रहने के बाद भी मेरे विचार वही बने रहेंगे, जो ३२ वर्ष पहले थे। मेरा सदा यह मत रहा है कि यदि श्रम को अपनी स्थिति सुधारनी है, तो इसे अपने आप को एक सबल, युक्तियुक्त प्रजातन्त्री तथा सुसंगठित मज़दूर संघ के रूप में संगठित करना होगा। और इस क्षेत्र में एक कार्यकर्त्ता के नाते मैं ने मज़दूर संघों के निकट सदा इस बात पर बल दिया है कि वे अपनी मांग युक्तिसंगत रूप में रखें, जिस से वे अपने मौलिक अधिकार प्राप्त कर सकें और मालिकों से अपने अधिकारों और अपने संघों की मान्यता प्राप्त करने के लिये ज़ोर डाल सकें। और उन के साथ साथ समान रूप में बैठ सकें। जब कभी मालिकों ने गलती की तो एक नेता के रूप में मैं चुप चाप नहीं बैठा, मैं ने सदा उन को उसे सुधारने का काफ़ी अवसर दिया और यदि वे सुधार न सके तो मैं ने उन के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने में संकोच नहीं किया और अधिकांश मामलों में मुझे सफ़लता मिली। अब आज भी मेरा यही मत है और यह आजीवन बना रहेगा।

इस लिये यदि आज मालिकों की शिकायत यह है कि मज़दूर-संघ अपना कर्तव्य नहीं निभाते वे मज़दूरों की मांगे बढ़वाते चले जाते हैं। और मालिकों के सामने मांग रखने में वे तर्क संगत नहीं रहते, तो मैं कहूंगा कि इस वस्तुस्थिति के लिये सारा उत्तरदायित्व अकेले मालिकों का ही है। बीस वर्ष पहले जब हमने मज़दूर-कार्यकर्त्ता के रूप में उन से वैध मान्यता की मांग की थी, उन के सामने बैठ समान रूप से बात करने के न्यायोचित अधिकार की मांग की थी। तो उन्हों ने हमारी भावना की कभी कद्र नहीं की। उन्होंने बाहर से सहायता ली और मज़दूर-आन्दोलन को कुचल दिया। तो इस का दायित्व मालिकों पर ही है, जो उन्हें आज भारत में मज़दूर संघवाद से पूरा पूरा लाभ प्राप्त नहीं होता।

इस लिये मालिकों और मज़दूरों को इस से उपदेश लेना चाहिये। और भले ही लोग इसे पसंद करें या न करें, यह कटु सत्य उन्हें समझ लेना चाहिये, कि उद्योग में मालिक और मज़दूर दोनों ही साझीदार हैं। मैं डा० लंका सुन्दरम् के इस कथन से सहमत हूं कि मज़दूर अपेक्षतया निर्बल साझीदार हैं, पर साथ ही मेरा मत है कि उद्योग में वे बलीयान् साझीदार हैं। यदि वे यह समझ लें कि उन्हें प्रजातन्त्री रीति से वैधानिक मज़दूर संघों के रूप में संगठित हो जाना चाहिये। और अपनी परेशानियां और मांगें उचित रूप

में मालिक के और साथ ही सरकार के सामने रखनी चाहियें, तो वे बलियान् साझीदार की अपनी स्थिति को सुरक्षित रख सकते हैं। यह पहलू ध्यान में रखना होगा। मैं चाहता हूं कि मज़दूर आन्दोलन में चाव रखने वाले मेरे माननीय मित्रगण यह समझ लें कि आज के प्रजातंत्र ढांचे में सीधी कार्यवाही की बात करने या तोड़ फोड़ आदि में लग जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि उन के मज़दूर संघ दृढ़ आधार पर सुसंगठित हैं और उन की मांगों के साथ शक्ति है, मुझे पूरा भरोसा है कि अपनी ओर से किसी अवांछित कार्यवाही को अपनाये बिना ही वे अपनी परेशानियां दूर करा सकेंगे।

मुझे मालिकों से कहना है कि यदि वे देश में औद्योगिक शांति चाहते हैं, यदि वे अपने मज़दूरों से लाभ उठाना चाहते हैं, यदि वे अपनी श्रद्धा उद्योग के प्रति रखना चाहते हैं, तो उन को यह जानना चाहिये कि उन के साथ कैसे व्यवहार किया जाये। उन्हें मांग तथा संभरण के पुराने घिसे हुए सिद्धान्त को भूल जाना चाहिये। उन्हें यह बात भुला देनी चाहिये कि श्रम एक द्रव्य है। उन्हें यह समझना चाहिये कि बलियान्, साझीदार के बिना उद्योग एक दिन भी नहीं चल सकते। यदि वे इन छोटी पर अत्यन्त कठिन बातों को समझ लें, तो मुझे पूरा निश्चय है कि उद्योग में शांति रहेगी।

भारत सरकार के श्रम मंत्री के नाते मैं दोनों साझीदारों से कहना चाहूंगा कि यदि वे इन सिद्धान्तों का अनुसरण करेंगे तो उन को मेरी सहायता और सरकार का सहयोग प्राप्त होगा। तब उन्हें मेरी पूरी सहायता मिलेगी। ठीक इसी कारण पिछले ३२ वर्ष से आन्दोलनकर्त्ता और प्रान्त के मंत्री दोनों ही रूपों में मेरा सदा यह मत रहा है कि विवादों का भीतरी समझौता सरकार या किसी तीसरे पक्ष द्वारा लादे गये बाहरी समझौते की अपेक्षा अधिक अच्छा है। मैं सरकार का हस्तक्षेप अच्छा नहीं समझता। मैं तो चाहता हूं कि उद्योग के विकास में समान चाव रखने वाले दोनों पक्ष समान रूप में अपने सामने बैठ कर समस्या सुलझायें।

इसी कारण उस समय की अंग्रेज नौकरशाही से अपनी लड़ाई के समय रेल श्रम आन्दोलन के नेता के रूप में मैं दिन-रात इसी बात पर जोर देता रहा कि डिस्ट्रिक्ट के स्तर से ले कर रेलवे बोर्ड और कर्मचारी संघ के स्तर तक प्रत्येक स्तर पर एक संयुक्त स्थायी व्यवस्था बनी रहे और यदि उन में समझौता न हो सके, तो विवादों पर निर्णय के लिये एक न्यायाधिकरण स्थापित हो। ३० वर्ष पहले तत्कालीन नौकरशाही सरकार से मेरे द्वारा की गई मांग को कार्यान्वित करने का श्रेय हमारे आदरणीय नेता, मित्र तथा साथी श्री गोपालस्वामी आयंगार को है। मुझे आशा है कि अब उस पहलू पर पूरा ध्यान दिया जायेगा और यदि रेल कर्मचारी उस व्यवस्था का उपयोग करते रहे, तो उद्योग में शान्ति बनी रहेगी। सीधी कार्यवाही की आवश्यकता न रहेगी और यह सभी सम्बन्धित पक्षों के लिये अच्छी बात होगी। इसी प्रकार चाहे निजी उद्योग हो या सार्वजनिक उद्योग, सर्वत्र इसी सिद्धान्त का अनुसरण किया जाना चाहिये और सभी संबंधित से मेरा यही परामर्श है कि रेलवे जैसी व्यवस्था बना लेनी चाहिये। मैं द्विपक्षी और त्रिपक्षी समझौतों को प्रोत्साहन देने पर ज़ोर दूंगा। इसलिये मैं योजना आयोग के इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं कि सभी उद्योगों में परामर्श समितियां बनाई जायें, जिन में मज़दूरों और मालिकों दोनों के प्रतिनिधि हों और जो समय समय पर उद्योग में अन्तर्हित सिद्धान्तों पर साधारण कार्यदशाओं, मंजूरियों, लाभ के बटवारे, लाभांश या किसी दूसरे मौलिक विषय पर

[श्री वी० वी० गिरि]

विचार करें, जिस से बैठाये गये न्यायाधिकरणों को भी सुस्पष्टतः प्रतीत हो जाये कि दोनों पक्ष उन से क्या चाहते हैं । इसलिये मैं आप से सीधे सीधे कह दूं कि मैं इसी कारण विवादों के आंतरिक समझौतों के पक्ष में हूं। मैं सभी स्तरों पर प्रत्येक उद्योग में संयुक्त स्थायी व्यवस्था के पक्ष में हूं, मैं त्रिपक्षी और द्विपक्षी समझौतों के पक्ष में हूं, और उस सर्वप्रचलित मुहावरे के अनुसार मैं अदालतों, न्यायाधिकरणों, और सरकारी सौमनस्य-व्यवस्थाओं का उत्कट विरोधी हूं । मैं इन अदालतों और न्याय निर्णयन-व्यवस्थाओं को हटा देना चाहूंगा, जो एक अनिवार्य वस्तु है और जो पक्षों को मिलने के लिये विवश कर देती है । मैं पक्षों के स्वयं समझौते पर पहुंच जाने पर अधिक बल देता हूं। मैं आशावादी हूं और अपने अनुभव से मैं ने देखा है कि यदि दोनों पक्ष तर्कसंगत रहें, तो वे अपने मतभेद दूर कर सकते हैं । दोनों पक्ष जानते हैं कि समान स्तर पर कैसे बात की जाये और कितनी भी कठिन किसी समस्या को कैसे सुलझाया जाये। ऐसा मेरा मत रहा है। एक मंत्री के रूप में भी जब मैं ने देखा कि, पक्ष अपने मतभेद स्वयं निपटा नहीं सकते तो भी अपने सौमनस्य-अधिकारियों को विवाद सुलझाने का पाठ सिखाने के लिये मैं ने पक्षों को अप ने पास सचिवालय में बुलाया और प्रायः विवाद निपटा दिया । अतः मुझे पूरा निश्चय है कि यदि हम द्विपक्षी और त्रिपक्षी समझौते करने लगें तो निश्चय ही उद्योग में शांति रहेगी। मैं मज़दूर आन्दोलन में विश्वास रखने वाले अपने आदरणीय मित्रों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आन्दोलन को अत्यन्त प्रजातंत्रीय रूप में सुगठित करें और यह ध्यान रखें कि उन के पीछे मज़दूरों की शक्ति रहे, जिससे परेशानियां दूर करायी जा सकें और उद्योग में शांति बनी रहे। मैं चाहता हूं कि किये गये समझौते पंजीबद्ध रहें जिस से कुछ समय तक वह मज़दूर संघ और वह उद्योग बिना किसी परेशानी के चलता रहे । इसी कारण मैं ने कहा था कि मेरा भरोसा समझौतों में अधिक है और विधान-निर्माण में कम। मैं डा० लंका सुन्दरम् को आश्वासन देना चाहता हूं कि श्रम के लिये विधानों में मुझे उतना ही विश्वास है जितना उन को। यदि मजूरियों, कार्यदशाओं आदि के बारे में समझौता हो, तो विधान बनाना सरल कार्य है । पक्षों द्वारा पहले से सहमत हुई बात को विधान बना कर बिना विशेष कष्ट और कटुता के प्रभावी बनाना बहुत सरल है, क्योंकि वह अवस्थिति तो पहले से ही विद्यमान है और आप विधान बना कर उसे पंजीबद्ध भर कर रहे हैं। मेरा समझौतों में अधिक और विधान में कम विश्वास है। यह कहने में मेरा अभिप्राय यही था । मुझे आशा है कि इस में निहित भावना को समझ लिया गया है। और मैं अपने माननीय मित्र को आश्वासन देता हूं कि यदि आवश्यक हुआ तो हम विधान बनायेंगे। इस सम्बन्ध में मैं अपने पूर्वानुवर्ती तथा साथी श्री जगजीवन राम को अत्यन्त लाभप्रद विधान संविधि-पुस्तिका में जोड़ने के लिये बधाई देता हूं, कार्यान्वित न हो पाने वाले विधानों को कार्यान्वित करने के लिये मैं पूरा यत्न करूंगा।

जहां तक मेरे माननीय मित्रगण द्वारा निर्देशित औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक तथा मज़दूर संघ विधेयक का संबंध है, उन पर प्रवर समिति द्वारा विचार हो चुका है और उस ने अपना प्रतिवेदन दे दिया था, पर इस विषय में अपना सद्भाव सिद्ध करने के लिये मैं समझता हूं कि अभी उस में निहित विषयों को ले कर इस के पक्ष विपक्ष में भारी मतभेद है और इसलिये मैं इसे श्रम मंत्रालय के विधि विभागों, मालिकों तथा जनता के सामने

रखने जा रहा हूं । इस लिये मैं चाहता हूं कि मजदूरों, मालिकों और श्रम आंदोलन के विविध विभागों के विचारों को ध्यान में रखते हुए एक प्रश्नमाला शीघ्र निकाल दी जाये .....

डा० लंका सुन्दरम : क्या इसे पुनः परिचारित किया जायेगा या बस प्रश्नमाला का उत्तर ही प्राप्त करना है ?

श्री वी० वी० गिरि : प्रश्नमाला का ही उत्तर लेना है। विधेयक के पुनः परिचारित करने का प्रश्न नहीं। अस्तु हमें इस नई संसद के सामने नया विधेयक रखना है। आप जो समझें सोचें । प्रश्न माला का उत्तर पाने पर और इस विषय में विविध विचारों पर और यदि आवश्यक हो तो श्रम आंदोलन के नेताओं और मालिकों से परामर्श कर के हमें विधेयक को नये रूप में रखना होगा। यह निर्णय सरकार करेगी कि विधेयक को किस रीति से किस रूप में और कितनी धाराओं में बनाना है। अपील न्यायाधिकरण के विषय में भी मुझे एक बार जब मैं मद्रास में था, तब इस विषय पर मालिकों, मजदूर-संघों और स्वयं न्यायाधिकरण के जजों से बात करने का अवसर मिला था और इस विषय में मेरे अपने विचार हैं । मैं आप को आश्वासन देता हूं कि उस विषय पर पूरी सावधानी के साथ विचार किया जायेगा। और मजदूर संघों के विचारों को, जो अपील न्यायालयों के हटाये जाने के दृढ़ पक्ष में हैं, और मालिकों के विचारों को भी ध्यान में रखा जायेगा। उस विषय पर भी हम शीघ्र एक नतीजे पर पहुंचेंगे। बहुत सी बातों पर की गयी आलोचना के विवरणों को मैं नहीं लेना चाहता । उस की अपेक्षा मैं मौलिक बातों को लेना चाहूंगा । भूमिहीन मजदूरों तथा खेतिहर मजदूरों की दशाओं और न्यूनतम मजूरी अधिनियम के न लागू होने की आलोचना की गई है। मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि मेरे पूर्वाधिकारी ने प्रत्येक राज्य सरकार का ध्यान उस विधेयक के यथाशीघ्र लागू करने की ओर आकर्षित करने के लिये भरसक यत्न किया था। मैं भी वही किये जा रहा हूं । मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि यह एक विस्तृत तथा कठिन विषय है, पर इन मामलों के सुलझाने में कठिनाई हमारे मार्ग का रोड़ा नहीं होनी चाहिये। हमें आशा है कि प्रान्तीय सरकारें अवसर से यथा शीघ्र लाभ उठायेंगी और इस अधिनियम को कार्यान्वित करने का यत्न करेंगी । आखिर हमें यह समझ लेना चाहिये कि यह अधिनियम केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वित नहीं होना है । मैं आप को आश्वासन देता हूं कि अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिये हम भरसक सब कुछ कर रहे हैं। इस विषय में गांवों के मजदूरों के संगठन में चाव लेने वाले मित्रों से मुझे एक अनुरोध करना है । आप को सुदृढ़ प्रजातन्त्री मजदूर-संघ बनाने में उन को पूरी सहायता देनी चाहिये। जब आप ऐसा कर देंगे, तो संघ सरकारों से स्वयं जल्दी करा लेंगे, श्रम मंत्रियों और मंत्रिमंडलों के पास जायेंगे और अधिनियम को कार्यान्वित कराने के लिये जोर देंगे। इस लिये यह दायित्व न केवल मेरे तथा गांवों के मजदूरों में चाव लेने वाले सदन के इस ओर के सदस्यों के ही ऊपर है; यह दायित्व उधर बैठे भद्र पुरुषों के जो, मेरे ही समान मजदूर संघवादी हैं, ऊपर भी है, कि वहां मजदूर संघों को सुदृढ़ रूप में संगठित करें, जिस से गांव के मजदूरों की दशा भी सुधर जाये । फिर, इस अधिनियम के कार्यान्वित हो जाने भर से कोई लाभ नहीं। आखिर खेतिहर मजदूर को एक वर्ष में १६५ से २०० दिन तक ही काम मिलता है। जब तक हम घरेलू उद्योग आदि स्थापित कर उन के लिये सहायक रोजगार न जुटदें और उन को पूरा काम न दे दें, तब तक न्यूनतम मजूरी अधिनियम के कार्यान्वित होने का अर्थ प्रायः नगण्य होगा ।

[श्री वी० वी० गिरि]

अपने व्यक्तिगत रूप में तथा श्रम मंत्री के रूप में मेरा विनम्र विचार यह है कि आगामी समुदाय परियोजनाओं में इन बातों पर सावधानी पूर्वक ध्यान दिया जायेगा । ये समुदाय योजनायें आदर्श बना दी जायेंगी, जहां खेतिहर मजदूर अपने लिये पूरा रोजगार पा सकेंगे । यदि इस में हमें अंशतः सफलता हुई, तो हम ऐसे उपाय शुरू कर सकेंगे, जो खेतिहर मजदूर को पूरा पूरा काम दे दें । मैं इस विषय के इस पहलू पर अधिक नहीं ठहरना चाहता । यह परमावश्यक है कि गांवों में श्रम-दशा सुधारने के विषय में अपेक्षतया अधिक सहयोग प्राप्त हो । ऐसे विषय में सदन के सभी भागों से सहयोग और सहायता उपयोगी होगी, और विशेषतः उन लोगों की ओर से जो इस दिशा में मजदूर संघवादी के रूप में चाव लेते हैं ।

मजदूर संघों में एकता कराने के लिये मुझ से एक अनुरोध किया गया था । १९२९ में नागपुर में मजदूर-आन्दोलन में जब एक दरार हो गई थी, तब भी लोगों में एकता कराने में दस वर्ष लगे । और विचारों के बदलने पर मजदूर आन्दोलन में भी फूट हो गई थी । इस विषय में दो मत नहीं हैं कि जब तक पूर्ण प्रजातन्त्री मजदूर-आन्दोलन में भरोसा वाले लोगों में एकता न हो और वे साथ मिल कर अपनी आवाज मालिकों और सरकार तक न पहुंचायें, तब तक उन की आवाज अरण्य-रोदन ही रहेगी । मजदूर आन्दोलन के प्रत्येक वर्ग द्वारा प्रश्न का वह पहलू समझ लिया जाना चाहिये । कम से कम पिछले लगभग आठ वर्षों से मेरा आन्दोलन के किसी वर्ग से संबंध नहीं रहा । मैं एक स्वतंत्र मजदूरसंघ-वादी हूं । उस रूप में गत छः वर्षों में मैं मजदूर संघों से सभी मामलों पर साथ आ कर मिल कर काम करने का अनुरोध करता रहा हूं । यदि इस विषय में उन के द्वारा व्यक्त किये गये विचारों और वक्तव्यों पर मैं निर्भर कर सकूं--निश्चय ही मैं निर्भर कर सकता हूं । तो मेरा विचार है कि मजदूर आन्दोलन के नेताओं के ऊपर इस का कुछ प्रभाव पड़ा है । मेरे जितना कोई भी प्रसन्न नहीं होगा यदि मजदूरों के हित में काम करने वाला, उन की परेशानियों का प्रतिनिधित्व करने वाला तथा देश के जन-समूह के लिये उस के मौलिक अधिकार प्राप्त कराने वाला एक यथार्थ प्रजातंत्री मजदूर-आन्दोलन खड़ा हो सके ।

हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना को जिस के बारे में भी वीरस्वामी बोले थे, यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जाये । कानपुर तथा दिल्ली में यह योजना इस समय चल रही है । पद-ग्रहण करते ही मैं बंबई गया, वहां मिल मालिकों, मजदूरों और बम्बई सरकार के अधिकारियों से मिला और आप को यह बताते हुए मुझे बहुत हर्ष है कि जनवरी, १९५३ तक हम यह योजना बम्बई में भी सफलतापूर्वक आरम्भ कर सकेंगे । मैं और इस संस्था के महा संचालक बंबई गये थे और मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि बम्बई के मिल मालिक अपने मिल मज़दूरों के लिये कम से कम ३०० शय्याओं वाला एक अस्पताल शुरू करने के प्रस्ताव पर गंभीर विचार कर रहे हैं । गांधी स्मारक निधि के दानों में से मिल मालिक संघ को मिलने वाली लग-भग ५४ लाख रुपये की सहायता से यह योजना शीघ्र ही कार्यान्वित होने वाली है । इस अस्पताल के बन जाने से बम्बई के मजदूरों की चिकित्सा सम्बन्धी कठिनाइयां बहुत सीमा तक दूर हो जायेंगी और शय्याओं के कमी के कारण अस्पताल में होने वाली भीड़ भी कम हो जायेगी । कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जिस के अधीन कारखानों के कर्मचारियों को चिकित्सा-

सहायता देनी होती है, इस योजना से सम्बद्ध रहेगा। निर्माण में शीघ्रता कराने के लिये छः आदमियों की एक समिति बना दी गई है। इस में मिल मालिक संघ और बंबई सरकार के दो दो प्रतिनिधि होंगे। मिल मालिक संघ पहले ही उक्त समिति के लिये दो भद्र पुरुषों का नाम निर्देशन कर चुका है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महा संचालक उस समिति के एक सदस्य होंगे, जो इस अस्पताल के निर्माण और योजना में शीघ्रता कराने जा रही है। उसी प्रकार पंजाब सरकार भी नियत समय में इस योजना को चलाने के लिये कृतसंकल्प प्रतीत हो रही है। मुझे पूरा निश्चय है कि दूसरी राज्य सरकारें भी ऐसा ही करेंगी। मैं आप को आश्वासन देता हूं कि मैं केवल केन्द्र का श्रम मंत्री रहूंगा, बल्कि मैं यह देखने के लिये मजदूरों का प्रचारक भी रहूंगा कि यह योजना न केवल सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाये, बल्कि इसे जनमत तथा इस देश के कर्मचारी संघों का नैतिक समर्थन भी प्राप्त हो।

गत तीन वर्षों में पारित विविध विधानों के विवरणों को लेना मैं आवश्यक नहीं समझता। मैं आप को आश्वासन दे सकता हूं कि यदि श्रम अपने आप को समुचित रूप में संगठित कर ले और मालिक लाभप्रद सामाजिक विधानों की आवश्यकता को समझ लें, तो यह मेरा कर्त्तव्य हो जायेगा कि समस्याओं को उचित दृष्टि से देखने के लिये दोनों पक्षों को समझाया जाये और आशावादी होने के नाते मुझे इस का पूरा भरोसा है कि मैं उचित रूप में पारित हो चुके विधानों को कार्यान्वित करा सकूंगा।

भावी विधान-निर्माण के बारे में मैं मालिकों, मजदूर संघों, और इस देश की जनता को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं उन का पूरा परामर्श प्राप्त करूंगा और सरकारी मत को जहां तक संभव हो वहां तक उन के निकट परिचारित करूंगा तथा सभी विषयों पर पूरी पूरी बात किये बिना कोई विधेयक पुरःस्थापित न किया जायेगा। पर मैं उन को बता देना चाहता हूं कि श्रम विधान तो प्रगतिशील होंगे ही और समय-समय पर उसे प्रस्तुत करना ही पड़ेगा।

श्रीमान्, मुझे दिये गये अवसर के लिये मैं आप का बड़ा कृतज्ञ हूं और अपने भाषण को समय से पूर्व समाप्त कर के मैं वह आभार प्रदर्शित कर देना चाहता हूं। वस्तुतः मैं आधे घंटे में समाप्त किये दे रहा हूं। मैं नहीं समझता कि विवरणों को लेने से मेरा या सदन का कुछ लाभ होगा।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं कटौती प्रस्तावों को सदन के मतदान के लिये रखूंगा।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गये और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"३१ मार्च, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष में आदेश पत्र के स्तम्भ दो में उल्लिखित मांग संख्या ६३, ६४, ६५, ६६, ६७ और १२२ के निमित्त जो व्यय होगा उस की पूर्ति के लिये उक्त आदेश पत्र के स्तम्भ तीन में तदनुरूप दिखाई गई अन्यान्य परिमाण तक की राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इस के पश्चात सदन की बैठक शुक्रवार २० जून, १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।